खण्ड-424, अंक-3
सोमवार, 1 आषाढ़, शक संवत् 1920
(22 जून, 1998 ई0)

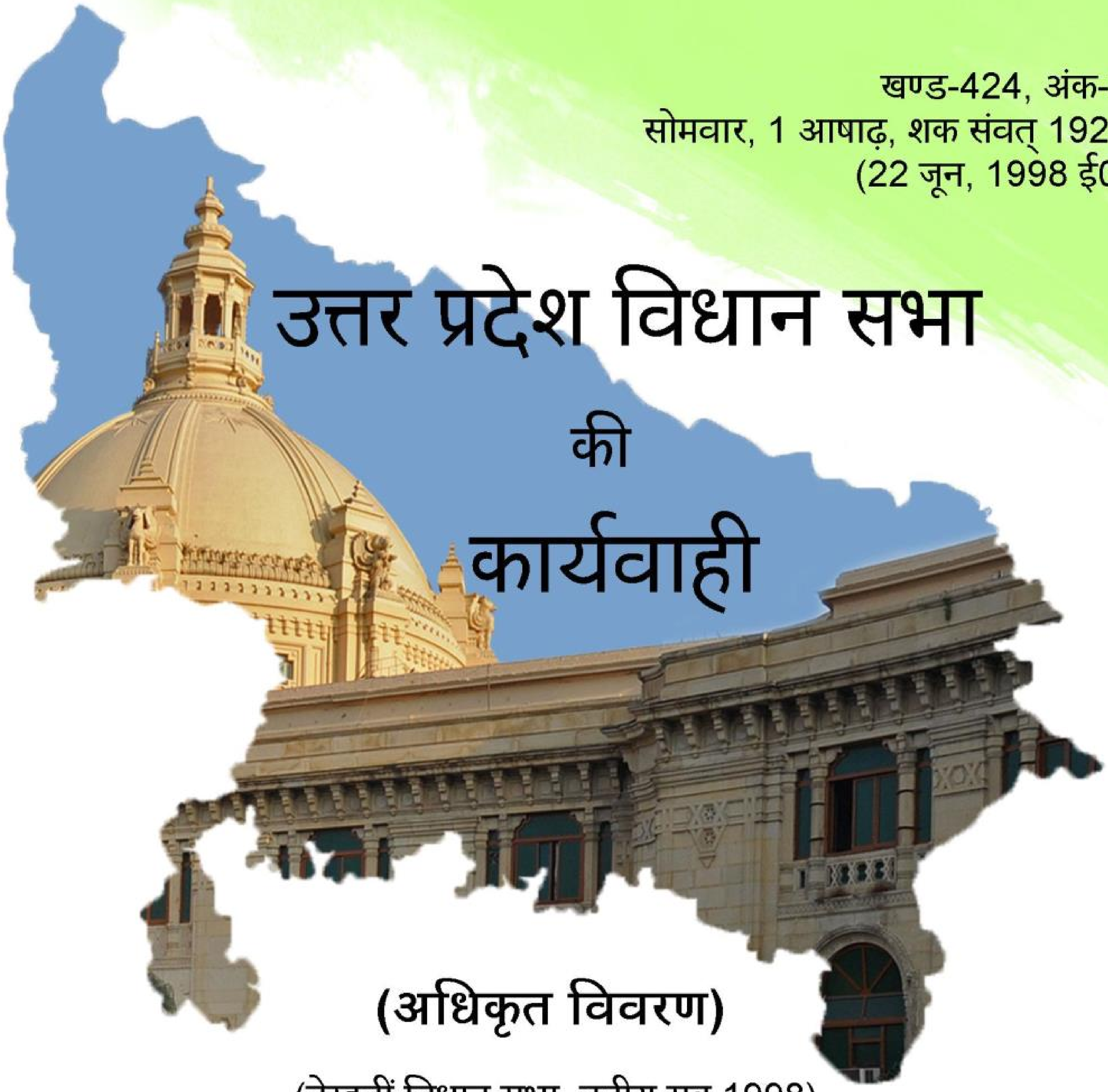

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 424 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–74
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	74
आगरा महानगर में नालों की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74–75
जनपद मेरठ के ग्राम पिठलोकर को हिण्डन नदी से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा से लखनऊ तक बनी लगभग 4 कि०मी० तक सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	75
जनपद अम्बेडकर नगर की नगर पंचायत इस्तिफालगंज में विद्युत आपूर्ति नगर फीडर की भांति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	76
प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मिट्टी का तेल एवं चीनी की काला बाजारी रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्गत सूचना	76
जनपद छत्रपति साहू जी महाराज नगर के कर्वी तथा मऊ के बीच में मार्ग को चौड़ा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
लखनऊ शहर में दिनांक 21-6-98 को दो समुदायों में हुए विवाद को निपटाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	77–78
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	78–81
श्री प्रमोद कुमार के निलम्बन को वापस लेने की मांग	81–82
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	82–119
स्वास्थ्य की दृष्टि से तम्बाकू तथा उससे निर्गत उत्पादों की सार्वजनिक बिक्री एवं विज्ञापनों पर रोक लगाये जाने का संकल्प (स्वीकृत)	119–123
वित्तीय वर्ष 1998–99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	123–143
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	143
नत्थियां	144–148

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 जून, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उवैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां,	रामपुर
उर्फ नवेद मियां, श्री	
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
जटा शंकर, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल	गोरखपुर
उर्फ पप्पू भइया, श्री	
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रदीप कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बिन्दु लाल, श्री	गोण्डा
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
मानवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुराद लारी, श्री	देवरिया
राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम रतन यादव, श्री	सुल्तानपुर
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वहोरन लाल मौर्य, श्री	बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री	इलाहाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
श्रीराम, श्री	मऊ
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरिनारायण, श्री	बलिया
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 जून, 1998

(विधान सभा बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण और शहरी अंचलों में चीनी तथा मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था

**1–श्री राम ललित चौधरी तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय ग्रामीण और शहरी अंचलों में प्रति व्यक्ति कितने किलोग्राम चीनी तथा कितने लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ? क्या इसमें कुछ बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

प्रदेश में चीनी तथा मिट्टी के तेल की वितरण दर निम्नवत् है :–

चीनी

मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
1 कि०ग्रा० प्रति यूनिट प्रति माह (शहरी क्षेत्र)	1 कि०ग्रा० प्रति यूनिट प्रति माह
330 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह (ग्रामीण क्षेत्र)	

मिट्टी तेल

मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र
5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह (जिनके पास एल०पी०जी० गैस कनेक्शन हैं)	10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह (शहरी क्षेत्र)
10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह (सामान्य श्रेणी के लिये) (शहरी क्षेत्र)	5–10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह (ग्रामीण क्षेत्रों के लिये)
5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह (ग्रामीण क्षेत्र)	

भारत सरकार से प्रदेश को मिट्टी तेल तथा लेवी चीनी का कोटा प्राप्त होता है उसी के अन्तर्गत वितरण दर निर्धारित की गई है । अतः इसमें बढ़ोत्तरी किया जाना संभव नहीं है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिट्टी का तेल और चीनी के वितरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तर क्यों हैं, क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करेगी ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, 1982 में यह व्यवस्था लागू की गयी थी । इसके पीछे धेय यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी के अलावा गुड़ और खांड की उपलब्धता आसानी के साथ रहती है ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में चीनी की आवश्यकता ज्यादा रहती है, इसलिये यह व्यवस्था लागू की गयी थी ।

श्री राम ललित चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या देहात की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में गुड़ और खांडसारी की कमी है, वहां का सारा प्रोडक्ट शहरों में ही आता है तो फिर कमी कैसे हैं ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में यह चीजें ज्यादा आसानी से उपलब्ध हैं और लोगों की रुचि भी इन चीजों के लिये ज्यादा रहती है और शहरों में कम इस कारण से भी यह है ।

(श्री समरपाल सिंह का नाम पुकारने पर)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मिट्टी के तेल का उत्पादन देहात में कहां होता है ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय समर पाल सिंह जी को बुलाया है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं उन्होंने बताया कि 330 ग्राम चीनी पर यूनिट देहात क्षेत्र में दी जाती है । इसका मतलब एक तोला रोज प्रति व्यक्ति हुआ । तो क्या एक तोला चीनी पर्याप्त है । हमारी जानकारी में तो शहरों में चीनी बहुत कम खाई जाती है क्योंकि यहां डायबिटिक ज्यादा है । गांव में चीनी लोग ज्यादा खाते हैं । तो एक तोला चीनी से जीवन यापन हो सकता है क्या मंत्री जी इससे संतुष्ट हैं ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, 330 ग्राम को प्रदेश सरकार की ओर से बढ़ाये जाने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है । जब केन्द्र सरकार से कोटा मिल जयेगा तो हम उस आधार पर कोटा बढ़ायेंगे ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो वितरण प्रणाली है शकर और मिट्टी तेल का जो लाइसेंसी होता है वह पैट्टी डिजल लाइसेंसी होता है, गांव में वह इनको भी बेचता है शकर और मिट्टी के तेल के लाइसेंस गांव गांव देते हैं वहां पेटी डीजल लाइसेंस भी दिये जाते हैं तो क्या शकर और मिट्टी के तेल का जो वितरण करते हैं उनको पेटी डीजल लाइसेंस दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । आप अलग से प्रश्न कर लीजियेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, डीजल में मिट्टी का तेल मिला देते हैं ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, गेहूं, चावल और चीनी के अतिरिक्त मिट्टी के तेल के वितरण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा से जो प्रस्ताव किया जाता है उसी व्यक्ति को दुकान आवंटित की जाती है यही एक व्यवस्था है इसके अतिरिक्त कोई और व्यवस्था नहीं है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह तो सत्य है कि जो कोटा प्रदेश सरकार को मिलता है वह संभवतः 1990–91 की जनसंख्या के आधार पर मिलता है जो वर्तमान में अपर्याप्त है । मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि प्रदेश और केन्द्र में अपनी सरकार है तो माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रुचि लेकर केन्द्र सरकार से संबंध स्थापित करके वर्तमान जनसंख्या के आधार पर जितनी मात्रा में मिलना चाहिये उसे प्राप्त करने का कोई सार्थक प्रयास करेंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, पिछले कई महीनों से बराबर यह प्रयास किया जा रहा है । मैंने स्वयं भी केन्द्र सरकार के खाद्य मंत्री जी से संपर्क स्थापित करके प्रदेश की जन वितरण व्यवस्था के बारे में उनसे वार्ता की है । माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा भी कई पत्र लिखे गये हैं । अभी पिछले महीने हमने अनुरोध किया है कि खाद्यान्न वितरण में परेशानी हो रही है । जनसंख्या के आधार पर खाद्यान्न आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्तमान ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि उनको कार्य करने के लिये इनर्जी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है इसको ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी 300 ग्राम का कोटा बढ़ाने हेतु विचार करेंगे । दूसरे प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी बतायें कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति राशन कार्ड 10 लीटर मिट्टी का तेल जिनके पास गैस नहीं है उनको दिये जाने की व्यवस्था की गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या 10 लीटर प्रति राशन कार्ड पर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक मात्रा में कांटेदारों को मिट्टी का तेल आवंटित किया जाता है ।

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जिज्ञासा की है और कहा है कि 330 ग्राम को बढ़ाया जाय । मैंने पूर्व में उत्तर दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार से बराबर आग्रह किया जा रहा है कि चीनी का कोटा बढ़ा दिया जाय ।

अभी पिछली 4 मई को माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक पत्र भारत सरकार को लिख दिया है जिसमें मांग की गई है कि जनसंख्या के आधार पर आवंटन सुनिश्चित किया जाय । दूसरी बात माननीय सदस्य ने प्रस्तुत की है और यह प्रश्न किया है कि क्या 10 लीटर मिट्टी के तेल के आधार पर कोटा दिया जा रहा है ? मान्यवर, पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं कि माननीय सदस्य ने सम्भवतः उत्तर देख लिया होगा उसमें लिखा है कि 10 लीटर नगरीय क्षेत्र के उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास एल०पी०जी० कनेक्शन नहीं हैं । यह पूरे प्रदेश के लिये नहीं है और इस आधार पर बराबर आवंटन किया जा रहा है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, यह सवाल पूरे प्रदेश के जन जीवन से जुड़ा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसी के संदर्भ में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तमाम ऐसे लोग जो ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं जबकि वे उस गांव के

निवासी हैं और हर जगह नियमानुसार उनके नाम दर्ज हैं, ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनको चीनी और मिट्टी का तेल सरकार देने की व्यवस्था करेगी । प्रत्येक वर्ष जब भी शादियां होती हैं शासन की तरफ से हमेशा-हमेशा उसके लिये अतिरिक्त चीनी की व्यवस्था होती है लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सहालक के समय में इस तरह से अतिरिक्त चीनी की व्यवस्था का शासन द्वारा न किया जाना पहली बार हो रहा है । इसका कारण क्या है ? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था नहीं हुई है, यह मूल प्रश्न से जुड़ा नहीं है । मंत्री जी इस बात का उत्तर दे दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं उनको चीनी और मिट्टी का तेल दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, उनको बराबर दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं अर्थात् जिनके किन्हीं कारणों से नष्ट हो गये हैं उनकी सूची उपलब्ध है और उसके आधार पर दिया जा रहा है । दूसरी बात यह है कि नये राशन कार्ड भी इश्यू हो रहे हैं ।

श्री रामजग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि मिट्टी का तेल और चीनी प्रभावशाली व्यक्ति गांव में महीने-महीने तक नहीं बांटता है क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि ग्रामीण अंचलों में चीनी और मिट्टी के तेल का वितरण निश्चित रूप से हो सके ?

श्री एजाज रिजवी–

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न और मिट्टी के तेल का आवंटन सुनिश्चित करने के लिये सतर्कता समितियों का गठन किया गया है । ग्राम प्रधान सत्यापित करते हैं । जब तक वह सत्यापित नहीं कर देते कि वितरण सही तरीके से किया गया है, तब तक कोटा नहीं दिया जाता है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

विभाग का अनुदान आयेगा तब पूछ लीजियेगा ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से व्यवस्था थी कि गन्ना किसानों को चीनी मिले । उनके गन्ने की सप्लाई के आधार पर उन्हें सस्ते दर पर मिल से चीनी उपलब्ध कराते थे । क्या इस साल इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है ? क्या चीनी मिलों से गन्ना किसानों को पिछली व्यवस्था के आधार पर चीनी उपलब्ध करवायेंगे ? दूसरा माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार से कोटा मिल जायेगा तो प्रति राशन कार्ड बढ़ा देंगे । अगर नहीं मिलता है तो ग्रामीण लोगों के साथ जो भेदभाव कर रखा है क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बराबर कर देंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में वितरण किये जाने के लिये जो अतिरिक्त कोटे की आवश्यकता है उसके लिये भारत सरकार से वार्ता चल रही है मुझे आशा है कि भारत सरकार हमें कोटा देगी और उसके आधार पर बराबर देने की व्यवस्था लागू करेंगे ।

श्री राम सिंह सैनी–

ग्रामीण क्षेत्र में कुंठा व्याप्त है ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में श्री समरपाल जी ने प्रश्न किया जब तक वहां व्यवस्था नहीं होती है तब तक यह व्यवस्था की जाए कि ग्रामीण लोगों को थोड़ा ज्यादा मिट्टी का तेल और चीनी ज्यादा देकर बराबर करने की व्यवस्था की जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी इसका भी उत्तर देने का कष्ट करें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह दूसरा प्रश्न है ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, गांव के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री समरपाल सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इसमें चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री रामजग–

ग्रामीण लोगों के साथ जो भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है उसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री रामजग अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक प्रश्न मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रश्न संख्या–2 पुकार लिया है पाण्डेय जी खड़े हो गये हैं । वह प्रश्न समाप्त हो गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री जगदम्बिका पाल सदन त्याग कर चले गये)

(श्री राम नरेश यादव भी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

प्रदेश की सरकारी सेवाओं में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति विषयक जानकारी

**2—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की सेवाओं में रिक्त पड़े हजारों पदों के भरे जाने का निर्णय वर्तमान सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें भरे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का विघटन हो जाने के फलस्वरूप रिक्त पदों को भरे जाने में कठिनाई आ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई प्रभावी और निष्पक्ष वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

उत्तर प्रदेश राज्याधीन समूह "ग" के लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने का निर्णय लिया गया है ।

जी हां, कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है ।

रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 दिनांक 9 जून, 1998 को प्रख्यापित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के विभिन्न संवर्गों के 27 पद लोक सेवा आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट कर दिये गये हैं तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों हेतु चयन प्रक्रिया नियमावली बना दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 प्रख्यापित की जा चुकी है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री रामसिंह सैनी–

मान्यवर, आवाज साफ नहीं आ रही है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पदों की संख्या है वह कितनी है ?

श्री अध्यक्ष–

जरा जोर से बोलें ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

जो पदों की संख्या है वह कितनी है और खाली पदों की चयन प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी ।

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

समूह "ग" के लगभग साढ़े पैंतालीस हजार पद हैं जिन पर विचार किया जा रहा है । इन पदों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच विज्ञापन निकाल दिये जायें और चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह पद कैसे भरे जायेंगे ? सरकार ने क्या तय किया है ? इसकी प्रक्रिया क्या होगी ? लोक सेवा आयोग को जिन पदों को आपने भेज दिया है तो लोक सेवा आयोग में तो वैसे ही देर हो रही है । जो 27 श्रेणी के पद आपने लोक सेवा आयोग को भेजे हैं उन पदों को यहां से भरने की कोई प्रक्रिया आप प्रारम्भ करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

लोक सेवा आयोग को जिन 27 श्रेणियों के पदों को भेजा गया है वह चयन प्रक्रिया लोक सेवा आयोग ही करेगा । उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है । शेष पदों के संबंध में नियमावली प्रख्यापित की गयी है, जिसमें पूरी प्रक्रिया बता दी गयी है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहकारिता विभाग में आडिट अभियान के अन्तर्गत पाये जाने वाले घोटाला के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कृत कार्यवाही

*1.–श्री जगदम्बिका पाल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में विशेष आडिट अभियान के दौरान 535 करोड़ रुपये की अनियमितता का पता चला है ? यदि हां, तो इतने बड़े घोटाले के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (पटेल राम कुमार वर्मा)–

जी नहीं, सहकारिता विभाग द्वारा कोई विशेष आडिट अभियान नहीं चलाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैंने प्रश्न किया था कि क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में विशेष आडिट अभियान के दौरान 535 करोड़ रुपये की अनियमितता का पता चला है ? मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कोई विशेष आडिट अभियान नहीं चलाया गया । तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हो सकता है कि कोई विशेष आडिट अभियान न चलाया हो लेकिन सहकारिता विभाग में कतिपय अनियमितताओं को लेकर आडिट विभाग ने कुछ अनुशंसाएं की थी जिस पर पिछले दिनों सरकार ने सी० बी० आई० को जांच कराने की संस्तुति की थी । जिन विन्दुओं पर सरकार ने जांच सौंपी थी वह कौन-कौन से बिन्दु हैं और सहकारिता विभाग ने कोई तो जांच की होगी ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो 535 करोड़ की बात उन्होंने की है वह वर्ष 1953 से लेकर मार्च, 1997 के बीच का मामला है । जो विशेष आडिट के अन्तर्गत आया है। यह धनराशि इसी बीच के समय की है । इस सरकार ने कोई विशेष आडिट अभियान नहीं चलाया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि कोई विशेष आडिट अभियान नहीं चलाया गया और अनुपूरक प्रश्न में कहते हैं कि यह मामला विशेष आडिट के अन्तर्गत का है । तो सही बात सदन के अन्दर आनी चाहिए । इस उत्तर से सदन के सदस्य गुमराह होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने साफ कहा है कि कोई विशेष आडिट अभियान नहीं चलाया गया है । यह 535 करोड़ रुपये की बात वर्ष 1953 से 1997 के बीच की है । यह दूसरे अभियान में मामले पकड़े गये ।

पटेल राम कुमार वर्मा–

कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया जो विशेष आडिट रिपोर्ट थी उसको कम्प्लायन्स कराने का सरकार ने काम किया है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जब से आप सहकारिता मंत्री हुये हैं सहकारिता विभाग में हुई अनियमितताओं की आपने जांच कराई है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाया है सहकारिता विभाग की अनियमितताओं के संबंध में जो जांच करायी है, चाहे आडिट के माध्यम से या अन्य कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है उसमें कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, कितने अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार थे और कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, विशेष अभियान के तौर पर 1352 प्रकरणों का कम्प्लायन्स कर रहे हैं जिसमें 19 करोड़ 22 लाख रुपये का मामला सामने आया है और 410 एफ० आई० आर० लाज करायी गयी है, 298 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है और 85 लोग गिरफ्तार किये गये हैं, 99 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, 91 जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है । 328 सचिवों को निलम्बित किया गया, 58 लोग हटाये गये, 32 का सेवाओं से निलम्बन किया गया । जिला सहकारी बैंक के दो वरिष्ठ प्रबन्धक को सस्पेंड किया गया और 150 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया । 11 को सेवा से निकाला गया । एक सहायक महाप्रबन्धक, एक प्रबन्धक, एक वरिष्ठ प्रबन्धक और 4 अन्य अधिकारी वर्ग के लोगों का निलम्बन किया गया । दो लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है । जिला सहायक निबन्धक और उप-निबन्धक के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है । मान्यवर, हमने कार्यवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में साधन सहकारी समितियों में घपले हुए और उन घपलों की जांच में सचिव एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दो-तीन साल पहले हुए हैं लेकिन आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुए हैं, क्या माननीय मंत्री जी ऐसे साधन सहकारी समितियों के सचिवों के विरुद्ध एफ० आई० आर० लॉज करने की कार्यवाही करेंगे ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रत्येक दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । इसमें सरकार कोई संकोच नहीं करेगी ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, जनपद लखीमपुर में कोआपरेटिव सहकारी बैंक और सहकारी समितियों में तमाम नियुक्तियां बिना किसी कायदे-कानून के की गयी हैं और अब उन्हें समायोजित किया जा रहा है, यह खबर लखीमपुर के दैनिक समाचार पत्रों में छपा है, क्या उनके खिलाफ माननीय मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, इस संबंध में आप माननीय मंत्री जी से अलग से जानकारी ले लें।

श्री सुधाकर सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 1953 से लेकर 1997 तक 535 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें मऊ जनपद में कितना हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

आपका एक जनपद विशेष से संबंधित प्रश्न है, आप माननीय मंत्री जी से अलग से प्रश्न पूछ लें। अगर माननीय मंत्री जी के पास जनपदों की सूचना हो तो बता दें।

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के जवाब से पता चला कि बहुत ही गम्भीर मामला है जिसमें कि बहुत से लोगों ने गबन किया और काफी लोगों के ऊपर मुकदमा बना लेकिन मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि कितने करोड़ रुपये का गबन है और उसकी क्षतिपूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है ? कब तक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी और क्या उसकी कोई समय सीमा तय करेगी ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि केस के हिसाब से अलग-अलग प्रकरण हैं। उनका निस्तारण विशेष अभियान के तौर पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री लालजी वर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभिन्न साधन सहकारी समितियों में गबन के द्वारा, अन्य अनियमितताओं के द्वारा किये गये जो घपले प्रकाश में आये हैं, जिनके कारण साधन सहकारी समितियां बड़े पैमाने पर डिफाल्टर हो गयी हैं, क्या माननीय मंत्री जी किसानों के हित में उक्त साधन सहकारी समितियों को विशेष अनुदान देकर, या बैंकों से क्रेडिट बनवाने की कृपा करेंगे ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, इस तरह की चार हजार समितियां थीं, जो बन्द थीं, वरीयता के आधार पर उनमें से तीन हजार को प्रारम्भ किया गया है। हमारा प्रयास है कि समितियां प्रारम्भ हों, लेकिन जिनके रिकार्ड नहीं हैं, निष्प्राण हैं, उनके संबंध में थोड़ा दिक्कत है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को सुविधा मिला, इसके लिये वरीयता पर प्रयास कर रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कार्यवाही की और कार्यवाही के अन्तर्गत काफी लोगों के खिलाफ एफ० आई० आर० भी लिखाई गई, निलम्बित भी किया गया, इसके लिये धन्यवाद। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आडिट में अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं। उन अनियमितताओं में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये क्या शासन कोई आयोग अथवा उच्च स्तरीय समिति बनाकर, निश्चित समय के अन्तर्गत कार्यवाही करने पर विचार करेगा ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, जो मामले थे, उनका अभी तक निस्तारण नहीं हो पा रहा था, इसके लिये रजिस्टार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, ताकि जिन्होंने गलतियां की हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस समिति में रजिस्ट्रार हैं, एस० आई० बी० कोआपरेटिव सेल के पुलिस अधीक्षक हैं, योजना के निदेशक हैं, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी हैं, वित्तीय सलाहकार आदि हैं, यह सब प्रभावी ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया गया है।

प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण रोके जाने विषयक योजना की जानकारी

*2—श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या सरकार प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए एवं अपराधों को रोकने के लिए पुलिस बल की व्यवस्था की जानकारी

*3—श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि क्या प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस बल पर्याप्त है यदि नहीं, तो क्यों और क्या सरकार अपराधों को रोकने के लिये पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक एवं उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिवर्षता/अन्य आकस्मिकताओं के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है । इसके कारण आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त पुलिस बल है । अस्त्र शस्त्रों, संचार उपकरणों, वाहनों एवं कम्प्यूटर इत्यादि अन्य संसाधनों के माध्यम से पुलिस बल का आधुनिकीकरण कर उसे और प्रभावशाली बनाया जा रहा है ।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में कितनी पुलिस चौकी तथा पुलिस थानों की आवश्यकता है तथा मानक के अनुसार कितनी जनसंख्या पर कितना पुलिसबल होना चाहिए ?

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जहां तक मानक का प्रश्न है, उसके अनुसार नगरीय क्षेत्र में 50 हजार की जनसंख्या पर एक थाना होना चाहिए, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख की जनसंख्या पर एक थाना होना चाहिए। यह एक सतत् प्रक्रिया है, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, पुलिस बल की आवश्यकता बढ़ती रहेगी । जो हमारा पुलिसबल है, उसके आधुनिकीकरण के लिये हम लोग प्रयास कर रहे हैं । इस समय पूरे प्रदेश में 1470 थाने हैं, आगे वर्तमान संख्या के हिसाब से 1103 का प्रस्ताव आया है, संसाधन उपलब्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी । इसके बन जाने के बाद वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से जो मानक हैं, वह पूरा हो जायेगा । इसी प्रकार 8,500 पुलिस जवानों को भर्ती करने का प्रस्ताव है, यह भी सितम्बर तक पूरा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो जायेगा, साथ ही साथ तीन हजार पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती करने का भी प्रस्ताव है, जो सितम्बर तक पूरा हो जायेगा । वह कार्यक्रम भी सितम्बर तक पूरा हो जायेगा । तो जो इस वक्त की जनसंख्या है उसमें एक लाख का आधार मानकर, 50 हजार का आधार मानकर इसको किया जा रहा है । यह सितम्बर तक पूरा हो जायेगा । यह गैप बहुत पुराना चला आ रहा था इसको भरने का प्रयास हो रहा है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि देहाती क्षेत्रों में एक लाख की जनसंख्या पर पुलिस थाने बनाये जाते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर पुलिस थाने बनायेंगे और पश्चिमी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर बनायेंगे । पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में पुलिस बल का क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष–

पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र से आपका आशय क्या है ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, लखनऊ से पूरब की तरफ और लखनऊ से पश्चिम की तरफ ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरे पास उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर जानकारी है । उत्तर प्रदेश का विभाजन पूरब और पश्चिम के आधार पर नहीं है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जोन वाइस बता दें लखनऊ जोन, इलाहाबाद जोन और गोरखपुर जोन हैं इस तरह से जोन वाइस आंकड़ा हो तो उसको बता दें ? पूरब पश्चिम के आधार पर विभाजन नहीं है तो जोन के आधार पर विभाजन है । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इसमें काफी असमानता है । इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पूरब के जो जोन हैं इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ और बनारस जोन हैं इसका अनुपात क्या है और पश्चिम के जोन का क्या अनुपात है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बता तो दिया कि प्रदेश का मानक क्या है कितने थानों की कमी है और उसमें सब इन्स्पेक्टर और सिपाही की जो कमी है उसको भरने का प्रयास हो रहा है । पूरे प्रदेश का अलग-अलग मानक नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश शासन के पास प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कितने नये थानों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

1103 नये पुलिस थानों को बनाये जाने का प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक के यहां से आते हैं । 1103 का प्रस्ताव आया है और उतने ही स्थापित किये जा रहे हैं ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के बहुत से जिले ऐसे हैं जहां अपराध बहुत ज्यादा है जैसे मेरठ मंडल में, सहारनपुर में, वहां अपहरण और लूटपाट की घटनाएं ज्यादा हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसे क्षेत्रों में पुलिस बल मानक से अधिक बढ़ाने की कृपा करेंगे ? पुलिस को शस्त्रों से लैस और आधुनिकीकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें थानों की स्थापना एक हिस्सा मात्र है जैसा माननीय सदस्य ने शस्त्रों से लैस करने की बात कही है और आधुनिकीकरण की बात है तो पुलिस बल के पास साधन भी हैं और साथ ही साथ हथियार भी हैं । जहां तक अपराधों की बात हैं तो जहां-जहां अपराध बढ़ रहे हैं तो वहां पर पुलिस को अधिक गतिशील बनाया जा रहा है, नई गाड़ियां दी जा रही हैं, 290 थानों में टेलीफोन की व्यवस्था सुनिश्चित हो चुकी है, ए०के० 47, ए०के० 56 और एस०एल०आर० पुलिस बलों को दी जा रही है । मान्यवर, अपराध को देखते हुए, उसकी प्रवृत्ति को प्रकृति को देखते हुए जो भी आवश्यक है वह व्यवस्था की जा रही है ।

कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो क्षेत्र हैं वहां पर 50 हजार से कम आबादी पर थाना बनाने पर विचार किया है हमारे यहां पूर्व राज्यपाल श्री मोतीलाल बोरा ने वहां पर 13 फोर्स खोलने की बात कही थी मान्यवर, जिला कुशीनगर में खड्डा क्षेत्र पड़ता है । मान्यवर, जंगल पार्टी हमारे जिले में सक्रिय है । महराजगंज पड़रौना कुशीनगर जिले प्रभावित हैं । मान्यवर, 50 हजार की आबादी बार्डर पर किसी अन्य जिले में नहीं मिलेगी । तो क्या आप वहां की विशेष परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए इसमें नियमों को शिथिल करेंगे वहां विशेष जरुरत हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो स्थिति मैंने बताई थी वह सामान्य पुलिस की बताई थी । माननीय सदस्य ने बताया है कि वहां की स्थिति अलग है । मान्यवर, इसके अतिरिक्त पी०ए०सी० कम्पनी की जहां आवश्यकता पड़ती है वहां लगाने की कार्यवाही की जाती है । मान्यवर, हमने एक नया बल गठित किया है । इण्डो–नेपाल बार्डर उसकी रेंज भी स्थापित हो चुकी है । मान्यवर, यह सामान्य स्थिति है और जहा-जहां ऐसी स्थिति है वहां व्यवस्था की जा रही है ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, कई जगह तहसील हेड क्वार्टर के थानों को अपग्रेड करके कोतवाली बना दिया गया है । लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी हैं जिनकों कोतवाली नहीं बनाया गया है । तो क्या इन तहसीलों में थानों को कोतवाली में अपग्रेड करने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कोई नयी तहसील बनी हो वहां कोतवाली न बन पायी हो लेकिन अधिकांशतः कोतवाली स्थापित हो चुकी हैं ।

(व्यवधान)

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, हमारे यहां पर लहरपुर तहसील है वहां कोतवाली नहीं बन पायी हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी कई माननीय सदस्य बता रहे हैं कि जहां तहसील स्थापित हो चुकी हैं वहां यह व्यवस्था नहीं हो पायी है । आप इसका संज्ञान ले लीजिएगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर अपराधों की भिन्न स्थिति है । पैकेज इसका बनाया गया था क्योंकि वहां विशेष तरह की भौगोलिक स्थिति है । भिन्न तरह के अपराध उस इलाके में होते हैं इस संबंध में पुलिस व्यवस्था के लिये एक नये ढंग का पैकेज कार्यक्रम सरकार के सामने विचाराधीन था, इस पर कब तक निर्णय ले लेंगे । इन क्षेत्रों को ठीक करने के लिये उस पैकेज का क्या होगा ?

श्री हुकुम सिंह–

निर्णय लेने की मान्यवर, जो बात है, निर्णय ले चुके हैं, कार्यवाही हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, जो कोतवाली की बात आयी थी तो उसमें दूरी और भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । जो कोतलली की बात हैं मैंने मंत्री जी से संज्ञान लेने के लिए कह दिया है ।

[दिनांक 22 जून, 1998 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ऊधम सिंह नगर में कुख्यात आतंकवादी के विरुद्ध शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जुलाई, 1997 में ऊधम सिंह नगर में पुलिस द्वारा कई कुख्यात आतंकवादी गिरफ्तार किये गये ? यदि हां, तो आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) जी हां । माह जुलाई, 1997 में जनपद उधमसिंह नगर में 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस एवं अभिसूचना इकाइयों का सुदृढ़ीकरण किया गया है । इसके अतिरिक्त आतंकवादियों के संचरण/विचरण एवं उनके सम्पर्क सूत्रों/सम्भावित शरण स्थलों पर सतर्कदृष्टि रखी जा रही है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि माह जुलाई, 1997 में 6 आतंकवादी गिरफ्तार किये गये थे। उसके बाद से अब तक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ? दूसरा, आतंकवाद से प्रभावित कितने प्रमुख जिले हैं ?

आई०एस०आई० के निशाने पर बहुत से प्रमुख व्यक्ति हैं, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह की प्राणों की रक्षा करने के लिये वर्तमान सरकार क्या विशेष उपाय कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित जो हमारे जनपद हैं उनमें पीलीभीत, नैनीताल, खीरी, बिजनौर, शाहजहांपुर, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, कानपुर, फैजाबाद, उन्नाव, अलीगढ़, बहराइच, सहारनपुर, मुज्जफरनगर, पौढ़ीगढ़वाल, देहरादून, लखनऊ, हरिद्वार, मुरादाबाद और महराजगंज।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

केन्द्र सरकार द्वारा तथा अपने यहां की जो अभियोजन इकाइयां हैं, उनके मुताबिक मुख्य व्यक्ति आई०एस०आई० के निशाने पर हैं। क्या माननीय श्री कल्याण सिंह जी आई०एस०आई० के निशाने पर हैं, यदि हां तो उनके प्राणों की रक्षा के लिये क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, प्रश्न के दो भाग हैं। पहला, जनपदवार कितने गिरफ्तार हुए। इसकी विस्तृत जानकारी मेरे पास है, घटनाओं की भी विस्तृत जानकारी मेरे पास है। पूरा बताने में 10 मिनट का समय लग जायेगा। संक्षेप में आप कहें तो कुल संख्या 427 है अप्रैल, 1998 तक।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

इस प्रश्न को पूछने का मूल कारण यह था कि पिछले दिनों जब माननीय मुख्य मंत्री जी बनारस गये थे तो उनकी हत्या करने के लिये बम रखे गये थे। यह भी पुष्ट है कि उनकी हत्या के लिये आई०एस०आई० लगी हुई है। इसलिये मैंने पूछा कि उनकी रक्षा करने के लिये कोई विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

किसी भी विशिष्ट व्यक्ति, चाहे वह वर्तमान मुख्य मंत्री हैं या कोई अन्य, उनकी रक्षा करने के लिये बहुत से कदम उठाये जाते हैं। वह गोपनीय रखे जाते हैं। इसलिये मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं करूंगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, जो आतंकवादी जिले निश्चित किये गये हैं उसमें जनपद बहराइच भी है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपद बहराइच में ऐसे कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और आतंकवादियों से निपटने के लिये क्या जनपद बहराइच में कोई विशेष व्यवस्था की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद बहराइच में तीन चार घटनाएं हुई हैं। तीन घटना 1996 में और एक घटना 1998 में हुई है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है । मैंने यह पूछा था कि आतंकवादियों से निपटने के लिये क्या कोई विशेष व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो सामान्य सा प्रश्न है । जब गृह विभाग का बजट आयेगा तब आप पूछ लीजियेगा ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा था कि प्रदेश के मुख्य मंत्री की जान को खतरा है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में उनकी जान को खतरा है और अगर वह है तो वह किससे है और क्या कदम उनकी सुरक्षा के लिये उठाये जा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में कई स्थानों पर आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं और यह सरकार की जानकारी में भी है । यह सरकार की चिन्ता है और हम प्रयास कर रहे हैं कि आतंवादी के षडयंत्रों को सफल न होने दें और इसलिये हमने विशेष पुलिस दल गठित किये हैं और जो प्रभावित जिले हैं जैसे उधम सिंह नगर जैसे उन पर हमारी नजर है और हमने एक आई०जी० स्तर के अधिकारी को तैनात किया है उसको देखने के लिये । और भी प्रदेश में बराबर निगाह रखी जा रही है कि आतंकवादी कहां-कहां से आ रहे हैं और उनको कैसे रोका जाय ? इसकी विस्तृत जानकारी आगे एक प्रश्न आ रहा है उसमें बता दूंगा ।

(प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में कहा गया था । हमारे पाल साहब को भी बराबर धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं उनके जान को खतरा है क्या उनकी सुरक्षा के बारे में कोई व्यवस्था सरकार करेगी ?

(व्यवधान)

(इस समय 11 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने प्रश्न संख्या–2 पुकार लिया है । माननीय पोइया जी उपस्थित हैं ।

(श्री अजय कुमार पोइया उपस्थित नहीं थे ।)

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय राम तेज जी आपसे पूछ रहे हैं । क्या माननीय सदस्य को किसी की हत्या करने का प्रयास करने संबंधी सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता–

जो मूल प्रश्न पूछा गया था वह आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित था । जहां तक सुरक्षा की बात है यह तो चिन्ता का विषय है ही । लेकिन यह प्रश्न आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में है ।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी तो हेलीकोप्टर से आते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं लेकिन हमारे पाल साहब को बराबर धमकी दी जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आप बेठें । मैंने प्रश्न संख्या–3 पुकार लिया है ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहता हूं कि.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने निवेदन किया कि किसी सदस्य की सुरक्षा करना शासन का दायित्व है ।

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

सभी सदस्यों के जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अगला प्रश्न बुला लिया है और माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देने के लिए खड़े हैं । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । इस प्रश्न को उठाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(व्यवधान)

यह केवल आपकी चिन्ता का विषय नहीं है । सभी की चिन्ता का विषय है, लेकिन उसको आप उचित समय पर उठायें ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय सदस्य को धमकी दी गयी है । इनकी जान माल का खतरा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । अगर कोई इस तरह की बात संज्ञान में आती है, तो उस पर कार्यवाही हो ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य राम तेज यादव जी आप अपने स्थान पर बैठ जायें । व्यवधान न उपस्थित करें । सैनी जी आप प्रश्न करें ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान में इंगित विसंगतियों के निस्तारण हेतु प्राप्त पत्र पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

*2–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान में इंगित विसंगतियों के निस्तारण हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का पत्र दिनांक 17 फरवरी, 1997 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि

हां, तो क्या सरकार वेतन विसंगतियों को दूर करने एवं वर्ष 1991 से नया वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का 17-2-1997 का पत्र मुख्यालय के लेखा शाखा के अनुभाग अधिकारी के वेतन विसंगति के बारे में शासन को प्राप्त हुआ । परन्तु वेतन विसंगतियों के बारे में पूर्व में ही सार्वजनिक उद्यम विभाग में विचार किया गया । विचारोपरान्त सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र संख्या–150/पीआरसी/चौवालिस–1/1994–31/उदेरि/92, दिनांक 22/24 फरवरी, 1994 द्वारा जिन पदों पर विसंगतियां पायी गयीं, उनका निराकरण कर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सूचित किया जा चुका है । समता समिति द्वारा संस्तुत वेतनमानों में अन्य कोई विसंगति नहीं पायी गयी । सार्वजनिक उद्यम विभाग के उपर्युक्त पत्र के परिपेक्ष्य में वर्ष 1991 से अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय लेखा शाखा या अन्य किसी को नया वेतनमान दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

सचिव संवर्ग के पदों पर आरक्षण कोटा विषयक जानकारी

*3–श्री राम औतार शाक्य तथा डा० राम सिंह सैनी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव संवर्ग के पदों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण का कोटा पूरा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण नियमित चयन नहीं हो पाने के कारण ।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहता हूं कि जो पिछड़े वर्ग का और अनुसूचित जातियों का कोटा है, वह पूरा क्यों नहीं है । कितने लोग इन जातियों के हैं, इसको मंत्री जी बता दें ।

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रश्न को सुन नहीं पाया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य प्रश्न दुहरा दें ।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इन पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के पदों को क्यों नहीं भरा गया है, उनका कोटा क्यों नहीं भरा गया है, कितने ऐसे पद हैं जिन पर कोटा नहीं भरा गया है और कब माननीय मंत्री जी कोटा पूरा कर देंगे ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में अंकित किया है कि धनाभाव के कारण नियमित चयन नहीं हो पाया । इसी कारण यह कोटा पूरा नहीं हो पाया ।

श्री राम सिंह सैनी–

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने धनाभाव की बात की है, तो धन की व्यवस्था करके कब तक उनका कोटा भर देंगे ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में शासन इस बात के लिये कटिबद्ध है कि जो नियमावली प्रस्तावित है उसके अनुसार रिक्त पदों में आरक्षण कोटा को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री सैनी जी की प्रश्न पूछने की मंशा थी कि सचिव संवर्ग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के कर्मचारियों का कोटा पूरा किया गया है कि नहीं इस संबंध मे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जितने कर्मचारी है उनमें आरक्षण का कोटा कितने प्रतिशत पूरा है कितने प्रतिशत की कमी है और उस कमी को पूरा करने में इस समय क्या स्थिति है ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में कार्यरत सचिवों की जो संख्या है और उसका जो प्रतिशत है वह इस प्रकार है । कुल कर्मचारियों की संख्या 6,175 है जिसमें कार्यरत सचिवों की संख्या अनुसूचित जाति की 268, अनुसूचित जनजाति की 16 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 984 है । इस प्रकार कार्यरत सचिवों के सापेक्ष कार्यरत संख्या का प्रतिशत 4.34, 0.25 और 15.93 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध होता है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री बरखूराम वर्मा जी आप प्रश्न पूछ लें । (व्यवधान)

माननीय सदस्य आप लोग बैठ जायें चूंकि मैंने श्री बरखूराम वर्मा जी को बुला लिया है (व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, सचिवों की नियुक्ति में सरकार वित्तीय कठिनाई बता रही है । मान्यवर, यह सरकार हरिजन विरोधी है । इसलिये हम और हमारी पार्टी के माननीय सदस्य सदन का वाकआउट करते हैं ।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अभी बताया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के पद रिक्त हैं और आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है लेकिन सचिवों की नियुक्ति में वित्तीय संसाधनों की कमी बताकर भर्ती नहीं की जा रही है । इसलिये भविष्य में जब संसाधन हों तो उस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की नियुक्ति हेतु क्या सरकार विशेष अभियान चलाकर आरक्षण कोटा को पूरा करने का प्रयास करेगी ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, निश्चित रूप से भर्ती करने के लिये नियमानुसार जो आरक्षण कोटा है उसको पूरा करने का सरकार प्रयास करेगी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया है कि विशेष अभियान द्वारा क्या इन जातियों का आरक्षण कोट सरकार पूरा करेगी ।

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया है कि सचिवों के वेतन भुगतान की पुनर्समीक्षा चल रही है । समस्या है वर्तमान सचिव जो हैं उनके वेतन का भुगतान कैसे करें । इसलिये यह मामला शासन में विचाराधीन है जब भविष्य में भर्ती होगी तो आरक्षण का कोटा सरकार पूरा करेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अंतिम प्रश्न करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं जानना चाहता हूं, जब कभी आपके पास संसाधन होंगे उस समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कोटे को कैरी फारवर्ड की स्कीम को मस्तिष्क में रखते हुये उसे पूर करेंगे ।

पटेल राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य की जिज्ञासा पूर्ण करना चाहता हूं कि भर्ती की जो प्रक्रिया है उसी के अन्तर्गत भर्ती की जायेगी ।

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, माननीय सहकारिता मंत्री जी का जो उपेक्षापूर्ण बयान है वह बहुत ही बचकानी है । सरकार के आरक्षण विरोधी होने के विरोध में हम सदन त्याग करते हैं ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

पटेल राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, यह खाली ढिंढोरा पीटते हैं यह इन्हीं के समय की बात है ।

श्री राम जग–

मान्यवर, इनकी इस नीति के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा०) सदन त्याग करती है ।

(श्री राम जग, अपने दल के सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

विधान मण्डल द्वारा अनुमोदन के पश्चात् वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में सरकार की निर्धारित नीति की जानकारी

*4–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल द्वारा अनुमोदन के पश्चात् वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के संबंध में बजट मैनुअल के पैरा 88 तथा 92 में दी गई व्यवस्था निम्नानुसार है :–

पैरा-88—ज्यों ही विधान सभा वार्षिक वित्त विवरण (आय-व्ययक) में सम्मिलित किये गये अनुदानों की मांगें स्वीकृत कर लें और विनियोग अधिनियम द्वारा विधान सभा द्वारा स्वीकृत राशियों के राज्य की संचित निधि में से भुगतान किये जाने और विनियोग करने की स्वीकृति मिल जाय तथा उस निधि पर भारित राशियों को भी प्राधिकृत कर दिया जाय, त्यों ही वित्त विभाग इसकी सूचना सचिवालय के सभी प्रशासनिक विभागों को देगा और साथ ही यह भी बतला देगा कि मांगे पूर्णतया स्वीकृत की गई हैं या विधान सभा ने सारभूत या प्रतीक कटौती करके किन्हीं धनराशियों को निकाल दिया या कम तो नहीं कर दिया है और यह भी कि ऐसी प्रत्येक कटौती का क्या प्रयोजन या उद्देश्य था ? प्रशासनिक विभाग इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि विभिन्न विभागाध्यक्षों और उनके अधीन अन्य नियंत्रण अधिकारियों को आय-व्ययक प्रदिष्टियों (बजट एलाटमेन्ट्स) की सूचना देने के लिए वे तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें ।

पैरा–92–"यह आवश्यक है कि स्वीकृतियों की सूचना भेजने का और अनुदानों के वितरण का कार्य यथासम्भव अविलम्ब कर दिया जाय । इस कार्य को अप्रैल महीने के अन्त के पूर्व ही पूरा करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए । इसके लिए प्रशासनिक विभागों को चाहिए कि वे विधान सभा द्वारा सम्बन्धित अनुदान मांगों के स्वीकृत किये जाने के तुरन्त बाद ही इस बात की प्रतीक्षा किये बिना कि विनियोग अधिनियम अन्तिम रूप से पारित हो जाय और वित्त विभाग उन्हें आय-व्ययक प्रदिष्टियों की औपचारिक सूचना दे, आवश्यक शासनादेश के आलेख तैयार कर लें । जहां आवश्यकता हो इन आलेख्यों को वित्त विभाग को सहमति के लिए भेज देना चाहिए और उन्हें शुरू अप्रैल में जारी करने के लिए स्वच्छ प्रतियों के साथ तैयार रखना चाहिए" ।

केन्द्र की भांति उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समितियों के गठन के सम्बन्ध में जानकारी

*5–श्री राजधारी–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र की भांति उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न मंत्रालयों से सम्बद्ध परामर्शदात्री समितियों के गठन पर सरकार विचार कर रही है । यदि हां, तो यह समिति कब तक गठित कर दी जायेगी और उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा जो प्रश्न है विधान सभा की कार्यवाही और अन्य सरकारी विभागों के कार्यों की दक्षता के सन्दर्भ में है । दुनियां की सबसे बड़ी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम में हाउस आफ कामन्स होता है जिसमें हमारी लोक सभा है उसके अन्दर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित समितियां गठित है जो विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिये सुझाव देती हैं तो उसका संज्ञान लेकर सदन में बजट प्रस्तुत किया जाता है । तो क्या विधान सभा के अन्दर इस तरह की समितियों के गठन करने की प्रक्रिया अपनायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह केवल सरकार द्वारा अपनाने की प्रक्रिया नहीं है । यह सभी के परामर्श से प्रक्रिया में संशोधन होता है मैं जानकारी के लिये इतना निवेदन कर दूं एक बार 1986-87 में इस समस्त प्रकरण पर विचार किया गया । उस समय भी मैं संसदीय कार्यमंत्री था, यह प्रस्ताव आया था और विचारोपरान्त वह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया । इस समय इस प्रकार का कोई विचार नहीं चल रहा है । चूंकि कोई विचार नहीं चल रहा है इसलिये इस प्रकार की समितियों के गठन के बारे में मैं नहीं कह सकता ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले सदन में इस पर विचार हुआ था और सभी नेताओं से बात करके बात आई थी कि सभी नेताओं से बात करके लागू करने का प्रयास किया जायेगा । आपने भी संभवतः आश्वासन दिया था । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस समय इसे लागू करने में क्या कठिनाई है । अगर कोई कठिनाई हो तो इस सिस्टम को सरकार लागू करेगी । आप स्वयं विदेशों में हो आये हैं अधिकांश देशों में पार्लियामेन्ट्री सिस्टम में इस तरह की व्यवस्था लागू है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें कि इसको लागू करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने किसी कठिनाई का उल्लेख नहीं किया, वस्तुस्थिति के बारे में निवेदन किया । माननीय अध्यक्ष जी जब अपने स्तर से नेताओं और सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलायें और उसमें विचार हो जाये । विचार करने के बाद जो आवश्यक होगा उसे लागू करने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मेरी ओर आपकी दृष्टि नहीं पड़ती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी ओर तो सदैव मेरी दृष्टि रहती है । अभी पिछले प्रश्न में आपने जिज्ञासा जाहिर की थी जिसका उत्तर मैंने दिलवा दिया ।

श्री राजधारी–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय नेता जी ने बताया कि विदेशों में तमाम जगहों पर ऐसी व्यवस्था है । हम लोग भी ऐसी व्यवस्था को महसूस करते हैं । सदन का जो माहौल है उसमें अपनी राय नहीं दे पाते हैं यदि यह कमेटियां हो तो कमेटियों के माध्यम से राय दे सकते हैं । माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस पुनीत कार्य को जितनी जल्दी हो लागू करें यह प्रदेश के हित में है ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विगत दिनों इस संबंध में बैठक हुयी है कई नेताओं से परामर्श हुआ और माननीय रामनरेश जी की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी थी रिपोर्ट देने के लिये । यह विषय ऐसा है जो अति महत्वपूर्ण है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न काल में वक्तव्य देने से बचें । आप प्रश्न करें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

विगत दिनों इस संबंध में एक सिटिंग हुई है जिसमें नेतागण उपस्थित थे और एक सहमति बनी थी पार्लियामेन्ट्री कमेटी सिस्टम लागू करने के लिये स्टडी की जाय । पार्लियामेन्ट्री सिस्टम के अनुरूप इन समितियों का गठन करना अति आवश्यक है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया था और सरकार ने गम्भीरता से विचार किया था । लेकिन किन कारणों से नहीं हो पाया यह मैं कह नहीं सकता । ऐसी संसदीय समितियां, स्टैंडिंग कमेटीज का बहुत महत्व है । जहां पर भी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम है उन सभी जगहों पर यह कमेटियां हैं और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में अगर इस तरह की पहल नहीं होगी तो किस प्रदेश में होगी । इसलिये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट में बजट भाषण हो जाता है उसके बाद स्थगित कर दिया जाता है और 20 दिनों तक मौका मिलता है । सारी स्टैंडिंग कमेटियां विचार करती हैं, जो बिल होते हैं उन पर भी स्टैंडिंग कमेटियां विचार करती हैं और अपनी रिपोर्ट देती हैं और सरकार उस पर कार्यवाही करती है । मैं भी कमेटी का राज्य सभा में चेयरमैन रहा हूं, मानव संसाधन मंत्रालय की । हम लोगों ने 8–10 रिपोर्ट दी थीं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे और जल्दी ही सदन को विश्वास में लेकर घोषणा करें मा० अध्यक्ष जी से मिलकर और नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं से मिलकर, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये । यह प्रदेश के हित में है, संसदीय परम्पराओं के हित में है । यही आपके माध्यम से मेरा निवेदन है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, दो ओर से प्रश्न किये गये हैं । एक तो विदेश भ्रमण से प्रेरित होकर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह और माननीय गौरी शंकर जी ने । उनकी प्रेरणा अभी तक चल रही है यह बहुत खुशी की बात है । दूसरी ओर माननीय यादव जी ने प्रश्न किया । मान्यवर, इस विषय पर सारे सदन को विश्वास में लेकर ऐसे विषय पर निर्णय होना चाहिए । मैंने पहले ही कहा था कि माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि एक उचित फोरम है सारे सदन के नेताओं की बैठक बुलाकर उसमें जो निर्णय लिया जायेगा उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों की जिज्ञासा और आपकी बात को सुनने से लगता है कि यह ऐसा प्रश्न है जिस पर शासन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । सम्यक तरीके से विचार कर लें और जो निर्णय हो वह सदन के सामने रख दें ।

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों का अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड व समयमान वेतनमान संबंधी स्थगित शासनादेश को वापस लेने तथा उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*6–श्री राम पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय अराजपत्रित कर्मचारियों को पूर्व से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड व समयमान वेतनमान को शासनादेश संख्या पद मापदण्ड निर्धारण 356/दस–22(एम)/97, दिनांक 23-12-1997 के पैरा 4 के द्वारा स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार प्रश्नगत स्थगन को वापस लेकर प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को पुनः सेलेक्शन ग्रेड व समयमान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

वेतन समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर यथासमय आवश्यक निर्णय लिया जायगा ।

संस्तुतियां प्राप्त होने पर शीघ्र निर्णय लिया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामपाल वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों से जुड़ा प्रश्न है । क्या सरकार उनके हित और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वेतन समिति की रिपोर्ट सेलेक्शन ग्रेड व समयमान वेतनमान के संबंध में कब तक लागू करेगी ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

समिति को यह मामला सन्दर्भित किया गया था । समिति की इस संबंध में अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामपाल वर्मा–

वेतन समिति की रिपोर्ट इस संबंध में कब तक मिल जायेगी ? कोई समय सीमा तय कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि इसके लिये कोई समय सीमा तय है कि नहीं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, यह विषय तो अभी केन्द्र सरकार के पंचम वेतन में ही लम्बित है । केन्द्र सरकार ने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है समिति भी इस पर अभी निर्णय नहीं कर सकी है । जैसे ही निर्णय हो जायेगा शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी ।

अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर तथा अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं अवैतनिक प्लाटून कमाण्डरों की नियुक्ति विषयक मानक की जानकारी

*7–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या होमगार्ड मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 20-3-97 को हुये अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर तथा अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर के चयन में विभागीय व्यक्तियों को नजर अंदाज कर अधिकांश बाहरी व्यक्तियों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त

चयन में कोई मानक निर्धारित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या ? क्या उक्त चयन अवैधानिक एवं अनियमित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त चयन सूची को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री सरस्वती प्रताप सिंह)–

जी नहीं ।

उक्त पदों पर कुल 25 नियुक्तियां हुई, जिसमें 12 विभागीय व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त पदों पर चयन हेतु समिति तथा चयन के मापदण्ड निर्धारित हैं ताकि योग्य व्यक्तियों का चयन किया जा सके ।

चयन में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई है । अतः इसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न देखिये और माननीय मंत्री जी का जवाब देखिये । मैंने प्रश्न किया है कि क्या होमगार्ड मंत्री को जानकारी है इन्होंने जवाब दिया है कि जी नहीं । मान्यवर, 20-3-97 को हुये अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर तथा अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर एवं अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर के चयन में विभागीय व्यक्तियों को नजर अन्दाज कर अधिकांश बाहरी व्यक्तियों का चयन किया गया है । पहले तो माननीय मंत्री जी अपने जवाब में देखने की कृपा करें जिसमें इन्होंने लिखा है कि जी नहीं । उसके बाद लिखा है कि 25 नियुक्तियां हुई जिसमें 12 विभागीय व्यक्ति तथा 13 बाहरी व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई । मान्यवर, स्वयं आपके जवाब से परिलक्षित हो रहा है कि बड़ी धांधली हुई है । मेरा निवेदन है कि इसकी जांच सी० बी०, सी० आई० डी० से कराकर जिन लोगों ने धांधली की है उन्हें दण्डित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसकी जांच करायें ।

8–श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

(2रे सोमवार के लिए स्थगित)

जनपद मऊ में मुसहर जाति की महिलाओं व बालिकाओं के साथ हुए दुराचार की घटना पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*9–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में दिनांक 27/28 मार्च, 98 की रात्रि में मुसहर जाति की महिलाओं व बालिकाओं के साथ दुराचार की घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 7 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

मामले की जांच सी० बी०, सी० आई० डी० से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी समिति गोरियाबाद, सुल्तानपुर के सचिव के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

*10–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं० 52 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच में नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार प्रश्नगत समिति की और भी शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुये इस समिति की विशेष जांच/आडिट करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

मध्यस्थ द्वारा सदस्य के पक्ष में अभिनिर्णय पारित किया गया है।

जी हां।

प्रश्नगत समिति की और भी शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष आडिट कराने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

यथाशीघ्र।

भारत नेपाल सीमा पर सीमा पुलिस के गठन पर आई लागत का विवरण

*11–उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1997 को भारत नेपाल सीमा पर सीमा पुलिस के डी० आई० जी० बहराइच को सिद्धार्थनगर में तैनात किया गया है ? यदि हां, तो 1 जुलाई, 97 से 15-4-98 के बीच में पुलिस ने कितने आई० एस० आई० एजेन्ट, घातक हथियार, मादक पदार्थ कितनी मात्रा में तथा किस-किस तारीख को जब्त किया है ? क्या सरकार बतायेगी कि सीमा पुलिस के गठन पर कितनी लागत आई है ? क्या यह सही है कि सीमा पुलिस का गठन सफल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सीमा पुलिस के गठन को समाप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

विवरण संलग्न है।

परिक्षेत्र बार व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

(क) सिद्धार्थनगर परिक्षेत्र	रु० 1,19,59,229–56
(ख) बहराइच परिक्षेत्र	रु० 1,13,98,425–05
(ग) खीरी परिक्षेत्र	रु० 66,38,624–31
(घ) उधम सिंह नगर परिक्षेत्र	रु० 83,37,261–08
(च) गोण्डा जोन	रु० 16,27,191–55

(छ) पीलीभीत जोन रु० 19,51,535–67

(ज) मुख्यालय रु० 29,96,739–35

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत बल के गठन के बाद से अभी तक की प्रारम्भिक स्थिति में उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए इसे समाप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 144–147 पर)

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पी० सी० एफ०) लखनऊ में पी० ए० ग्रेड 1 एवं 2 के सृजित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं आरक्षण के संबंध में

*21–श्री लालजी वर्मा–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पी० सी० एफ०) लखनऊ में कितने पी० ए० ग्रेड 1 एवं 2 के पद सृजित हैं एवं उन पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उक्त पदों के लिये कोई वरिष्ठता सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या इसमें कोई पद आरक्षित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या इसी आधार पर अन्य संवर्ग एवं उच्च पदों पर उपरोक्त व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? ग्रेड 1 के रिक्त पदों को ग्रेड 2 की वरिष्ठता सूची के आधार पर कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

पी० ए० ग्रेड–1 के 3 पद तथा पी० ए० ग्रेड–2 के 4 पद सृजित हैं । इसके अतिरिक्त पी० ए० ग्रेड–2 के 2 पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रशासक समिति की बैठक दिनांक 4-4-98 में पारित किया गया । उक्त पदों के विरुद्ध क्रमशः 2 व 6 कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पी० ए० ग्रेड–1 में एक पद तथा पी० ए० ग्रेड–2 में एक पद आरक्षित रखा गया था ।

जी नहीं ।

नई नियुक्तियां न होने के परिणाम स्वरूप आरक्षण प्रतिशत पूरा नहीं है । संघ में नियुक्ति/पदोन्नति होने पर आरक्षण पूर्ण किया जायेगा ।

पी० ए० ग्रेड–1 में रिक्त एक पद आरक्षित वर्ग के लिये है, जिसे पी० ए० ग्रेड–2 में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में आई० एस० आई० की गतिविधियों से प्रभावित जिलों की संख्या एवं उन्हें रोकने के प्रयास के संबंध में जानकारी

*13–श्री यशपाल सिंह चौहान तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में आई० एस० आई० की गतिविधियों से कितने जिले प्रभावित हैं तथा सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या प्रयास किये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश में आई० एस० आई० समर्थित आतंकवादी संगठनों के सदस्यों की गतिविधियां प्रमुख रूप से जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, फ़िरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, महराजगंज, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, आजमगढ़, बस्ती, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर में परिलक्षित हुई हैं ।

प्रदेश सरकार द्वारा इन गतिविधियों की रोकथाम के लिये भारत-नेपाल सीमा बल, टास्कफोर्स एवं बीके यूनिट का गठन किया गया है तथा साथ ही जिला पुलिस एवं अभिसूचना तन्त्र को भी इस प्रकार की गतिविधियों पर नियत्रण एवं सतर्क दृष्टि रखने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहते हैं ।

उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलनकारियों पर रामपुर चौराहा मुजफ्फरनगर आदि स्थानों पर हुए गोलीकाण्ड में शासन के उत्तरदायी प्रशासनाधिकारी व पुलिस कर्मियों पर सी० बी० आई० द्वारा माननीय न्यायालय में दर्ज मुकदमें के संबंध में जानकारी

*14–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 1 व 2 अक्टूबर, 1994 को उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलनकारियों पर रामपुर चौराहा मुज्फ्फरनगर आदि स्थानों पर गोलीकाण्ड तत्कालीन प्रशासन द्वारा किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त घटना से संबंधित शासन के उत्तरदायी प्रशासनाधिकारी व पुलिस कर्मियों पर सी० बी० आई० ने माननीय न्यायालय में मुकदमें दर्ज किये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना प्रकरण के मुकदमें दर्ज किये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना प्रकरण के मुकदमें निरस्त हो गये हैं ? क्या सरकार उक्त घटना के उत्तरदायी व्यक्तियों पर पुनः सी० बी आई० या अन्य माध्यमों से जांच कराकर माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमें चलायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह-

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) गोलीकाण्ड से सम्बन्धित कोई भी मुकदमा निरस्त नहीं हुआ है । केवल रांगफुल कन्फाइनमेन्ट एवं रांगफुल रेस्ट्रेन्ट के सम्बन्ध में उत्तरदायी 13 वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के विरुद्ध दाखिल किये गये एक संयुक्त आरोप-पत्र को कालबाधित होने के तकनीकी आधार पर विशेष मैजिस्ट्रेट, सी०बी०आई० द्वारा दिनांक 20-10-1997 को निरस्त कर दिया गया हैं । सी०बी०आई० द्वारा इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है जो सुनवाई हेतु स्वीकृत कर ली गयी है ।

(घ) वर्तमान में सी०बी०आई० द्वारा दायर किये गये समस्त आरोप-पत्र विशेष मैजिस्ट्रेट, सी०बी०आई० के न्यायालय अथवा मान० उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, अतः किसी अन्य माध्यम से जांच कराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अन्य कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के ग्राम सभा बुद्धूखान थाना रामपुर कारखाना स्थित जामिया अरबिया मेरा जुल-उलूम एक पाक के प्रशिक्षित आई० एस० आई० अड्डे के प्रबन्ध तंत्र द्वारा अवैध असलहों के निर्माण के संबंध में जानकारी

*15–श्री मुराद लारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्रामसभा देवरिया बुद्धूखान थाना रामपुर कारखाना, तह० जनपद देवरिया में स्थित जामिया अरबिया मेरा जुल-उलूम एक पाक प्रशिक्षित आई०एस०आई० अड्डे के प्रबन्ध तंत्र द्वारा अवैध असलहों का निर्माण कराकर कतिपय गावों में वितरण किया जा रहा है ? उक्त संस्था की अवैध गतिविधियों एवं क्रिया कलापों की गोपनीय जांच कराने के लिये शासन क्या व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) गोपनीय ढंग से की गयी जांच से मदरसे में किसी प्रकार के अवैध असलहों के निर्माण एवं वितरण की बात प्रकाश में नहीं आयी ।

(ख) गोपनीय जांच पूर्व में ही करायी जा चुकी है । अतः पुनः जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

*16–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

(1ले बुध के अता० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद हरदोई के थाना हरपालपुर में श्री विजय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री बृजकान्त मिश्र के यहां पड़ी डकैती के संबंध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

*17–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री विजय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री बृजकान्त मिश्र कस्बा थाना हरपालपुर, जनपद हरदोई के घर में गत 29, 30 सितम्बर, 97 की रात्रि को 7-8 डकैत हथियारों से लैस होकर आये और लूट-पाट किये और डाकू लगभग 41 ग्राम सोना, डेढ़ किलो चांदी, पचास हजार रुपया नकद दो बन्दूक सहित लूट ले गये और चार व्यक्तियों की हत्या कर दी ? क्या घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 115/197 अन्तर्गत धारा 396 थाना हरपालपुर में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो क्या अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से वहां आतंक और भय व्याप्त है ? सरकार हत्यारों की कब तक गिरफ्तार कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 28/29 सितम्बर, 97 की रात्रि में श्री विजय प्रकाश मिश्र के घर में 7-8 डकैत 2 बन्दूक, कुछ नकदी, जेवर आदि लूट लिये और 4 व्यक्तियों की हत्या कर दी ।

जी हां । मु०अ०सं०–115/197 के बजाय 115/97 है ।

जी नहीं ।

विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त रोशन पुत्र बुद्धा निवासी बलरामपुर थाना निगोही शाहजहांपुर को दिनांक 10-10-97 को गिरफ्तार किया गया था उसकी निशान देही पर लूटे गये जेवर आदि बरामद किये गये । अभियुक्त धनपत उर्फ धन्नू ने फर्रुखाबाद में दिनांक 14-10-97 को आत्मसमपर्ण किया था । रोशन को दिनांक 27-12-97 को तथा धनपाल को दिनांक 8-6-98 को द०प्र०सं० धारा 169 के अन्तर्गत रिहा किया जा चुका है । अभियुक्त रमेश कंजड़ व महेन्द्र अभी तक फरार है । महेन्द्र के विरुद्ध धारा 82/83 की दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही की जा चुकी है । रमेश कंजड़ के विरुद्ध धारा 82

द०प्र०सं० की कार्यवाही की जा चुकी है, परन्तु रहने का सही पता न लगने के कारण धारा 83 द०प्र०सं० की कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*18–श्री गोखनाथ पाण्डेय–

(3रे सोमवार तक के लिए स्थगित)

अतारांकित प्रश्न

1–श्री बाबू लाल कुरील–

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

प्रदेश में हो रहे कत्लों की संख्या एवं उसकी रोकथाम की योजना

2–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने मार्च, 97 से जून, 97 तक प्रदेश में हुई कत्ल की घटनाओं का कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो इस अवधि में प्रदेश में कुल कितने कत्ल हुये और कितने मुकदमें पंजीकृत हुये ? क्या सरकार यह बतायेगी कि मार्च, 96 से लेकर जून, 96 तक प्रदेश में कुल कितने कत्ल हुये और कितने मुकदमें पंजीकृत हुये ? क्या सरकार प्रदेश में बढ़ते हुये कत्लों के रोकथाम की कोई विशेष योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । मार्च, 1997 से जून, 1997 तक प्रदेश में कुल 2691 कत्ल हुए और 2569 मुकदमें पंजीकृत हुए । मार्च, 1996 से लेकर जून 1996 तक प्रदेश में कुल 3221 कत्ल हुए और 3012 मुकदमें पंजीकृत हुए । कत्ल के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुरानी रंजिश के मामलों का पता लगाकर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु सर्व सम्बन्धित को निर्देश दिए गये हैं । विशेष अपराध निरोधक अभियान के अन्तर्गत हत्या आदि गम्भीर प्रकृति के अपराधों की रोकथाम के लिए प्रत्येक माह प्रत्येक जनपद से 35 प्रारूपों पर सूचना एकत्र कर शासन स्तर पर समीक्षा की जाती है । 35 प्रारूप निम्नवत् है :–

(1) अपराधियों से सांठ-गांठ रखने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(2) प्रत्येक थाने के 5 सबसे बड़े अपराधियों/माफिया के विरुद्ध कार्यवाही ।

(3) प्रत्येक थाने के 5 सबसे बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी के पश्चात् कार्यवाही ।

(4) प्रत्येक जनपद के 10 सबसे बड़े अपराधियों/माफिया के विरुद्ध कार्यवाही ।

(5) प्रत्येक जनपद के 10 सबसे बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी के पश्चात् कार्यवाही ।

(6) जातिगत तनाव के क्षेत्रों का चिन्हींकरण एवं निरोधात्मक कार्यवाही ।

(7) साम्प्रदायिक तनाव के क्षेत्रों का चिन्हींकरण एवं निरोधात्मक कार्यवाही ।

(8) दलित उत्पीड़न/अत्याचार/तनाव के क्षेत्रों का चिन्हींकरण एवं निरोधात्मक कार्यवाही ।

(9) भूमि विवाद तनाव के क्षेत्रों का चिन्हींकरण एवं निरोधात्मक कार्यवाही ।

(10) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही ।

(11) भू-माफियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(12) वन माफियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(13) ठेकेदार माफियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(14) अपराधी माफियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(15) पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(16) अन्तर्जनपदीय अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(17) एक से अधिक परिक्षेत्र में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(18) अवैध शस्त्र कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही ।

(19) शस्त्र लाइसेंस की जांच एवं कार्यवाही ।

(20) हत्या सम्बन्धी अपराध एवं कार्यवाही ।

(21) डकैती सम्बन्धी अपराध एवं कार्यवाही ।

(22) लूट सम्बन्धी अपराध एवं कार्यवाही ।

(23) बलात्कार सम्बन्धी अपराध एवं कार्यवाही ।

(24) रोड होल्ड-अप सम्बन्धी अपराध एवं कार्यवाही ।

(25) सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों (चोरी, डकैती, लूट तथा रोड होल्डप-अप) में बरामदगी का विवरण ।

(26) फिरौती हेतु अपहरण में अपहृत व्यक्ति को छुड़ाने की स्थिति ।

(27) असत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर धारा 182 भा०दं०वि० के अन्तर्गत कार्यवाही का विवरण ।

(28) थानों के दलालों से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही ।

(29) विवेचना दोष पूर्ण होने के कारण मुकदमें की समाप्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही ।

(30) किसान सेवा केन्द्र पर कार्यवाही का विवरण ।

(31) तहसील दिवस पर कार्यवाही का विवरण ।

(32) पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा थानों का निरीक्षण ।

(33) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा थानों का निरीक्षण ।

(34) थानाध्यक्षों की तैनाती का विवरण ।

(35) सराहनीय एवं कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरष्कार ।

जनपद गोरखपुर के थाना-झगहा, चौरीचौरा तथा खोराबार में अनुसूचित जाति/जनजाति पर हुए उत्पीड़नों की संख्या तथा उनके राहत हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

3–श्री बेचन राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न के मामले में थाना-झगहा चौरीचौरा, खोराबार पर वर्ष 1993 से अब तक कुल कितने मुकदमें दर्ज हुये तथा इनमें से प्रत्येक थाने से संबंधित गांवों के किन-किन व्यक्तियों को राहत धनराशि कितनी-कितनी मात्रा

स्वीकृत हुई ? किन-किन-को कितनी-कितनी धनराशि दी गई ? किन-किन को अभी तक प्रभावी ढंग से एक भी किश्त भुगतान नहीं की गई ? भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद-गोरखपुर के थाना-झगहा में 70, थाना-चौरी चौरा में 100 तथा खोराबार में 70 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न संबंधी मुकदमें दर्ज हुए ।

थानेवार भुगतान सम्बन्धी सूची संलग्न है । †

अनुसूचित जाति की परिधि में न आने वाले व्यक्तियों को थाना-झगहा में 45, थाना-चौरी चौरा में 47 तथा खोराबार में 27 को अनुदान राशि नहीं दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम कड़हा थाना सोनहा जिला बस्ती को सोनहा थानें से निकालकर रुधौली थाने में करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

4–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कड़हा थाना सोनहा जिला बस्ती को सोनहा थाने से निकालकर रुधौली थाने में करने के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र माह अप्रैल, 1998 के तीसरे या अन्तिम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त के सम्बन्ध में उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव मांगा गया है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त औचित्य पाये जाने पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के थानाध्यक्षों की संख्या तथा उनके विरुद्ध जांच कार्यवाही के दौरान उनको न हटाये जाने विषयक जानकारी

5–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच में कितने थानों पर पिछड़ी जाति के थानाध्यक्ष तैनात हैं ? कितने थानों पर सामान्य एवं अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष वर्तमान में तैनात हैं ? कुछ थानाध्यक्षों के विरुद्ध जांच कार्यवाही चलने के बावजूद उनको न हटाने का क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद–बहराइच में वर्तमान समय में 3 थानों पर पिछड़ी जाति, 9 थानों पर सामान्य जाति एवं 4 थानों पर अनुसूचित जाति के थानाध्यक्ष तैनात हैं । जनपद में कुल थानों की संख्या–19 है ।

वर्तमान समय में नियुक्त किसी भी थानाध्यक्ष के विरुद्ध जांच कार्यवाही चलने के बावजूद भी थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया गया । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद बलिया के अन्तर्गत बिल्थरा रोड टाउन एरिया रेलवे स्टेशन चौराहे पर असामाजिक तत्वों द्वारा खुले आम की जा रही गांजा भांग बिक्री का मामला

6–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के अन्तर्गत बिल्थरा रोड टाउन एरिया स्टेशन चौराहे पर असामाजिक तत्वों द्वारा खुले आम गांजा, भांग की बिक्री पुलिस के संरक्षण में की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के साधन सहकारी समिति मानुडीह विकास खण्ड अमानीगंज में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान न किये जाने विषयक जानकारी

7–श्री धर्मराज निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि साधन सहकारी समिति मानुडीह विकास खण्ड अमानीगंज, जनपद फैजाबाद में कार्यरत दो कर्मचारियों को समिति द्वारा सितम्बर, 1996 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या निबन्धक सहकारी समितियां के आदेश परिपत्र संख्या सी–164–अधिकोषण 19-15 दिनांक 21 जनवरी, 1991 के अन्तर्गत उक्त समिति में कार्यरत उक्त दोनों कर्मचारियों को अन्य सक्षम समिति में समायोजित करके उनका सितम्बर, 1996 से अब तक वेतन भुगतान कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

जनपद की अधिकांश समितियों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनमें कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नियमित रूप से नहीं हो पा रही है । अतः उक्त समिति के कर्मचारियों को अन्य समिति में समायोजित करके इन्हें वेतन का भुगतान कराया जाना संभव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद की मिल्कीपुर तहसील में रजिस्ट्री की फोटो स्टेट प्रणाली लागू विषयक डा० राम सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

8–श्री तिलक राज बेहड़–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० राम सिंह, सदस्य, विधान सभा का कोई पत्र माह जनवरी/फरवरी, 1998 में जो जनपद फैजाबाद की मिल्कीपुर तहसील में रजिस्ट्री के उपरान्त एक सप्ताह में मूल रजिस्ट्री-पत्र जनपद फैजाबाद की ही तहसील बीकापुर की भांति जनता को वापस करने के संबंध में फोटो स्टेट प्रणाली लागू करने हेतु था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या तहसील मिल्कीपुर में तहसील बीकापुर की ही भांति फोटो स्टेट प्रणाली लागू करके जनता को एक सप्ताह में मूल रजिस्ट्री-पत्र वापस किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जिलाधिकारी स्तर से निर्देश निर्गत किए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर थाना सम्मनपुर में दलित महिला का अपहरण तथा हत्या किये जाने विषयक अपराध शाखा द्वारा जांच रिपोर्ट एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग

9–श्री राम अचल राजभर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित ता० प्र० सं० 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध शाखा द्वारा उक्त जांच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के साथ-साथ अन्य और कौन-कौन सी धारायें हत्यारों के विरुद्ध लगाई गई हैं और अब तक क्या कार्य की गई है ? क्या इस प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण में सी० आई० डी० की कानपुर शाखा द्वारा जांच प्रचलित है । जांच प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के न्याय पंचायत पकरी जई एवं गोठ्या न्याय पंचायत को थाना दुधारा जिला सन्त कबीर नगर से निकाले जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

10–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की न्याय पंचायत पकरी जई एवं गोठवा न्याय पंचायत को थाना दुधारा जिला सन्त कबीर नगर से निकालकर पकरी न्याय पंचायत को थाना पुरानी बस्ती तथा गोठवा न्याय पंचायत के पश्चिमी हिस्से को थाना रुधौली तथा पूर्वी हिस्से को थाना पुरानी बस्ती में जोड़ने के लिये प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह अप्रैल, 98 के तीसरे, चौथे सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त के संबंध में उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव मांगा गया है । प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त औचित्य पाये जाने पर आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

नव सृजित जिला चम्पावत के परगना लोहाघाट में मुंसिफ कोर्ट खोले जाने के संबंध में जानकारी

11–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नव सृजित जिला चम्पावत के परगना लोहाघाट में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने का प्रस्ताव क्या शासन द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है ? यदि हां, तो मुंसिफ कोर्ट कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अभी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हुई है ।

कैसरबाग डिपो के अन्तर्गत कार्यरत आरोप से आरोपित परिचालक डब्लू० टी० की संख्या एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

12–श्री लाल जी वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैसरबाग डिपो के अन्तर्गत कितने परिचालक डब्लू० टी० आरोप से आरोपित है ? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान में कैसरबग डिपो (ल० क्षे०) में 32 परिचालक बस में बिना टिकट यात्री ले जाने के आरोप में आरोपित हैं ।

जी हां ।

कार्यवाही गतिशील है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13–श्री राम सिंह सैनी–

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

14–(पुनरावृत्ति के अधार पर निरस्त)

15–(पुनरावृत्ति के अधार पर निरस्त)

16–(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

प्रेम कुमार सिंह स्टोनों के संबंध में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

17–श्री मु० मुकीम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रेम कुमार सिंह स्टोनों, उप जिलाधिकारी नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के अपराधिक प्रवृत्ति होने की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर ने अपने पत्र संख्या एस० टी०–24/97(89), दिनांक 24 अक्टूबर, 1997 द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को प्रेषित की है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में श्री प्रेम कुमार सिंह स्थानीय निवासी होने के कारण झगड़ा फसाद करने का उल्लेख है । इनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत हुआ है जिस पृष्ठ भूमि में इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का अनुराध किया गया है ।

श्री प्रेम कुमार सिंह स्टेनों का स्थानान्तरण आयुक्त बस्ती मण्डल के यहां विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

म० अ० सं०–522/95 के संबंध में थाना कोतवली, मथुरा के विवेचनाधिकारी द्वारा की गई विवेचना की जानकारी

18–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे मु०अ०सं०–522/95, धारा 147,504, 506, आई०पी०सी०, थाना कोतवली, मथुरा के विवेचनाधिकारी द्वारा उक्त मुकदमें की विवेचना की गई है । यदि हां, तो वह विवेचना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

दिनांक 25-6-95 को नल के पानी के विवाद को लेकर हुई कहासुनी के आधार पर वादी श्री वेदराम पुत्र श्री सुरेश निवासी मनोहरपुरा थाना कोतवाली मथुरा की लिखित सूचना के आधार पर मु०अ०सं०–522/95 धारा 147, 148, 504, 506 भा०द०वि० पूरन प्रकाश आदि 10 नफर के विरुद्ध दिनांक 2-8-95 को पंजीकृत कराया गया था । विवेचना के मध्य गवाहों द्वारा दिये गये शपथ पत्रों तथा साक्ष्यों के आधार पर मामला झूठा पाया गया । अतः अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 12-9-95 को न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख सचिव गृह उ० प्र० शासन को सम्बोधित एवं प्रेषित श्री सईदउद्दीन सिद्दीकी 50/184 म्योर–इलाहाबाद के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

19–श्री दयाशंकर वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सईद उद्दीन सिद्दीकी 50/184म्योर रोड–इलाहाबाद का पत्र दिनांक 1-4-97, 2-5-98, 18-6-97, 16-8-97, 23-8-97 एवं 29–9–97 पूर्व उप राज्यपाल पाण्डिचेरी श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी का पत्र दिनांक 5-5-97 एवं पूर्व मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग श्री स्वामी प्रसाद मौर्या का पत्र दिनांक 10-7-1997 जो मा० मुख्य मंत्री तथा दिनांक 1-4-97, 2-5-97, 10-7-97, 23-8-97, 29-9-97, 3-10-97, 27-1-98 के पत्र जो प्रमुख सचिव गृह उ० प्र० शासन को सम्बोधित है और जो स्वर्गीय मुस्लिम सिद्दीकी की संदिग्ध अवस्था में हुई मृत्यु एवं गायब नकदी, शेयर एवं बेशकीमती सामानों तथा पुलिस एवं कुछ अधिकारियों भू-माफियों के सहयोग से किये जा रहे कब्जे के प्रयास आदि की जांच कराने विषयक है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित शिकायतों की जांच से संबंधित प्रश्न में दर्शाये गये पत्रों में से कुल 7 पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनके संबंध में जांच करायी गयी जांच से पाया गया है कि मृतक मुस्लिम सिद्दीकी की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है और मृत्यु पूर्व श्री सिद्दीकी ने अपनी सम्पत्ति की वसीयत तथा हिवा अपनी देख रेख करने वाले भाई लाल शुक्ला के नाम कर दिया है । चल अचल सम्पत्ति के उत्तराधिकारी को लेकर श्री भाई लाल शुक्ला व श्री सुहेल सिद्दीकी, जो मृतक के भतीजे हैं, के मध्य विवाद चल रहा है तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है । श्री सईदउद्दीन सिद्दीकी मुख्तार आम श्री सुहेल सिद्दीकी, 50/184 म्योर रोड, इलाहाबाद द्वारा शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोपों की पुष्टि जांच में नहीं हुई है । वर्तमान में मृतक मुस्लिम सिद्दीकी की सम्पत्ति आदि की सुरक्षा हेतु एक शस्त्र गार्द लगी हुई है ।

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत थाना ललौली व कल्यानपुर थानों के पंजीकृत मुकदमों में अपराधियों की गिरफ्तारी तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सम्बन्धित मुकदमों के प्रतिशत की जानकारी

20–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर अन्तर्गत थाना ललौली व कल्यानपुर थानों में 17 सितम्बर, 1997 से 17 मार्च, 98 तक कुल कितने मुकदमें पंजीकृत किये गये ? उनमें कुल कितने मुकदमों में अपराधियों की गिरफ्तारी की गई ? मुकदमों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मुकदमों का प्रतिशत क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त दोनों थानों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का उत्पीड़न विगत दिनों में बढ़ा है ? यदि हां, तो उसे रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में थाना ललौली तथा थाना कल्यानपुर में क्रमशः कुल 80 व 139 मुकदमें पंजीकृत किये गये, जिनमें से थाना ललौली के 76 तथा थाना कल्यानपुर के 128 मुकदमों से संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । उक्त कुल मुकदमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित मुकदमों का प्रतिशत शून्य रहा है ।

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के थाना ललौली तथा कल्यानपुर के अन्तर्गत बाहरी जिलों से प्राप्त लाइसेंसीधारकों के थानों में पंजीकृत शस्त्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही

21–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर के थाना ललौली तथा कल्यानपुर के अन्तर्गत कुल कितने लाइसेंस ऐसे हैं जो बाहरी जिलों से प्राप्त किये हैं ? क्या उक्त सभी शस्त्र थाने में पंजीकृत हैं ? क्या यह सही है कि अधिकांश शस्त्र धारकों में ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध ललौली व कल्यानपुर थानों में अभियोग पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या उनके शस्त्र निरस्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

थाना ललौली व कल्यानपुर में ऐसे कुल शस्त्र लाइसेंसधारकों की संख्या–57 हैं ।

जी, हां ।

थाना कल्यानपुर में एक मात्र शस्त्र लाइसेंसी श्री शिशुपाल सिंह पुत्र शिवलाल सिंह, निवासी दादनखेड़ा जिन्होंने जम्मू कश्मीर से रायफल का लाइसेंस प्राप्त किया है, के विरुद्ध धारा 151/107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है । श्री शिशुपाल सिंह के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय फतेहपुर में विचाराधीन है ।

22–श्री राजीव कुमार सिंह–

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जनपद जौनपुर के पत्र पर पुलिस अधीक्षक जौनपुर थानाध्यक्ष सिकरारा व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जौनपुर द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

23–श्री अफजाल अहमद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जनपद जौनपुर ने पत्रांक 457/जि०प०/ह०ज०सी०/96-97 दिनांक 24-12-96 पुलिस अधीक्षक जौनपुर थानाध्यक्ष सिकरारा व

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जौनपुर, जनपद जौनपुर के पास नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रामदर्श पुत्र सीताराम ग्राम पूरे पंचम मजरे पूरे चेतई ब्लाक जामों सुल्तानपुर का सहायक निबन्धक सहकारिता, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित शिकायती-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

24–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामदर्श पुत्र सीताराम ग्राम पूरे पंचम मजरे पूरे चेतई ब्लाक जामो सुल्तानपुर का सहायक निबन्धक, सहकारिता, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दिनांक 24-10-97 का प्रार्थना-पत्र जिसमें सचिव को दिये गये पैसों की रसीद न देने की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जांच में पाया गया कि दिनांक 27-6-97 को ऋण द्वारा वापस किए धन को उसके खाते में 24-1-98 को जमा किया गया । दोषी सचिव जो पूर्व में ही निलम्बित है उसके विरुद्ध इस मामले का भी आरोप सम्मिलित करने का आदेश दे दिये गये हैं तथा चौकीदार को कठोर चेतावनी दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

25–(2सरे बुधवार में अता० प्र० सं० 191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम गोशा मजरे गदोरा थाना सण्डीला निवासी श्री राम पाल मौर्य द्वारा चकरोड पर अवैध मकान निर्माण के विरुद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी

26–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम गोशा मजरे गदोरा थाना सण्डीला जनपद हरदोई निवासी श्री राम पाल मौर्य पुत्र श्री पोहकर ने थाने की मदद से गांव में छूटे चकरोड पर अपना मकान बना लिया है ? क्या यह सही है कि इससे आस-पास के घरों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या पुलिस द्वारा उक्त अवैध निर्माण को हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला फैजाबाद/अम्बेडकर नगर के ग्राम अहेया निवासी श्री रामबरन यादव द्वारा अपनी भूमि पर नाजायज कब्जे को रोके जाने के संबंध में परगना अधिकारी को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

27–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर जिला-फैजाबाद/अम्बेडकर नगर के ग्राम अहेया निवासी श्री रामबरन यादव द्वारा माह जून 1995 को 3 पत्र परगना अधिकारी को इस आशय के दिए थे कि उसकी भूमि पर नाजायज कब्जे को रोका जाय ? क्या वे तीनों प्रार्थना-पत्र थाना बेवाना को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उन पर परगना अधिकारी द्वारा क्या आदेश किये गये ? उक्त आदेशों के आधार पर क्या स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

परगना अधिकारी द्वारा अवैध कब्जा/निर्माण रोकवाकर प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक बदायूं में कार्यरत दो कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एवं पदोन्नति

28–श्री लालमणि प्रसाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के चौथे शुक्रवार के अता० प्रश्न संख्या–92 के उत्तर के संबंध में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा जिला सहकारी बैंक बदायूं के दो कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी याचिका पर निर्णय प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या निर्णय के अनुरूप दोनों कर्मचारियों को दिनांक 2-2-85 से पदोन्नति एवं वरिष्ठता प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

श्री प्रभात कुमार अग्रवाल एवं श्री रमेश चन्द्र शर्मा की वरिष्ठता उनके मौलिक पद पर योगदान की तिथि क्रमशः 23-7-77 तथा 5-2-72 से एवं दोनों कर्मचारियों की पदोन्नति दिनांक 8-1-97 को प्रदान कर दी गई है ।

दिनांक 4-1-95 को वरिष्ठता निर्धारित एवं दिनांक 8-1-97 को पदोन्नति कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के समस्त थाना क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कृत कार्यवाही

29–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के समस्त थाना क्षेत्रों की सीमा निर्धारित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि विभिन्न थानों के सीमा क्षेत्र विवाद के कारण लाशें कई-कई दिनों तक सड़ती रहती है ? यदि हां, तो तत्काल कार्यवाही हेतु शासन क्या उपाय कर रहा है ? लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश के समस्त थाना क्षेत्रों की सीमा पूर्व में ही निर्धारित है। यह अवश्य है कि कतिपय नवसृजित जनपदों के थाना क्षेत्रों एवं पूर्वगठित थानों के सीमा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का कार्य भी प्रचलित है।

प्रदेश में यदाकदा इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है लेकिन अधिकारियों के स्तर पर तुरन्त हस्तक्षेप करके उनका निस्तारण करा दिया जाता है।

प्रदेश के समस्त थानाध्यक्षों को यह प्रभावी निर्देश दिये गये हैं कि वे सीमा विवाद के कारण लाशों का पंचायतनामा भरने आदि व पोस्टमार्टम कराने में कोई लापरवाही न दिखलायें। यदि किसी स्तर पर कोई लापरवाही सिद्ध होती है तब संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में स्थित श्री राम जानकी चित्र मंदिर ग्राम सभा करनपुर को सील किये जाने विषयक जानकारी

30–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री को ज्ञात है कि रामजानकी चित्र मंदिर (सिनेमा घर) ग्राम सभा करनपुर जिला गोण्डा को माह अक्टूबर, नवम्बर, 1997 को सील किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद गोण्डा में रामजानकी चित्र मंदिर (सिनेमाघर) नाम का कोई छविगृह नहीं है।

जनपद गोण्डा में स्थित श्री राम चित्र मंदिर, करनपुर (बभनान) के दिनांक 2-11-97 को सांय प्रदर्शन में 8.25 बजे अपर मनोरंजनकर आयुक्त, लखनऊ द्वारा निर्धारित अवधि में प्रपत्र "ख" लेखा न तैयार करने, निरीक्षण कार्य में सहयोग न करने तथा संबंधित अभिलेख मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु न प्रस्तुत करने जैसी गम्भीर अनियमिततायें पायीं गयी थीं।

उपरोक्त अनियमितताओं के लिये उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम 1979 की धारा–15(2) के परन्तुक के अन्तर्गत सिनेमा का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था। फलस्वरूप दिनांक 11-11-97 के रात्रि प्रदर्शन से दिनांक 20-11-97 के रात्रि प्रदर्शन तक सिनेमा में फिल्म प्रदर्शन बन्द रहा। सिनेमा स्वामी द्वारा अपराध शमन शुल्क रु०–12000.00 राजकीय कोष जमा करने के उपरान्त दि० 21-11-97 से सिनेमा लाइसेंस बहाल कर दिया गया। उक्त सिनेमा में दिनांक 21-11-97 के मध्यान्ह प्रदर्शन से पुनः प्रदर्शन आरम्भ हो चुके हैं।

जनपद हरदोई के ग्राम-आशा, थाना कोतवाली के अन्तर्गत श्री राम शंकर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को परिवर्तित किये जाने विषयक जानकारी

31–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम शंकर पुत्र स्व० शिवराम, ग्राम-आशा, थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट अ०सं०43/97 अन्तर्गत धारा–279/309 आई०पी०सी० को एस०सी०एस०टी० ऐक्ट 1989 के अन्तर्गत धारा 3(1)(10) एवंआई०पी०सी० की धारा–302 में परिवर्तित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वादी श्री राम शंकर की सूचना के आधार पर मु०अ०सं० 43/97 धारा 279/304ए भा०दं०वि० थाना कोतवाली देहात हरदोई पर पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान अभियुक्त पंकज सिंह ने 25-5-97 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । विवेचना समाप्ति के उपरान्त न्यायालय में आरोप-पत्र दिनांक 7-6-97 को प्रेषित किया गया है । उक्त अभियोग में धारा 3(1) 10 एससी/ए (स) टी ऐक्ट की बढ़ोत्तरी नहीं की गयी और न ही उक्त अभियोग को धारा 302 भा०द०वि० में तरमीम किया गया ।

बेवर से ग्वालियर वाया मैनपुरी हेतु रोडवेज की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

32–श्री राम औतार शाक्य–

क्या परिवहन मंत्री पूर्व की भांति बेवर से ग्वालियर वाया मैनपुरी दो रोडवेज की बसें चलवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि पहले बेवर से ग्वालियर वाया मैनपुरी रोडवेज की बसें चलती थी ? यदि हां, तो उनको बन्द क्यों कर दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही उठता ।

प्रश्नगत मार्ग अन्तर्प्रदेशीय समझौते में नहीं है । इसके अतिरिक्त पूर्व में संचालित की गई सेवाओं की आय संतोषजनक नहीं थी ।

जी हां ।

आय संतोषजनक प्राप्त न होने के कारण बस संचालन जनवरी, 1996 से बन्द कर दिया गया । इसके अतिरिक्त यह मार्ग अन्तर्प्रदेशीय संचालन समझौते में नहीं है ।

जिला-मऊ के अन्तर्गत ग्राम चालिसवां, पो० मुहम्मदाबाद गोहना निवासी श्री ओम प्रकाश यादव की मृत्यु एवं उसके भाई की नियुक्ति समाप्त किये जाने विषयक जानकारी

33–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चालिसवां काण्ड में पुलिस की गोली से मारे गये श्री ओम प्रकाश यादव निवासी ग्राम चालिसवां पो० मुहम्मदाबाद गोहना जिला मऊ की मृत्यु हो गई थी ? क्या यह सही है कि जिला प्रशासन ने मृतक के भाई शिवशंकर यादव की नियुक्ति कलेक्ट्रेट अधिष्ठान जनपद मऊ में सहायक वासिल नवीस के पद पर सीजनल कर दी गयी थी ? यदि हां, तो बाद में फिर उनकी नियुक्ति क्यों समाप्त की गई है ? क्या सरकार इसके जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने एवं पुनः श्री यादव को सेवा में लेने का आदेश देगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां । शिवशंकर यादव की नियुक्ति सामयिक वासिल नवीस के पद पर की गई थी ।

सामयिक पदों का सृजन अल्प अवधि के लिये होता है । अवधि समाप्त होने के पश्चात नियुक्ति कर्मचारियों की सेवायें स्वतः समाप्त हो जाती हैं ।

जी नहीं । पुलिस फायरिंग में मृतक के आश्रितों को नौकरी दिये जाने की शासन की नीति नहीं है ।

स्टाम्प की बिक्री की जांच के संबंध में जानकारी

34–श्री राजधारी–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्टाम्प की बिक्री की जांच सहायक आयुक्त स्टैम्प को ही करने का अधिकार दिया गया है ? यदि हां, तो क्या न्याय के सिद्धान्त का पालन की अपेक्षा इससे संभव है ? यदि नहीं, तो इसके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं । उ० प्र० स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 182 के तहत यह अधिकार कलेक्टर, कलेक्टर अथवा प्रदेश शासन द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को भी प्राप्त है । इसके अतिरिक्त नियम–183 के तहत कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को भी यह अधिकार प्रदत्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम अलपुर थाना पीपरपुर निवासी श्री जगत बहादुर सिंह के मकान में अवैध रूप से रह रहे लोगों के हटाये जाने की मांग

35–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जगत बहादुर सिंह पुत्र श्री सत्य नारायन सिंह ग्राम अलपुर थाना पीपरपुर जिला सुल्तानपुर के मकान में कुछ लोगों ने अवैध रूप से पुलिस के सहयोग से कब्जा कर रखा है ? क्या सरकार इसकी जांच कराने एवं अवैध रूप से रह रहे अन्य लोगों को हटाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त मकान का मामला न्यायालय में विचाराधीन है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा तरछापार में स्थित कोआपरेटिव सहकारी गोदाम पर उर्वरक, बीज एवं अनियंत्रित वस्त्र वितरण के संबंध में जानकारी

36–श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत ग्राम सभा तरछापार में स्थित कोआपरेटिव सहकारी गोदाम पर कई वर्षों से खाद्य, कपड़ा, दवायें आदि नहीं भेजी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुये कब तक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश संबंधित अधिकारी को देगी ? क्या उक्त गोदाम पर सरकारी आदेश से किसान सेवा केन्द्र लगाने की व्यवस्था का बोर्ड लगाया गया है ? क्या यह सही है कि वहां पर न तो कोई अधिकारी आता है और न ही कोई बैठक होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी नहीं । जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा तरछापार में साधन सहकारी समिति लि० बिठुआ का कार्यालय एवं गोदाम स्थित है तथा समिति द्वारा अपने सदस्यों को ऋण, उर्वरक, बीज एवं अनियंत्रित वस्त्र का वितरण किया जाता है ।

जी हां ।

जी नहीं । इस किसान सेवा केन्द्र पर किसान सेवा दिवस के दिन संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी समस्याओं के निस्तारण हेतु उपस्थित रहते हैं एवं बैठक होती है ।

जिला सहकारी बैंक बलिया की आर्थिक स्थित सुधारे जाने की योजना

37–श्री राजधारी–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी ऋण व्यवस्था एवं सहकारी समितियों की गिरती आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के पास कोई महत्वाकांक्षी योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना को व्यवहार में कब तक लाया जायेगा ? क्या सरकार बलिया जिला सहकारी बैंक की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए नई कार्य योजना बनाकर सुधार करने की कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

यह योजना भारत सरकार को आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की गई है । भारत सरकार की सहमति के उपरान्त यह योजना व्यवहार में लाई जा सकेगी ।

जी हां ।

जिला सहकारी बैंक लि० बलिया आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु बैंक की वर्ष 1998-99 के लिए विकास कार्य योजना (रोलिंग प्लान) बनायी गयी है एवं विकास कार्य योजना में निर्धारित निक्षेप संचय, ऋण वितरण एवं सहकारी देय की वसूली आदि के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी फिरोजाबाद के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा अपराधियों को गुण्डा एक्ट के अधीन जिला बदर के आदेश एवं स्वीकृत आग्नेय अस्त्रों के लाइसेन्सों को निरस्त कर पुलिस द्वारा किये गये कब्जे की जानकारी

38–श्रीमती उर्मिला देवी यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी फिरोजाबाद में थाना–22 में किन-किन अपराधियों को जिलाधिकारी मैनपुरी फिरोजाबाद द्वारा गुण्डा एक्ट के अधीन जिला बदर के आदेश किये हैं ? क्या ऐसे अपराधियों के नाम पहले से स्वीकृत आग्नेय अस्त्रों को निरस्त कर पुलिस के कब्जे में लिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जिलाधिकारी मैनपुरी तथा फिरोजाबाद द्वारा गुण्डा एक्ट के अधीन क्रमशः निम्नलिखित अपराधियों को जिला बदर के आदेश किये गये हैं :–मैनपुरी–बलबीर, कमलाकर, डब्बू उर्फ सन्दीप, हरी शंकर, राम प्रसाद, नेम सिंह, संजीव कुमार, छन्नी उर्फ सुनील, वृजेश कुमार, दिनेश, नरेन्द्र, धारा सिंह, महेश, वृजेन्द्र

पाल उर्फ वी० पी०, अशोक उर्फ डब्बू, सुभाष, राम बरन तथा सत्यवीर । फिरोजाबाद :–संजू, सुरेन्द्र सिंह, कृपाल सिंह, सफीक, मान सिंह, रामब्रेश, सोनवीर, कुल्हण उर्फ महाराज सिंह, राजवीर, विशाल, कैलाशी, श्याम सुन्दर, महेश, अखतर कसाई, पप्पन उर्फ सकील, सब्बीर, साबिर, राजेन्द्र सिंह जयदयाल, विजयपाल, शंकरलाल, विमल, मुन्ना उर्फ राधाचरण, गुड्डू उर्फ कुशलपाल, जिलेदार, श्रीपति सिंह, महीपति, बबलू उर्फ कृष्णपाल, केशव चरन, गरीब दास, विनोद, आंगुरिया, रामजीलाल उर्फ राम किशन, नन्द किशोर, रोशन लाल, श्रीलाल उर्फ सिरिया, नईम उर्फ धाता, गुडउन पठान, महेश, दिलीप सिंह, पप्पू उर्फ रहीम, जय प्रकाश, नरेश, सुरेन्द्र सिंह, कमलेश, महेश, मान सिंह, नेकसे, भवरपाल, रामनिवास, सुरेश, शैलेन्द्र, राजेश, होरी लाल, होडल, फूलकुमार, बच्चू सिंह, सुभाष, राजेन्द्र, उत्तम सिंह, बबलू, राधेलला, साहूकार उर्फ भूप सिंह, महावीर, विजयपाल उर्फ कोठारी, प्रमोद, अतर सिंह, भूरा, महीपाल, उदयवीर, करन सिंह, भूरी सिंह, हरवीर मान सिंह उर्फ बबलू, भूरा, सुरेन्द्र उर्फ पप्पू, किशन, सलीम उर्फ अन्धाकानून, ओम प्रकाश, शर्वेश, नेकसे, बीरपाल, राजपाल, दलवीर, कालीचरन उर्फ कलुआ, बच्चू सिंह, गिरीश, लालजी खां, गीतम सिंह, कैलाश उर्फ खटका, तारा सिंह, महेश चन्द्र, अहसान, सहरोज, सलीम उर्फ बबलू, सुनहरी लाल, दिनेश चन्द्र, विशेष उर्फ विशेश्वर, ग्रीशचन्द्र, छोटेलाल, राम भरोसे, इन्दवीर, रघुनाथ उर्फ भूरा, शकील, इन्द्रपाल उर्फ नेता, व जगन्नाथ ।

मैनपुरी के उक्त अपराधियों में से मात्र तीन अपराधियों में से नेम सिंह का आग्नेयास्त्र पुलिस के कब्जे में है, बलबीर सिंह का आग्नेयास्त्र चोरी हो गया तथा हरी सिंह मय आग्नेयास्त्र के फरार है । फिरोजाबाद के उपरोक्त अपराधियों में से मात्र दो अपराधियों के पहले से स्वीकृत आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स थे जिन्हें निरस्त कराकर पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में भा० ज० पा० कार्यकर्ता श्री खुरखुर उर्फ विजय शंकर निषाद व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें की वापसी हेतु प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

39–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में 20 मई, 1991 को भा० ज० पा० कार्यकर्ता श्री खुरखुर उर्फ विजय शंकर निषाद व अन्य के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमें की वापसी हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-8-95 जो तत्कालीन मुख्य मंत्री को संबोधित था सरकार को प्राप्त हुआ है ? क्या प्रश्नकर्ता का अनुस्मारक संयुक्त सचिव उ० प्र० शासन न्याय अनुभाग–5 फौजदारी दिनांक 14 अगस्त, 97 सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक मुकदमा वापस न लेने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

मुकदमा वापस लेने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30-12-97 को निर्गत किये जा चुके हैं और कार्यवाही न्यायालयों में लम्बित है ।

प्रदेश में वाहन चोरी की घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि एवं पुलिस विफलता

40–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में वाहन चोरी की पिछले 3 वर्ष में कितनी घटनायें हुई और कितने बरामद किये गये ? घटनाओं में लगातार वृद्धि और पुलिस विफलता का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

40–उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्ष में वाहन चोरी की घटनाओं तथा बरामदगी का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	वाहन चोरी की घटित घटनायें	बरामद हुए वाहनों की संख्या
1995	4030	1006
1996	4256	1016
1997	3966	1080

वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन को निर्धारित स्थानों पर न रखना एवं वाहन के प्रति सचेत न रहना वाहन चोरी की घटनाओं की वृद्धि का कारण है, तथापि प्रदेश की बढ़ती हुयी जनसंख्या एवं प्रतिवर्ष बढ़ते हुए वाहनों की संख्या को देखते हुए यह वृद्धि नगण्य है अतएव पुलिस विफलता का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में आयुद्ध (शस्त्र) लाइसेन्स की स्वीकृति हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्रों की जानकारी

41–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 30-9-97 तक वाराणसी में आयुद्ध (शस्त्र) लाइसेन्स के लिये प्रार्थना-पत्र अन्तिम रूप से जिलाधिकारी स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ? कितने लोगों को लाइसेन्स दिये गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अनापत्ति की सभी औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने के बाद अन्तिम रूप से जिलाधिकारी स्तर पर स्वीकृति की अपेक्षा में लम्बित रहते हुये यदि 6 माह की अवधि बीत जाती है तो पुनः प्रारम्भ से सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराने का क्या औचित्य है ? व्यापक जनहित और जन सुविधा की दृष्टि से सरकार कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

लाइसेन्स दिये जाने के पूर्व प्रार्थी की वास्तविक आवश्यकता एवं लाइसेन्स दिये जाने के औचित्य का परीक्षण किया जाता है । लम्बित प्रार्थना-पत्रों में से सबसे पुराना प्रार्थना-पत्र दिनांक 9-2-1996 का है ।

दिनांक 1-1-97 से दिनांक 30-9-97 तक 101 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये ।

लाइसेन्स स्वीकृत करने हेतु स्वीकर्ता प्राधिकारी की संतुष्टि आवश्यक है । अवधि अधिक होने के बाद पुनः पुलिस सत्यापन इस दृष्टिकोण से कराया जाता है इस अवधि में आवेदक द्वारा कोई अपराध तो नहीं किया गया है ।

शस्त्र अधिनियम एवं शस्त्र नियमावली में पहले से ही अपेक्षित व्यवस्थायें उपलब्ध हैं । अन्य कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है ।

ग्राम टकटई थाना शंकरगढ़ जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत रामजतन कोल की हत्या में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग एवं मृतक के आश्रित की सहायता राशि के भुगतान के संबंध में जानकारी

42–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम टकटई थाना शंकरगढ़ जिला इलाहाबाद के रामजतन कोल की हत्या में श्री बी० एन० सिंह थानाध्यक्ष मानिकपुर जिला छत्रपति शाहूजी महराजनगर, मुख्य

अभियुक्त है ? इस प्रकरण में अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? मृतक रामजतन के आश्रित को नियमानुसार सहायता राशि का भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

ग्राम टकटई थाना शंकरगढ़ जिला इलाहाबाद के राम जतन कोल की हत्या के संबंध में पंजीकृत मु० अ० सं० 227ए/97 धारा 147/148/149/302/307 भा० द० वि० में थानाध्यक्ष मानिकपुर व 4 पुलिस कर्मी नामित हैं । इसके विपरीत श्री बी० एन० सिंह, थानाध्यक्ष मानिकपुर द्वारा भी पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के संबंध में राम जतन आदि के विरुद्ध थाना शंकरगढ़ में मु० अ० सं० 227/97 धारा 147/148/149/307/342/332/355/506 भा० द० वि० व 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया है ।

दोनों अभियोगों में अब तक की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने के कारण अभियुक्तों की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पायी है ।

उक्त विवेचना से अभी तक इस बिन्दु का अनावरण नहीं हो पाया है कि मृतक राम जतन की मृत्यु थानाध्यक्ष मानिकपुर द्वारा हत्या के इरादे से चलाई गयी गोली से हुई है अथवा पुलिस पार्टी पर किये गये हमले में आत्मरक्षार्थ चलाई गयी गोली से हुई है । उक्त बिन्दु पर जांच/विवेचना पूर्ण होने पर ही मृतक राम जतन के आश्रित को सहायता राशि देने पर विचार किया जायेगा ।

स्व० श्री कैलाश नाथ मिश्र (पुलिस उप निरीक्षक) के निलम्बन के दौरान हुए सेवा निवृत्त में प्राप्त लाभों एवं मृत्यु के पश्चात परिवार के पारिवारिक पेंशन एवं भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान विषयक जानकारी

43–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री कैलाश नाथ मिश्र पुलिस उप निरीक्षक दिनांक 30 जून, 1984 को निलम्बन की स्थिति में सेवा निवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो उन्हें सेवा निवृत्त लाभों में से कौन-कौन लाभ उपलब्ध करा दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि श्री कैलाश नाथ मिश्र की मृत्यु वर्ष 1987 में हो गयी थी ? यदि हां, तो श्री मिश्र के परिवार/उत्तराधिकारी को क्या पारिवारिक पेंशन एवं उनकी भविष्य निर्वाह निधि में जमा धन का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नगत मामले किस स्तर पर लम्बित हैं और उनका निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

स्व० उप नि० श्री कैलाश नाथ मिश्र की पत्नी श्रीमती गंगा देवी को देय अनन्तिम उपादान की धनराशि रु० 12,177/= तथा श्री मिश्र के खाते में अर्जित 180 दिवस के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की धनराशि रु० 7675-20 के भुगतान हेतु क्रमशः दिनांक 22-11-97 व 6-12-97 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

जी हां ।

श्री मिश्र की पत्नी श्रीमती गंगादेवी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन का प्रकरण महालेखाकार उ० प्र०, इलाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–चार–1142-97 दिनांक 10-2-98 द्वारा प्रेषित किया गया था, महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा उनके पत्र सं० पी० ए०–3/3679 दिनांक 17-3-98 के अन्तर्गत पी० पी० ओ० सं० एल के एन/एफ/96643 पर श्रीमती गंगादेवी के पक्ष में पारिवारिक पेंशन/उपादान भुगतानादेश कोषागार, लखनऊ पर देय निर्गत कर दिया है, जिसकी सूचना श्रीमती गंगा देवी को भी भेजी गई है । पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ द्वारा यह सूचित किया गया है कि स्व० उप नि०

श्री मिश्र के वेतन से भविष्य निर्वाह निधि के लिए कटौती नहीं की जा रही थी । अतः भविष्य निर्वाह निधि का भुगतान किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विद्युत ट्रांसमीशन डिजाइन ऋण सहकारी समिति लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री परशुराम मणि त्रिपाठी सदस्य, विधान परिषद् के प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

44–श्री ओंकार–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री परशुराम मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 30-5-97 जो विद्युत ट्रांसमीशन डिजाइन ऋण सहकारी समिति लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक की गई है ? क्या यह सत्य है कि विद्युत ट्रांसमीशन ऋण सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार समिति को आर्थिक हानि पहुंचाने के विरुद्ध सहकारी अधिनियम की धारा–68 की जांच लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

पत्र प्राप्त होने की पुष्टि नहीं हो सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० सहकारी अधिनियम की धारा–68 (1) के अन्तर्गत जांच पूर्ण हो गयी है । जांच आख्या के आधार पर धारा–68(2) के अन्तर्गत अधिकार निर्धारित करने से पूर्व सुनवायी की नोटिस जारी कर दी गयी है ।

भ्रष्टाचार के संबंध में श्री राजेन्द्र सिंह पटेल विधायक फतेहपुर के प्राप्त पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

45–श्री समरपाल सिंह–

क्या संस्थागत वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, विधायक फतेहपुर का पत्रांक 1730/वी०आई०पी० दिनांक 22-8-97 तथा पत्रांक 1802/वी०आई०पी० दिनांक 2-9-97 जो श्री अशोक कुमार व श्री अवधराज, रजिस्ट्रेशन क्लर्क, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, सलोन, तहसील सलोन, जिला रायबरेली के भ्रष्टाचार के संबंध में है उनको प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों लिपिकों को स्थानान्तरित तथा निलम्बित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र जांच हेतु प्रेषित किये गये । प्रकरण में जिलाधिकारी रायबरेली से प्राप्त जांच आख्या में उक्त शिकायत निराधार पाई गई है, अतः लिपिकों के स्थानान्तरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ की पुलिस हेतु आवास निर्माण करवाने विषयक जानकारी

46–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ की पुलिस को टाइप–4 के 10 आवास, टाइप प्रथम के 500, टाइप द्वितीय के दो सौ आवास तथा टाइप तृतीय के 100 आवास निर्माण करवाने की तत्काल आवश्यकता है ? यदि हां, तो वर्ष 1997-98 में कितने-कितने आवास किस-किस श्रेणी के बनाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद में स्वीकृत नियतन के सापेक्ष विभिन्न श्रेणियों के आवासों की निम्नवत् आवश्यकता है :–

स्थान	श्रेणी–3	श्रेणी–2	श्रेणी–1	बैरक
पुलिस लाइन	10	104	—	122
पुलिस थाना/चौकी	122	97	506	164

इसके अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारियों के लिए टाइप–4 के 8 आवासों की आवश्यकता है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण वर्ष 1997-98 में जनपद मेरठ में आवासों का निर्माण नहीं कराया गया ।

जनपद मेरठ की पुलिस वायरलेस सेट बैट्री तथा चार चाडोर एवं जनरेटर आदि उपलब्ध कराने के विषय में जानकारी

47–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री मेरठ जनपद की स्थिति को देखते हुए आर० सी० 2625 अपट्रान वायरलैस सेट के स्थान पर 50 वाट्स नितवाले मोटरोल कम्पनी के 290 वायरलैस सेट 525 बैट्री तथा चार चाडोर तथा के० वी० ए० का एक जनरेटर जनपद पुलिस को उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

स्वीकृतियों के अनुरूप जनपद मेरठ को 186 अदद् स्टेटिक/मोबाइल तथा 96 हैण्ड हेल्ड वायरलेस सेट उपलब्ध कराये जा चुके हैं ? बैट्रियों की 196 अदद् की स्वीकृति है । 40 अदद् बैट्रियां अप्रैल, 1998 में प्रदान की गई हैं । चाडोर नामक संयत्र का उपयोग पुलिस दूर संचार में नहीं किया जाता है । स्वीकृति के अनुरूप 5 के० वी० ए० डीजल जनरेटर सेट वर्ष 1987 में दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ककर बाबा के जंगल, थाना रैपुरा, जिला छत्रपति शाहूजी महराजनगर में पुलिस द्वारा मारे गये डकैत का नाम व उसके खिलाफ मुकदमों की संख्या तथा उसकी जांच विषयक जानकारी

48–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 अक्टूबर, 1993 को ककर बाबा के जंगल, थाना रैपुरा, जिला छत्रपति शाहूजी महराजनगर की पुलिस ने एक मुठभेड़ में एक डकैत को मार दिया था ? यदि हां, तो उस डकैत का नाम क्या है ? उसके खिलाफ कितने मुकदमें किस-किस थाने में दर्ज थे ? क्या इस प्रकरण में सी० बी० सी० आई० डी० के जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 23 अक्टूबर, 1993 को नहीं, अपितु दिनांक 24 अक्टूबर, 93 को लगभग 6.30 बजे प्रातः कर्का आश्रम के पास वहद ग्राम हनुमानगंज में पुलिस मुठभेड़ में एक डकैत मारा गया था ।

मृतक का नाम छोटे लाल उर्फ छोटवा उर्फ कल्लू पुत्र देनई उर्फ राम संजीवन कोल, निवासी छितैनी थाना रैपुरा, जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर था । एक मुकदमा थाना मानिकपुर तथा दो मुकदमें थाना रैपुरा, जनपद छत्रपति शाहूजी महराजनगर में दर्ज थे ।

जी हां । जांच प्रचलित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी में वेधशाला बनाने विषयक प्रस्ताव की जानकारी

49–श्री मोहन सिंह रावत–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी में वेधशाला बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री हरि शंकर तिवारी)–

जी नहीं ।

गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी का क्षेत्र खगोलीय अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है ।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम गोहानी थाना पंवारा में श्री राम किशुन पटेल की पिटाई करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

50–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21-8-97 को ग्राम गौहानी थाना पंवारा जिला जौनपुर में श्री राम किशुन पटेल आदि को श्री देवतादीन आदि ने गम्भीर रूप से पिटाई कर घायल कर दिया था ? क्या रिपोर्ट करने पर अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया ? क्या घटना को यथार्थ से कम करके हल्की दफा में लगाकर मुकदमा कायम किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पुलिस द्वारा वांछित कार्यवाही न किये जाने पर जिलाधिकारी जौनपुर के कार्यालय पर 31-3-98 को धरना दिया था ? यदि हां, तो रिपोर्ट के आधार पर नामजद अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 21-8-97 को श्री राम किशुन पटेल आदि को अभियुक्त देवतादीन आदि द्वारा लाठी डन्डों से मारा पीटा गया ।

जी हां ।

जी नहीं । तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 31-3-98 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जौनपुर द्वारा जिलाधिकारी जौनपुर को ज्ञापन देकर तत्काल कार्यवाही कराने की मांग की गयी थी । स्थानीय पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के बाद आरोप पत्र संख्या–31 दिनांक 25-12-97 को ही न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

पुलिस रेगुलेशन एक्ट के प्रस्तर–525 में निहित प्राविधानों के तहत मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस संवर्ग को अंगरक्षक संवर्ग में स्थानान्तरित करने विषयक जानकारी

51–श्री छोटे लाल राजभर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट के प्रस्तर–525 में निहित प्राविधान के विपरीत 12 मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस संवर्ग को अंगरक्षक संवर्ग में स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? क्या सरकार उक्त प्रस्तर में निहित प्रविधान के तहत उन्हें न्याय दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 17-2-97 को सशस्त्र पुलिस के 12 मुख्य आरक्षियों को अंगरक्षक संवर्ग में स्थानान्तरित किया गया था, जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट के प्रस्तर–525 में निहित प्राविधान के विपरीत नहीं है ।

अंगरक्षक संवर्ग में मुख्य आरक्षी के पद पर व्याप्त रिक्तियों पर कम उम्र व चुस्त-दुरूस्त अंगरक्षक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस रेगुलेशन के एक्ट के प्रस्तर–454 के अन्तर्गत पास शुदा मुख्य आरक्षियों को अंगरक्षक संवर्ग से अस्थायी रूप से सम्बद्ध किया जाता है । उक्त नियमों के आलोक में 12 मुख्य आरक्षियों का स्थानान्तरण पुलिस अधीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा के अनुमोदनोंपरान्त किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस रेगुलेशन एक्ट का सन्दर्भित प्रस्तर–525 प्रोन्नति के संबंध में नहीं है ।

जिला मैजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा भूमि संरक्षण अधिकारी डी० पी० ए० पी० प्रथम बलरामपुर को रायफल का लाइसेंस निर्गत किये जाने विषयक जानकारी

52–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन जिलाधिकारी ने भूमि संरक्षण अधिकारी/डी०पी०ए०पी० प्रथम, पचपेड़वा, जनपद बलरामपुर/गोण्डा को उनके स्टाफ को रायफल लाइसेंस निर्गत किया था ? क्या लाइसेंस के प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान, फैजाबाद इकाई द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार लाइसेंस निरस्त कराने के लिये क्या कार्यवाही कर ही है ?

श्री कल्याण सिंह–

तत्कालीन जिला मैजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा केवल भूमि संरक्षण अधिकारी, डी०पी०ए०पी०, प्रथम बलरामपुर श्री प्रेम चन्द्र वर्मा को रायफल एवं रिवाल्वर लाइसेंस निर्गत किये गये थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी० आई० जी० बार्डर सिद्धार्थनगर आई०जी० बार्डर गोण्डा ए०डी०जी० बार्डर लखनऊ के प्रतिष्ठान व वाहन पर हुए खर्च का ब्यौरा तथा ए० के० 47 और मादक पदार्थ की जब्ती की जानकारी

53–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1जुलाई, 1997 से 15–4–98 के बीच में डी०आई०जी० बार्डर सिद्धार्थनगर/बहराईच/खीरी तथा आई०जी० बार्डर गोण्डा ए०डी०जी० बार्डर लखनऊ के प्रतिष्ठान व वाहन पर तथा पेट्रोल, डीजल पर कितना व्यय हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि व्यय की तुलना में कौन-कौन आई०एस०आई० एजेन्ट, गल्ला माफिया और कितना ए० के० 47 और मादक पदार्थ जब्त किये गये हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

(क) जी हां ।

व्यय विवरण निम्नवत् है :–

	प्रतिष्ठान पर व्यय (रुपयों में)	पेट्रोल/डीजल/पर व्यय (रुपयों में)
1–सिद्धार्थनगर परिक्षेत्र	1,15,53,394-00	405835-56
2–बहराइच परिक्षेत्र	1,13,98,425-00	249963-75
3–खीरी परिक्षेत्र	66,38,624-31	588352-82
4–गोण्डा जोन	16,27,191–55	94,501–00
5–ए०डी०जी० बार्डर, सीमा मुख्यालय, लखनऊ	29,96,739–35	2,87,028–00
योग :	3,42,14,374-21	1625681-13

महायोग : 3,58,40,055-34 (तीन करोड़ अठावन लाख चालीस हजार पचपन रुपये एवं चौंतीस पैसे)

(ख) वांछित विवरण निम्नवत् हैं :

1–सीमा पुलिस सिद्धार्थनगर द्वारा आतंकवादी ग्रुप बब्बर खालसा से सम्बद्ध आई०एस०आई० गतिविधियों में कथित रूप से अन्तर्ग्रस्त भागसिंह पुत्र फकीरिया सिंह निवासी भगवानपुरा जनपद–रोपड़ को गिरफ्तार किया गया ।

2–अवैद्य रूप से खाद्यान्नों को ले जा रहे कुल 16 व्यक्तियों को खाद्यान्नों के साथ गिरफ्तार किया गया । जब्त किये गये खाद्यान्नों का अनुमानित मूल्य लगभग रुपये 5,12,501.00 है ।

3–ए० के०–47 की बरामदगी शून्य ।

4–आलोच्य अवधि में सीमा पुलिस द्वारा विभिन्न तिथियों में गांजा–21 किलो 250 ग्रा०, चरस–6 किलोग्राम, शराब–89 बोतल, 474 पाउच एवं 10 लीटर जब्त किये गये ।

जनपद बलरामपुर के प्रभारी कोतवाली उतरौला द्वारा दिन दहाड़े पालतू गायों और बैलों को पकड़ने तथा गांव वालों को मारने तथा गिरफ्तार करने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

54–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-4-98 को जनपद बलरामपुर के प्रभारी कोतवाली उतरौला द्वारा पुलिस बल के साथ उतरौला कस्बे के निकट बंजारनवीह में दिन दहाड़े पालतू गायों और बैलों को जबरदस्ती पकड़ने और गांव वालों को मारने तथा उन्हें गिरफ्तार करने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता ने 18-4-98 को उनको, प्रमुख सचिव, गृह, तथा मुख्य सचिव उ० प्र० व पुलिस महानिदेशक

को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध क कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये फलस्वरूप प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्र नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के थाना जामों में दर्ज फर्जी एस०सी०एस०टी० एक्ट की जांच के संबंध में प्रश्नकत द्वारा पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

55–श्री तेजभान सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी को सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-97 तथा प्रमुख सचिव गृह को भेजा गया पत्र दिनांक 23-9-97, जिसमें अ०सं० 206/97 थाना ज सुल्तानपुर में दर्ज फर्जी एस०सी०एस०टी० एक्ट की जांच की मांग की गई है, प्राप्त हुआ है ? यदि तो इसकी जांच किस अधिकारी ने की है ? जांच का क्या परिणाम रहा ? यदि जांच नहीं हुई क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी मुसाफिर खाना–जनपद सुल्तानपुर ने की है ।

विवेचना से आरोप प्रमाणित न होने के कारण जुर्म खारिज सहित अन्तिम रिपोर्ट दि० 31-12- को न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा के थाना पिलुआ में अपहृत प्रबन्धक को मुक्त कराने हेतु वीरता और साहस प्रदर्शित करने व पुलिस कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र पर की गई कार्यवाही व जानकारी

56–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के अंग रक्षक राजेन्द्र सिंह 431 ए० पी०/4 सी०पी० व वीरेन्द्र सिंह यादव 386 ए० पी० दिनांक 17-10-97 को बदमाशों का मुकाबला करके पिलु थाना जनपद एटा में अपहृत को मुक्त कराया था ? यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारियों को प्रोन्नति प्र करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-11-97 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यव हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । दिनांक 17-10-97 को अपहृत श्री रघुराज सिंह, प्रबन्धक कोआपरेटिव बैंक, मार जनपद एटा को मुक्त कराने हेतु पुलिस का बदमाशों से कोई मुकाबला नहीं हुआ था । थानाध पिलुआ अपने पुलिस बल के साथ बदमाशों की तलाश में थे, कि रास्ते में मा० विधायक की अपने अंगरक्षकों श्री राजेन्द्र सिंह व वीरेन्द्र सिंह यादव सहित पुलिस पार्टी से मुलाकात हो गयी । पुलिस पा ग्राम कंचनगढ़ी के लाइसेंस धारी एवं अंगरक्षक बदमाशों की तलाश करने लगे । बदमाशों को स्वयं मारे जाने की आशंका होने पर वे अपहृत प्रबन्धक को छोड़कर भाग गये ।

जी हां ।

अदम्य साहस, वीरता एवं शौर्य प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति दिये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के स्तर पर एक कमेटी गठित है । उक्त पत्र पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० लखनऊ को संदर्भित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के थाना रुदौली में ग्राम प्रधान के गिरफ्तार करने संबंधी मामले की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की जानकारी

57–श्री संजय गर्ग–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–8 के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा अपराध संख्या 45/95 के अन्तर्गत धारा रुदौली 332/323/504/427 भा०दं०वि० जो दर्ज हुआ था वह श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय सुपुत्र श्री सुदामा प्रसाद उपाध्याय के विरुद्ध दर्ज हुआ था अथवा रमेश पुत्र सुदामा ? क्या चोंगरी ग्राम में सुदामा उपाध्याय नाम का कोई निवासी नहीं है ? यदि हां, तो मामले की विवेचना किस अधिकारी द्वारा की गई थी ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर सरकार रखने का कष्ट करेंगी ?

श्री कल्याण सिंह–

थाना–रुदौली में मु०अ०सं०–45/95 धारा 332/323/504/427 भा०दं०वि० कायम नहीं हुआ है और न ही थाना–रुदौली के अन्तर्गत चोंगरी ग्राम है । इसलिये शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में सचिव पद पर कार्यरत प्रभारी सचिवों के विनियमितीकरण की मांग

58–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री के संज्ञान में है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में सचिव पद पर कार्यरत प्रभारी सचिवों का विनियमितीकरण किया जाना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समिति के कर्मचारी को सचिव पद का कार्य देखने हेतु केवल अधिकृत किए जाने की व्यवस्था की गई थी, बाद में समाप्त कर दी गई । अतः प्रभारी सचिवों के विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद–महराजगंज व गोरखपुर में पंजीकृत मुकदमों में शासन द्वारा वादी को आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि वितरित करने के सम्बन्ध में जानकारी

59–श्री विनोद मणि–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–महराजगंज व गोरखपुर में 22 अप्रैल, 1997 से अब तक दोनों जनपदों के विभिन्न थानों में कितने अनुसूचित जाति के उत्पीड़न मुकदमें पंजीकृत किए गये हैं ? क्या पंजीकृत सभी मामलों में शासन द्वारा वादी को आर्थिक सहायता के रूप में धनराशि वितरित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? कितने मामलों में न्यायालय में आरोप सिद्ध पाए गए है ?

क्या न्यायालय द्वारा निर्दोष पाए गए मामलों में भी वादी को दी गयी सरकारी आर्थिक सहायता वापसी सरकार कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में जनपद–महराजगंज में 63 तथा गोरखपुर में 234 मुकदमें पंजीकृत किये गये हैं

जी नहीं । गोरखपुर के 127 मामलों में रु० 15,20,250/- तथा महराजगंज के 24 मामलों रु० 4,13,750/- वितरित किये गये ।

उपरोक्तानुसार ।

दोनों जनपदों के सभी मामले अभी न्यायालय के विचाराधीन हैं । निर्दोष पाये जाने पर न्यायालय आदेशानुसार यथा समय कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के थानों (टी०पी० नगर मेडिकल नौचन्दी, लिमादीगेट, भावनपुर, चांदीनगर फला अमीनग को भूमि उपलब्ध कराकर भवन व्यवस्था कराने विषयक जानकारी

60–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ के थाने (टी० पी० नगर मेडिकल नौचन लिमादीगेट, भावनपुर, चांदीनगर फला अमीनगर) अभी जीर्ण शीर्ण किराये के भवनों में चल रहे हैं त तीन थानों के पास भूमि भी नहीं हैं ? क्या सरकार उन थानों के लिए समुचित भवन की व्यवस्था क की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत थानों की आवासीय व्यवस्था की स्थिति निम्नवत् है :–

थाना	स्थिति
टी० पी० नगर	भूमि उपलब्ध हो गयी है, हस्तान्तरण की कार्यव प्रचलित है ।
मेडिकल कालेज	आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गयी किन्तु भूमि विवादित तथा मामले के न्यायालय में विचाराध होने के कारण अन्य भूमि की तलाश की जा रही है ।
नौचन्दी	दो एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु आवश्यक धनर अवमुक्त की जा चुकी है ।
लिसाड़ीगेट	भूमि क्रय हेतु आवश्यक धनराशि अवमुक्त की जा चु है ।
भावनपुर	7460 वर्गमीटर भूमि प्राप्त हो गयी है ।
चांदीनगर	भूमि तलाश की जा रही है ।
अमीनगर	भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी से पत्राचार वि जा रहा है ।

जी हां, प्रश्नगत थानों के भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उच्चतम न्यायालय की पीठ द्वारा कैदियों व जेलों की स्थिति सुधारने की सिफारिशें तथा उसके परिपेक्ष्य में नया जेल कानून बनाये जाने की प्रतिक्रिया की जानकारी

61–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मा० उच्चतम न्यायालय की एक पीठ द्वारा कैदियों व जेलों की स्थिति सुधारने के लिए सिफारिशें की गयी हैं ? यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं ? क्या उक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में नया जेल कानून बनाये जाने की अपेक्षा की गयी है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

जी हां ।

सम्बन्धित सिफारिशों तथा उनके परिपेक्ष्य में अपेक्षाओं व प्रदेश शासन की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में एक टिप्पणी संलग्न है । †

जनपद पौड़ी में राजस्व पुलिस (पटवारी) के पास शस्त्र आदि सुविधाएं न होने के कारण अपराध रोकने के लिये सम्पूर्ण जनपद को नागरिक पुलिस के अधीन करने विषयक व्यवस्था की जानकारी

62—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में विभिन्न अपराध बढ़ने पर राजस्व पुलिस अपराधों को रोकने में असमर्थ है ? क्या यह सही है कि राजस्व पुलिस (पटवारी) के पास कोई शस्त्र चौकी एवं अन्य सुविधायें अपराध रोकने के लिये नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या राजस्व पुलिस (पटवारी) से पुलिस व्यवस्था के लिये सम्पूर्ण जनपद को नागरिक पुलिस के अधीन रखने की व्यवस्था का निर्णय शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

राजस्व पुलिस (पटवारी) द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में घटित सभी अपराधों का निस्तारण त्वरित गति से किया जा रहा है ।

जी हां ।

कुछ पुरानी पट्टियों में चौकियां बनी हुई हैं राजस्व पुलिस को हथकड़ी एवं एक चपरासी के अलावा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

जी नहीं ।

जनपद गढ़वाल में पूर्व से ही यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राजस्व कर्मियों पटवारी भूलेख निरीक्षक व नायब तहसीलदार से ही पुलिस कार्य सम्पूर्ण रूप से लिये जा रहे हैं ।

---

† नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 148 पर ।

श्री यशपाल सिंह चौहान, विधायक, महामायानगर को सुरक्षा की विशेष व्यवस्था के संबंध में जानकारी

63—श्री महेन्द्र सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यशपाल सिंह चौहान, विधायक, महामायानगर को सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि व्यवस्था की जायेगी, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शासन की नीति के अनुसार माननीय विधायक जी को निश्चित अवधि तक के लिये निःशुल्क एक गनर की सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है, जो उन्हें प्राप्त है । माननीय विधायक के जीवन भय को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 5-11-97 से एक अतिरिक्ति गनर की सुविधा भी स्थानीय स्तर से प्रदान की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा के जिला सहकारी संघ में श्री वीरेन्द्र कुमार की सहायक आंकिक पद पर हुई नियुक्ति की जानकारी

64—श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जिला सहकारी संघ मथुरा में श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजाराम राकेश नाम के व्यक्ति की दिनांक 26-7-97 को सहायक आंकिक के पद पर अध्यक्ष, जिला सहकारी संघ द्वारा नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त पद के सृजन हेतु उक्त नियुक्ति की कोई पूर्व स्वीकृति किसी सक्षम अधिकारी से ली गयी थी ? यदि हां, तो कब और किस अधिकारी से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत मामले में जांच के आदेश दे दिये गये हैं तथा जांच के निष्कर्ष के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव के सचिव/महाप्रबन्धक द्वारा बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं निबन्धक के परिपत्र के परिपालन की जानकारी

65—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव के सचिव/महाप्रबन्धक द्वारा वर्ष 1997 में बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के कितने वार्षिक स्थानान्तरण किये गये हैं ? उक्त में से कितने अधिकारियों, कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण में निबन्धक के परिपत्र संख्या–128/अधि०/दिनांक 19-1-96 में निर्धारित नीति का अनुपालन किया गया है ? क्या निबन्धक के परिपत्र संख्या–सी० 112/ दिनांक 19-1-96 में निर्धारित नीति के विपरीत जिला सहकारी बैंक लि०

उन्नाव के अधिकारी/कर्मचारी अपनी गृह जनपद तथा निर्धारित समय सीमा से अधिक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो सचिव/महाप्रबन्धक द्वारा निबन्धक के परिपत्र का परिपालन क्यों नहीं किया गया ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

माह अगस्त, 97 में बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के 10 वार्षिक स्थानान्तरण किये गये ।

10 में से 1 अधिकारी का स्थानान्तरण निर्धारित नीति के विरुद्ध किया गया ।

निबंधक के परिपत्र में निर्धारित नीति के विपरीत 323 अधिकारी कार्यरत हैं जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाना था ।

यद्यपि उक्त अवधि में कार्य देख रहे सचिव/महाप्रबन्धक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी फिर भी प्रकरण की पुनः जांच अधिकारी से कराये जाने व दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के आदेश जारी किये गये हैं ।

जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव में कार्यरत महिला लिपिक द्वारा स्वयं की बीमारी हेतु दवाइयों की रसीदों की फेरबदल कर उसका भुगतान लेने के संबंध में उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

66—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव में कार्यरत एक महिला लिपिक ने अपनी स्वयं की बीमारी में दवाइयों की रसीदों में फेरबदल करके कुल 5,000 रुपया का गोलमाल किया है ? यदि हां, तो उक्त महिला लिपिक के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

रु० 5,100/= का अनियमित भुगतान किया गया है ।

प्रश्नगत महिला लिपिक श्रीमती किरन तिवारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित कर दी गयी है तथा सम्पूर्ण धनराशि की वसूली कर ली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में बाईपास सड़क के किनारे स्थापित प्रदूषण युक्त फैक्ट्रियों व चाली टेनरीज के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

67—श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जनपद में बाईपास सड़क के किनारे लगभग चाली टेनरीज व फैक्ट्रियां कई वर्षों से स्थापित हैं ? क्या इस कारण पूरे जनपद में अत्यधिक प्रदूषण फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रदूषण के नियंत्रण हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

लगभग 34 प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित हैं ।

जी नहीं ।

उन्नाव बाई पास सड़क के किनारे 34 प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित हैं जिसमें 22 टेनरी उद्योग एवं 12 अन्य उद्योग हैं। उक्त 22 टेनरी में से 5 टेनरी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33 "ए" के अन्तर्गत उक्त 5 टेनरी उद्योगों के बंदी आदेश जारी किये जा चुके हैं। शेष 17 टेनरी उद्योगों तथा 11 अन्य उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है। शेष अन्य उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद भदोही निवासिनी ग्राम हृदय पट्टी की श्रीमती राजपती देवी का अपने पति को हत्याकाण्ड में फंसाये जाने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र पर सी० बी० सी० आई०डी० की जांच की मांग एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी

68—श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राज पती देवी पत्नी श्री सिकचिल्ली राम, निवासिनी ग्राम हृदय पट्टी थाना व जनपद भदोही का प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-4-98 श्री दीप लाल भारतीय, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र संख्या–152/98 भा०ज०पा०/98 दिनांक 17-4-98 जो उनके पति श्री सिकचिल्ली राम जो कि कारपेट सेन्टर वाराणसी में अनुदेशक पद पर कार्यरत हैं, को फर्जी रूप से थाना भदोही में हुए तिहरे हत्याकाण्ड में फंसाये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? क्या उसमें सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जी हां।

स्थानीय पुलिस की विवेचना के दौरान गिरफ्तार किये गये सभी अभियुक्तों द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया तथा अभियुक्त लालता मुसहर के कब्जे से आला कतल रक्त रंजित कुल्हाड़ी भी बरामद हुई। विवेचना से राजपती देवी के पति श्री सिकचिल्ली राम तथा तीन अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302/307 भा० द० वि० का जुर्म साबित होने पर सभी का चालान जरिये आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 11-4-98 को प्रेषित कर दिये जाने के कारण मामले की सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा श्री हनोमान प्रसाद पुत्र श्री सर्वजीत वर्मा के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को दिये गये आदेश पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

69—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 16 मार्च, 1998 को सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा अपने पत्रांक 239/पी० एस० एच०, एस०–11/98, दिनांक 16 मार्च, 1998 में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को श्री हनोमान प्रसाद पुत्र श्री सर्वजीत वर्मा, निवासी ग्राम गढ़ी मिर्जापुर, परगना सतरिख, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी के संबंध में कोई आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप जांच से असत्य पाये गये ।

जनपद वाराणसी क्षेत्र के परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक इंचार्ज की तैनाती एवं कार्यकलापों में हुए सुधार के संबंध में जानकारी

70—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के वाराणसी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक के पद पर वरिष्ठता को नजरन्दाज कर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक इंचार्ज की तैनाती समस्त वित्तीय व प्रशासकीय अधिकारों सहित की गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? इस नियुक्ति के बाद वाराणसी क्षेत्र का संचालन तकनीकी व वित्तीय प्रतिफलों में किराये की बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखकर तुलनात्मक सुधार आया है ? यदि नहीं, तो उक्त तैनाती का औचित्य क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त तैनाती निगम हित में की गयी । कार्यकलापों में कुछ सुधार परिलक्षित हुआ ।

परिवहन निगम के पूर्वी मण्डल में चालक/परिचालक के स्वीकृत पदों पर अधिक नियुक्ति करना एवं नियुक्ति में आरक्षण संबंधी शासनादेशों का अनुपालन

71—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम के पूर्वी मण्डल में चालक/परिचालक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? कितने विशेष चयन अभियान पूर्व कार्यरत थे ? विशेष चयन के दौरान दोनों पदों पर अलग-अलग कितने पदों पर चयन हुआ ? कितनों को कार्य पर लिया गया ? क्या स्वीकृत पदों से अधिक लोगों को नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो पिछले 15 माह में चिकित्सावकाश एरियर वेतन के मद में धनाभाव के कारण भुगतान न कर पाने की स्थिति में उक्त नियुक्तियों का क्या औचित्य है ? क्या विशेष भर्ती अभियान में आरक्षण संबंधी शासनादेशों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अभियान हेतु क्या परिवहन निगम बोर्ड ने इन भर्ती पदों की संख्या की स्वीकृति प्रदान कर दी थी ?

श्री कल्याण सिंह–

परिवहन निगम के पूर्वी मण्डल में चालक/परिचालक के 6470 पद स्वीकृत हैं । विशेष चयन के पूर्व 6395 चालक/परिचालक कार्यरत थे ।

विशेष चयन के अन्तर्गत पूर्वी मण्डल में केवल चालक के 408 पदों पर चयन हुआ, जिनमें से 365 से कार्य लिया जा रहा है ।

जी हां, परन्तु स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्त कर लिये गये 184 चालकों को हटाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

विशेष भर्ती अभियान परिवहन निगम बोर्ड द्वारा स्वीकृत पदों के विपरीत अनुमोदन प्राप्त कर आरक्षण का कोटा पूर्ण करने के लिये किया गया ।

उ० प्र० रा० स० परिवहन निगम के पूर्वी मण्डल के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि, यात्रा भत्ता के मद में क्षेत्रवार खर्च की गयी धनराशि का विवरण

72—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० रा० स० परिवहन निगम के पूर्वी मण्डल के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि, यात्रा भत्ता के मद में सितम्बर, 1997 तक कितनी-कितनी धनराशि मुख्यालय द्वारा जारी की गयी तथा इन मदों में अब तक कितनी धनराशि क्षेत्रवार खर्च की गयी ? क्या मुख्यालय द्वारा जारी धनराशि से कम व्यय किया गया ? यदि हां, तो शेष धनराशि का क्या हुआ ? यदि अधिक व्यय किया गया है, तो क्यों और कैसे ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० परिवहन निगम के पूर्वी मण्डल के अन्तर्गत 4 क्षेत्र आजमगढ़, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा वाराणसी हैं । कर्मचारी भविष्य निधि, यात्रा भत्ता के मद में माह दिसम्बर, 1996 से सितम्बर, 1997 तक मुख्यालय द्वारा जारी की गयी तथा इन मदों में अब तक खर्च की गयी धनराशि का क्षेत्रवार विवरण निम्नवत् है :—

क्षेत्र का नाम	ई० पी० एफ० से अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1–आजमगढ़	68,41,330/-	68,41,375/-
2–इलाहाबाद	2,84,64,930/-	2,59,36,203/-
3–गोरखपुर	1,10,77,580/-	1,07,75,286/-
4–वाराणसी	3,02,51,293/-	3,02,66,982/-
<u>यात्रा भत्ता</u>		
1–आजमगढ़	35,000/-	34,129/-
2–इलाहाबाद	45,000/-	44,332/-
3–गोरखपुर	45,000/-	45,000/-
4–वाराणसी	45,000/-	46,403/-

मुख्यालय द्वारा जारी धनराशि से कम व्यय इलाहाबाद एवं गोरखपुर क्षेत्रों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि मद में किया गया । इलाहाबाद क्षेत्र द्वारा अवमुक्त धनराशि से 15,28,727/- तथा गोरखपुर क्षेत्र द्वारा 3,02,294/- कम व्यय किया गया यात्रा भत्ता के मद में आजमगढ़ और इलाहाबाद द्वारा क्रमशः 871/- एवं 668/- कम व्यय किया गया ।

शेष धनराशि निगम खाते में जमा कर दी गयी है ।

कर्मचारी भविष्य निधि मद में आजमगढ़ क्षेत्र द्वारा रु० 45/- अधिक विविध मद की धनराशि से व्यय किया गया । इसी मद में वाराणसी क्षेत्र द्वारा रु० 15,686/- अधिक व्यय किया गया, जो क्षेत्रीय अवशेषों में समायोजित किया गया । यात्रा भत्ता के मद में मात्र वाराणसी क्षेत्र द्वारा रु० 1,403/- अधिक व्यय किया गया, जो विशेष परिस्थितियों में विविध मद से व्यय किया गया ।

श्री रावेन्द्र कुमार वर्मा सिक्योरिटी गार्ड की लखनऊ में हुई हत्या के संबंध में दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस प्रशासन द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी एवं विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने विषयक जानकारी

73–श्री श्याम किशोर यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रावेन्द्र कुमार वर्मा, सिक्योरिटी गार्ड की हत्या दिनांक 3/4 अप्रैल, 1997 को रानी कटियारी हाऊस, लाल कुआं, लखनऊ में हुई थी जिसकी रिपोर्ट थाना–हुसैनगंज, लखनऊ में दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो क्या पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक हत्यारों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जागृति सिक्योरिटी सर्विस 138/93, फतेहगंज गल्ला मण्डी, लखनऊ द्वारा श्री वर्मा की विधवा को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । उक्त हत्या काण्ड की रिपोर्ट थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ में मु० अ० सं० 114/97 धारा 460 भ०द०वि० अन्तर्गत दर्ज हुयी थी ।

विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण आशीष माथुर, अकबर हुसैन उर्फ गुड्डू एवं बंटी के नाम प्रकाश में आये । अभियुक्त आशीष माथुर को दिनांक 30-5-97 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । अभियुक्त अकबर हुसैन एवं बंटी क्रमशः 9-6-97 एवं 23-6-97 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करके जेल गये ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

आर्थिक सहायता संबंधित प्रकरण लेबर कोर्ट में विचाराधीन है ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री राजधारी–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।)

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित थानों पर थानाध्यक्षों की तैनाती हेतु मापदण्ड की जानकारी

75–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थित थानों पर थानाध्यक्षों की तैनाती में ज्येष्ठता या श्रेष्ठता तथा अनुभव में कौन सा आधार लिया गया है ? क्या यह सही है कि जनपद जालौन में अधिकांश थानों पर कनिष्ठ उप निरीक्षकों को जिनके विरुद्ध अनके प्रशासनिक कार्यवाहियां हुई हैं उनको थानाध्यक्ष बनाया गया है तथा उनके अधीनस्थ 5 से 10 वर्ष तक थानाध्यक्ष रहे वरिष्ठ उप निरीक्षकों को रखा गया है ? यदि हां, तो क्या अनुभवी व वरिष्ठ उप निरीक्षकों को थानों का चार्ज दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । थानाध्यक्षों के पद पर तैनाती गुणावगुण के आधार पर की जाती है ।

जी नहीं । अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद बलरामपुर के थाना पचपेड़वा के अन्तर्गत गुण्डों व अपराधियों के पंजीकृत अपराध के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

76–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 1-10-97 से 15-4-98 के बीच थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर में अपराधियों को गुण्डा टैक्स न देने पर उन्होंने जानवरों के व्यापारियों को पकड़ा ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध पुलिस पचपेड़वा द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या गुण्डों, अपराधियों के विरुद्ध कोई अपराध संख्या 13/98 पंजीकृत है ? यदि हां, तो सरकार अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, अ० सं० 13/98 न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिवीजन बलरामपुर के आदेश से पंजीकृत किया गया है ।

जांच प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलरामपुर के विभिन्न थानों तथा कोतवालियों में व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत अपराध के आधार पर खोली गयी हिस्ट्रीशीट की समीक्षा कराकर उसे बन्द किये जाने विषयक जानकारी

77–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-1-1980 से 14-4-1998 के बीच में जनपद बलरामपुर के विभिन्न थानों में तथा कोतवालियों में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी हिस्ट्रीशीट खोली गयी थी ? क्या यह सही है कि विगत 18 वर्षों के बीच में कोई अपराध पंजीकृत नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार समीक्षा कराकर हिस्ट्रीशीट बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 1-1-80 से 14-4-98 तक जनपद–बलरामपुर के विभिन्न थानों तथा कोतवालियों में 378 व्यक्तियों के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट खोली गयी है ।

विगत 18 वर्ष के बीच 300 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत हुए हैं । केवल 78 के विरुद्ध कोई अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है ।

कुल 78 व्यक्तियों में से 67 व्यक्तियों को निगरानी बन्द की गयी है । शेष 11 व्यक्तियों की अपराधिक गतिविधियों की समीक्षा कर औचित्य पाये जाने पर निगरानी बन्द करने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

78–श्री उबैदुर्रहमान–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कोतवाली उतरौला में अपराधी टाप-टेन, टाप-फाइव के अन्तर्गत सूचीबद्ध अपराधियों की जानकारी

79–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कोतवाली उतरौला में 1 अक्टूबर, 1997 से आज तक कौन-कौन अपराधी टाप-टेन में टाप-फाइव में सूचीबद्ध हैं और कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध थाना कोतवाली में विगत तीन वर्ष के अन्दर उनके विरुद्ध विभिन्न धारा के अपराध दर्ज हैं और वांछित भी हैं ? क्या सरकार उन्हें गिरफ्तार कराकर उतरौला को अपराधमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत कोतवाली उतरौला में 1-10-97 से मई 98 तक टाप-टेन, टाप-फाइव के अन्तर्गत योग 12 अपराधी सूचीबद्ध हैं ।

उक्त के अतिरिक्त कोई वांछित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत जानमाल की सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के असलहे हेतु थानेवार प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर लाइसेन्सों का निर्गत किया जाना एवं लम्बित प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

80–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1997 से 15 अप्रैल, 1998 तक किस-किस थाने से किन-किन व्यक्तियों ने जानमाल सुरक्षा हेतु डी० बी० बी० एल०/एस० बी० बी० एल०/रायफल/रिवाल्वर असलहे के लिए आवेदन-पत्र दिया ? क्या वे आवेदन-पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा तथा उप जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति के साथ जिलाधिकारी, बलरामपुर के कार्यालय को प्राप्त हुए हैं ? इसमें कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स निर्गत किया जा चुका है ? कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? उन्हें लाइसेन्स क्यों नहीं दिया गया ? उनके विरुद्ध आरोप क्या थे ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बलरामपुर में दिनांक 1-11-97 से 15-4-98 तक आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों हेतु कुल 249 व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र दिये गये हैं जिनकी थानेवार सूची संलग्न है ।

उक्त 249 मामलों में से 13 मामलों में पुलिस अधीक्षक एवं उप जिलाधिकारी दोनों की संस्तुति लाइसेन्स देने हेतु अब तक प्राप्त हुई है ।

उक्त 13 मामलों में से 9 मामलों में आवेदित शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा अन्य 04 के संबंध में जिला मैजिस्ट्रेट स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है ।

इसके अतिरिक्त 11 अन्य मामलों में पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइसेन्स नहीं दिये जाने की संस्तुति की गई है । इन 11 मामलों में से 03 में आवेदक के विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज होने, तीन की आम शोहरत ठीक न होने व शस्त्र दुरुपयोग की सम्भावना होने तथा पांच मामलों में लाइसेन्स स्वीकृत करने का औचित्य न पाये जाने के कारण पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति नहीं की गई है ।

शेष 225 मामलों में पुलिस अधीक्षक तथा/अथवा उप जिलाधिकारी से जांच आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद बलरामपुर में डी० आई० जी० रेन्ज देवी पाटन मण्डल के सभी थानों से मांगी गई अपराधिक सूची के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

81–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15-12-97 से 15-4-98 के बीच में डी० आई० जी० रेन्ज देवी पाटन मण्डल ने तथा पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर ने सभी थानों से अपराधिक सूची मांगी थी ? यदि हां, तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

13 अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में डी० आई० जी० देवी पाटन के अन्तर्गत हिस्ट्रीशीट बन्द करने के संबंध में पुलिस अधीक्षकों को दिये गये आदेश एवं उसका अनुपालन जनपद बलरामपुर के सभी थानों में किया जाना

82–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-12-1997 से 15-4-98 के बीच डी० आई० जी० देवी पाटन मण्डल गोण्डा ने मण्डल के पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश दिया था कि जिन हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध कोई अपराध पंजीकृत नहीं है ऐसे लोगों की हिस्ट्रीशीट तत्काल बन्द कर दी जाये ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन जनपद बलरामपुर के सभी थानों पर किया गया ? यदि हां, तो वे कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनकी हिस्ट्रीशीट बन्द की गयी ? ऐसे कितने हिस्ट्रीशीटर हैं जिनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां । ऐसे 7 व्यक्ति थाना गौरा चौराहा तथा 4 व्यक्ति थाना–सादुल्ला नगर के क्षेत्रान्तर्गत है, जिनकी हिस्ट्रीशीट बन्द करने की कार्यवाही की गयी ।

थाना–उतरौला रेहराबाजार ललिया तथा हरैया से 26 ऐसे दुराचारियों की निगरानी बन्द कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है, जिनके विरुद्ध गत 5 वर्षों से कोई शिकायत प्रकाश में नहीं आई है ।

जनपद बहराइच के अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर के पंजीकृत अपराधों का विवरण तथा अवैध गतिविधियों की कथित जांच रिपोर्ट का सदन के पटल पर रखा जाना

83–श्री मुराद लारी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र (1997) के चौथे सोमवार के अता० प्र० सं०–57 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शातिर अपराधी अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर हिस्ट्रीशीटर तथा इसके तीन पुत्रों अलाउद्दीन, मु० हकीम एवं अन्तर्राष्ट्रीय ठग रजा खान निवासी मदरापाली भरथराय, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया के अपराधिक इतिहास का पूरा विवरण क्या है ? ठेकेदारी के बहाने जनपद बहराइच में इसके एवं इसके पुत्र अलाउद्दीन के आई० एस० आई० गतिविधियों एवं

नारकोटिक्स तस्करी में लिप्त रहने की जांच किस अधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी गयी है ? क्या उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत हुए :–

1–अप० सं० 35/53 धारा 147, 323 थाना रामपुर कारखाना, देवरिया ।

2–मु० अ० सं० 107/116 सी० आर० पी० सी० चालान ।

3–अ० सं० 122/65 धारा 394 भा० द० वि० ।

4–अ० सं० 47/49 धारा 395/397 भा० द० वि० ।

5–अ० सं० 54/50 धारा 396 भा० द० वि० ।

6–एन० सी० आर० 51/53 धारा 323 भा० द० वि० ।

7–एन० सी० आर० 194/53 धारा 506 भा० द० वि० ।

8–एन० सी० आर० 232/53 धारा 506 भा० द० वि० ।

9–अप० सं० 10/77 धारा 302 भा० द० वि० ।

अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल हन्नान के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत हुए :–

1–मु० अ० सं० 122/65 धारा 394 भा० द० वि० ।

2–मु० अ० सं० 107/116 सी० आर० पी० सी० चालान ।

3–अप० सं० 10/77 धारा 302 भा० द० वि० ।

मु० हकीम तथा रजाखान का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है ।

अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर व अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल हन्नान के संबंध में प्राप्त की गई जानकारी से आई० एस० आई० गतिविधियों एवं नारकोटिक्स तश्करी में लिप्त रहने की कोई भी सूचना पंजीकृत होना नहीं पाया गया और न ही इस संबंध में कोई जांच कराई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बहराइच के अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर द्वारा नजीरूल की हत्या के संबंध में सदन को गलत सूचना दिये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

84–श्री मुराद लारी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र (1997) के चौथे सोमवार के अता० प्र० सं०–57 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शातिर अपराधी अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर निवासी मदरापाली भरथराय, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया के एच० एस० सं०–62 ए को दिनांक 4-3-67 को ही बन्द कर दिया है ? क्या यह सही है कि एच० एस० बन्द होने के उपरान्त अब्दुल हन्नान पुत्र शमसेर व अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल हन्नान इसी गांव के निवासी नजीरूल पुत्र नबी हसन के दिनांक 31 जनवरी, 1997 के जघन्य हत्या काण्ड के मुख्य अभियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि 20 वर्षों तक शान्त रहने का कारण बताकर उक्त अभियुक्त का एच० एस० पुनः न खोलने क्या कारण हैं ?

क्या सदन को गलत सूचना प्रेषित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन स्तर से कोई कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । शान्त रहने के कारण नियमानुसार निगरानी बन्द कर दी गई थी ।

जी नहीं । हत्या काण्ड में मु० अ० सं० 10/77 धारा 307 भा० द० वि० बनाम अज्ञात पंजीकृत मुकदमा जांच से अब्दुल हन्नान व अलाउद्दीन एवं अन्य दो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लाल सिंह चौहान की पेंशन पंजाब नेशनल बैंक सिकन्दराराऊ से दिलाये जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की जानकारी

85–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाल सिंह चौहान एस०डी०आई०पी०पी०ओ० सं० शिक्षा/रा०पें०से०/वे–47/पी०–46/88-89, जुलाई, 1997 से पंजाब नेशनल बैंक सिकन्दराराऊ से पेंशन दिलाये जाने के पत्राचार उप कोषाधिकारी अलीगढ़ ने रोका है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि श्री चौहान को 8 माह से पेंशन नहीं मिली ? क्या उनके समस्त कागजात मथुरा कोषाधिकारी से पूर्व में ही आ चुके हैं ? यदि हां, तो उनके पेंशन न मिलने के लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार द्वारा पेंशनर को अविलम्ब पेंशन दिलाने हेतु व्यवस्था करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री लाल सिंह चौहान धारक पी०पी०ओ० सं०शि०/रा०पें०से०/वे०–147/पी–46/88-89 के पेंशन प्रपत्र कोषागार मथुरा से स्थानान्तरित होकर कोषागार अलीगढ़ में प्रथम बार दिनांक 20-1-98 को प्राप्त हुए । प्रपत्र अपूर्ण होने के कारण पत्राचार दिनांक 27-1-98 व 11-4-98 किये जाने के फलस्वरूप प्रपत्र पूर्ण होकर पुनः इस कोषागार में दिनांक 27-4-98 को प्राप्त हुए हैं ।

पेंशनर को प्रथम भुगतान कोषागार से किये जाने के उपरान्त ही बैंक में पेंशन स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान है । इसलिये कोषागार से प्रथम भुगतान की तिथि से पूर्व प्रपत्र पंजाब नेशनल बैंक सिकन्दराराऊ को स्थानान्तरित नहीं किये जा सके ।

श्री चौहान के पेंशन प्रपत्र माह जनवरी 98 में स्थानान्तरण के समय 6 माह की पेंशन कोषागार मथुरा पर ही देय थी यह विलम्ब स्थानान्तरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है ।

श्री चौहान के समस्त पेंशन प्रपत्र कोषागार मथुरा से प्रथम बार 20-1-98 को अलीगढ़ कोषागार में आये । अपूर्ण होने पर पत्राचार किया गया जिसके बाद पूर्ण होकर प्रपत्र दिनांक 27-4-98 को प्राप्त हुए हैं तथा श्री चौहान को पेंशन प्राप्त करने हेतु इस कोषागार के पत्र दिनांक 12-5-98 के द्वारा उपस्थित होने का अनुरोध किया गया ।

श्री चौहान के इस कार्यालय में दिनांक 6-6-98 को उपस्थित होने पर माह मई 98 तक की समस्त पेंशन का भुगतान कर दिया गया है तथा इनके लिखित अनुरोध पर पेंशन प्रपत्र वरिष्ठ कोषाधिकारी, महामाया नगर को पंजाब नेशनल बैंक सिकन्दराराऊ स्थनान्तरण हेतु प्रेषित कर दिये गये ।

श्री के० के० श्रीवास्तव मण्डलीय मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ फैजाबाद मण्डल का प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

86–श्री रामतेज यादव एडवोकेट तथा श्री राम विशुन आजाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकुमार सिंह, प्रवक्ता (भौतिकी) राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के संबंध में श्री के० के० श्रीवास्तव मण्डलीय मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ फैजाबाद मण्डल था पंजीकृत पत्र दिनांक 15-3-98 निदेशक, उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक तिथिवार क्या कार्यवाही की गयी है ? उसके क्या परिणाम रहे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र, पुलिस अधीक्षक (अभिसूचना) उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के पत्र दिनांक 25-4-98 के द्वारा शासन को प्राप्त हुआ था । शासन द्वारा उक्त शिकायती-पत्र एवं उसके संलग्नकों में उल्लिखित आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन को दिनांक 22-5-98 को अभिदिष्ट कर दी गयी है ।

87–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

श्री डी० के० पण्डा आई० जी० सी० आई० डी० के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित मामले पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही की जानकारी

88–श्री सुधाकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री डी० के० पण्डा आई० जी० सी० आई० डी० के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित मामले पुलिस महानिदेशक उ० प्र० द्वारा शासन को सन्दर्भित किये गये हैं ? यदि हां, तो कब तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के जी० आर० पी० थाने में दर्ज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमें से संबंधित अभिलेखों के गायब किये जाने के संबंध में डी० के० पण्डा के विरुद्ध जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री सुधाकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जी० आर० पी० इलाहाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 1133/96 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 420/406/201/120 बी० भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ? क्या इस मुकदमें से संबंधित अभिलेखों के गायब किये जाने में तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक रेलवे श्री डी० के० पण्डा के विरुद्ध क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

थाना जी० आर० पी० इलाहाबाद पर मुकदमा अपराध संख्या 1133/96 अन्तर्गत धारा 7/13 भ० नि० अ० पंजीकृत है ।

अभिलेखों के गायब किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी इलाहाबाद के निर्देशानुसार श्री डी० के० पण्डा के विरुद्ध मु० अ० सं० 161/98 अन्तर्गत धारा 218/120 बी/406/420 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया परन्तु श्री पण्डा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिवीजन याचिका दायर किए जाने के कारण कोई जांच नहीं की जा सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मु० अ० सं० 391/97 धारा 409/20 भा० द० वि० थाना कैन्ट जनपद वाराणसी में अपराध पंजीकृत कराने वाले का नाम एवं विधिवत जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

90–श्री सुधाकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 391/97 धारा 409/420 भा० द० वि० थाना कैण्ट जनपद वाराणसी में अपराध पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो किसकी तरफ से ? क्या अपराध पंजीकृत कराने से पहले इस मामले की विधिवत जांच की गयी है ? यदि हां, तो क्या इस पर विभाग की विधिक राय ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मुख्य मंत्री जी इस संबंध में समस्त तथ्यों की जानकारी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मु० अ० सं० 391/97 धारा 409/420 भा० द० वि० थाना कैन्ट, जनपद वाराणसी में श्री सर्वजीत सिंह, सभापति क्षेत्रीय सहकारी समिति पहड़िया, वाराणसी की तहरीर पर पंजीकृत हुआ ।

जी नहीं । अपराध दर्ज कराने हेतु विधिक राय लेना आवश्यक नहीं है ।

उक्त दर्ज अपराध की विवेचना पूरी होने के बाद ही समस्त तथ्यों पर प्रकाश पड़ पायेगा, ऐसी स्थिति में तथ्यों की जानकारी सदन के पटल पर रखना अभी सम्भव नहीं है ।

जनपद झांसी के गरौठा से लखनऊ तक सीधी बस सेवा प्रारम्भ किये जाने की मांग

91–श्री चन्द्रपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के गरौठा से लखनऊ तक सीधी बस सेवा कब से बन्द कर दी गयी ? क्या सरकार पुनः यह बस सेवा प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

गरौठा से लखनऊ मार्ग पर निगम की सीधी बस सेवा संचालित नहीं रही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत वैज्ञानिक सहायक के पदों पर साक्षात्कार एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त पर्यावरण विज्ञान से स्नातकोत्तर डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारियों को बोनस अंक दिये जाने का मामला

92–श्री छब्बू पटेल–

क्या पर्यावरण मंत्री को ज्ञात है कि उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दिनांक 1-6-97 को वैज्ञानिक सहायक पद के लिए साक्षात्कार लिया गया था ? यदि हां, तो उक्त साक्षात्कार में कुल कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाये गये ? उक्त पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त पर्यावरण विज्ञान से स्नातकोत्तर डिग्री एवं पर्यावरण विज्ञान से स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों को साक्षात्कार में कितने बोनस अंक दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त साक्षात्कार की वैधता के लिए समिति गठित करेगी ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

307 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये गये ।

वैज्ञानिक सहायक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अतिरिक्त पर्यावरण विज्ञान से स्नातकोत्तर डिग्री एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारियों को कोई बोनस अंक/वरीयता दिये जाने का कोई प्राविधान उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिषद् सेवा विनियमावली, 1995 में नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, सुल्तानपुर को समिति का सदस्य न होने के कारण ऋण की फर्जी वसूली के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच

93–श्री तेजभान सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, सुल्तानपुर को प्रेषित श्री आलमीन पुत्र दिलदार, निवासी धनापाड़े का पुरवा मजरे गौरियाबाद, सुल्तानपुर का दिनांक 22-12-97 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें साधन सहकारी समिति का सदस्य न होने के बावजूद ऋण की फर्जी वसूली की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच की गयी है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा जांच की गयी तथा जांच परिणाम क्या है ? क्या इस समिति को और भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत जांच अपर जिला सहकारी अधिकारी गौरीगंज द्वारा दिनांक 11-2-98 को की गई । जांच में शिकायतकर्ता के नाम दर्शित ऋण बकाया 1658-50 असल व 1080-00 सूद का कर्ज सही पाया गया ।

जी हां ।

अपर जिला सहकारी अधिकारी गौरीगंज से जांच कराई गयी । जांच में भोलानाथ मिश्र सचिव दोषी पाये गये जो पूर्व में ही निलम्बित हो चुके है । धन की वसूली हेतु आबीट्रेशन की कार्यवाही करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

94–श्री राम अचल राजभर–

[3सरे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद के सहकारी समिति मानूडीह कार्यरत कर्मचारियों को वर्ष 1996 से वेतन के भुगतान का मामला

95–श्री दद्दू प्रसाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति मानूडीह जनपद फैजाबाद में कार्यरत ऐसे कर्मचारी भी हैं जिन्हें विगत दिसम्बर, 1996 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों का विगत 1 वर्ष । माह का वेतन भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

समिति की आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर ही कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान सम्भव है । यह भुगतान तुरन्त कराया जाना सम्भव नहीं है ।

समिति के प्रबन्धकीय व्यय खाते में धन उपलब्ध नहीं है ।

96–श्री दद्दू प्रसाद–

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक, देवरिया द्वारा लकड़ी काटने के संबंध में प्रमुख सचिव (गृह) को प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

97–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 28-7-92 को मा० मुख्य मंत्री ने श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र जिसमें ग्राम सभा बांकी, ब्लाक व जिला देवरिया में श्री ओम प्रकाश द्वारा अवैध लकड़ी काटने पर जांच कराने के संबंध में था प्रमुख सचिव (गृह) को प्राप्त हुआ था ? क्या शासन द्वारा इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के अनुसार ओम प्रकाश द्वारा 11 कठ जामुन के पेड़ उसी की जमीन पर उसी के द्वारा लगाये गये थे जिन्हें उसने काटा था । जामुन का पेड़ काटने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता भी नहीं होती है । किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ग्राम रणस्वा, पट्टी रिगवाडस्यू तहसील लैन्सडाउन निवासी ताजवर सिंह विष्ट की हत्या के संबंध में जानकारी

98–श्री मोहन सिंह रावत 'गांववासी'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताजवर सिंह विष्ट ग्राम रणस्वा, पट्टी रिगवाडस्यू तहसील लैन्सडाउन, पौड़ी गढ़वाल की दिनांक 27-4-98 को रणस्वा के निकट अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या की गयी ? यदि हां, तो क्या पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार कर चुकी है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त प्रकरण की सी० बी० आई० जांच करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री ताजवर सिंह विष्ट का शव कालीगाड नामक स्थान पर मिला था । हत्या की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है ।

जी नहीं । हत्या की पुष्टि न होने और परिवार के सदस्यों द्वारा किसी पर शंका न करने के कारण किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई । प्रकरण की विवेचना राजस्व पुलिस द्वारा की जा रही है । अतः प्रकरण की सी० बी० आई० द्वारा जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ जनपद में पुलिस उपाधीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कान्सटेबिल तथा कान्सटेबिल पदों पर नियुक्ति का मामला

99–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मेरठ जनपद में 2 पुलिस उपाधीक्षक, 110 उपनिरीक्षक, 55 हेड कांस्टेबिल तथा 250 कान्सटेबिल के पद रिक्त हैं ? क्या सशस्त्र पुलिस में भी 50 हेड कान्सटेबिल तथा 200 कान्सटेबिल की आवश्यकता है ? यदि हां, तो कब तक मेरठ जनपद की उपरोक्त आवश्यकता की पूर्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । जनपद मेरठ में पुलिस उपाधीक्षक का एक पद रिक्त चल रहा था, जिसके समक्ष नियुक्ति की जा चुकी है । केवल उप निरीक्षक ना० पु० 39, एवं हेड कान्सटेबिल ना० पु०–5 पद रिक्त है । रैंकर एस० आई० सी० पी० के चयनित/प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है । निर्णय के उपरान्त रिक्तियों के समक्ष नियुक्ति किया जाना सम्भव होगा । हेड कान्सटेबिल ना० पु० की रिक्ति पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

100–श्री तेजभान सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के अन्तर्गत जारी शस्त्र लाइसेन्सों की संख्या एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गये शस्त्र लाइसेन्सों की संख्या आदि का विवरण

101–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह अप्रैल, 1997 से 15-12-97 तक जनपद बांदा में कुल कितने शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये ? उनमें अनुसूचित जाति के लोगों को कितने लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बांदा, जिसमें छत्रपति साहूजी महाराजनगर भी माह जून, 1997 तक शामिल था, में माह अप्रैल, 97 से 15-12-97 तक 490 शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये ।

उक्त 490 शस्त्र लाइसेन्सों में से 19 शस्त्र लाइसेन्स अनुसूचित जाति के लोगों को दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के पैलानी थाना के अन्तर्गत बाहरी जनपदों के लाइसेन्स धारकों के शस्त्र का पंजीकरण एवं अपराधीकरण के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेन्स का निरस्तीकरण

102–श्री महेन्द्र पाल निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के थाना पैलानी के अन्तर्गत कुल कितने लाइसेन्स धारक ऐसे हैं जिन्होंने बाहरी जनपदों से शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त किये हैं ? क्या उक्त सभी शस्त्र थाने में पंजीकृत हैं ? क्या यह सही है कि अधिकांश शस्त्र धारकों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके विरुद्ध पैलानी थाने में अभियोग पंजीकृत है ? यदि हां, तो क्या उनके लाइसेन्स निरस्त किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

ऐसे शस्त्र लाइसेन्स धारकों की संख्या–71 है ।

जी हां ।

आठ शस्त्र लाइसेन्स धारकों के विरुद्ध अपराधिक कारणों के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण की आख्या पुलिस द्वारा प्राप्त हुयी है जिनमें नियमानुसार शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण के बाद पंजीकृत हुए हैं ।

उक्त में से अब तक तीन के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किये जा चुके हैं तथा शेष 5 शस्त्र लाइसेन्सियों के शस्त्र लाइसेन्स निलम्बित कर निरस्तीकरण हेतु वाद न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद जालौन के खण्ड विकास महेबा के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति दमरास मल्थुवा के भूमिहीन व सीमान्त तथा लघु कृषक ग्रामीण सदस्यों के नाम से फर्जी खतौनी पर ऋण लेने के दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

103–श्री श्रीराम पाल–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के खण्ड विकास महेबा के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति दमरास में ग्राम मल्थुवा के भूमिहीन व सीमान्त तथा लघु कृषक ग्रामीण सदस्यों के नाम से फर्जी खतौनी तैयार करके तथा फर्जी सत्यापन के द्वारा खाद व बीज के नाम पर ऋण निकाला गया था ? यदि हां, तो क्या इसमें तत्कालीन उपरोक्त कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने

के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या फर्जी ऋण की वसूली ग्रामीणों से रोक कर दोषियों से की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पटेल राम कुमार वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० ब्रह्म दत्त द्विवेदी की हत्या में गिरफ्तार अभियुक्त उपदेश सिंह चौहान के विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक मुकदमें की जानकारी

104–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उपदेश सिंह के विरुद्ध पंजीकृत अपराध संख्या–146/1991 धारा 2/3 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना बेवर जनपद मैनपुरी सरकार द्वारा मुकदमा वापिस लिए जाने के संबंध में न्याय विभाग से जानकारी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

उक्त मुकदमा शासकीय निर्णय के अधीन वापस लिया गया ।

जनपद हरदोई में उपनिबन्धक कार्यालय बिलग्राम के मध्य रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत बैनामा की वापसी का मामला

105–श्री राम कृपाल

क्या सरकार को जानकारी है कि उपनिबन्धक कार्यालय बिलग्राम हरदोई में मार्च, 1995 से जून, 1997 के मध्य रजिस्ट्री हेतु प्रस्तुत बैनामा अभी तक वापस नहीं किये हैं ? यदि हां, तो इन बैनामों की शीघ्र वापसी हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यह बैनामा कब तक वापस हो जायेंगे ? विलम्ब के क्या कारण हैं ? अभी तक मामला किस स्तर पर लम्बित हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

उक्त अवधि के लम्बित बैनामों की शीघ्र वापसी हेतु जिले के अन्य उपनिबन्धक कार्यालयों के निबन्धन लिपिक को बिलग्राम में सम्बद्ध कर बैनामों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित कराई जा रही है । उक्त अवशेष बैनामों को वापस करने में लगभग दो वर्ष का समय लगना सम्भावित है ।

पर्याप्त निबन्धन लिपिकों की कमी ।

यह बैनामें अभी तक रजिस्टर में नकल किये जाने हेतु लम्बित है ।

उ० प्र० परिवहन निगम में परिचालकों के पदों में बेरोजगार अप्रेन्टिसों की नियुक्ति किये जाने विषयक जानकारी

106–श्री बृजेन्द्र पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवहन निगम उ० प्र० में परिचालक के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या रिक्त पदों पर बेरोजगार अप्रेन्टिसों की नियुक्ति करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर कब तक उक्त अप्रेन्टिसों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । वर्तमान में बसों की संख्या के आधार पर 13804 परिचालकों की आवश्यकता है, जिस विरुद्ध 13502 परिचालक कार्यरत हैं । इस प्रकार 302 परिचालक कम हैं । परिचालकों की तात्कालि आवश्यकता आन रोड निगम बसों/अनुबन्धित बसों की संख्या के अनुरूप घटती बढ़ती रहती है मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-1-95 में यह निर्देशित किया गया है कि सीधी भर्ती समय अप्रेन्टिसों को वरीयता दी जाय । बसों की घटती बढ़ती संख्या को देखते हुए परिचालकों की सीध भर्ती नहीं की जा रही है ।

प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं का परिवहन निगम में नियुक्ति का मामला

107–श्री बृजेन्द्र पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या परिवहन निगम से संबंधित मा० उच्च न्याया ने बेरोजगार अप्रेन्टिसों की नियुक्ति किये जाने संबंधी निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या यह भी सही कि परिवहन निगम के तत्कालीन अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक द्वारा दिनांक 19-3-96 को समस्त प्रशिक्षुओं व दिनांक 31-96 तक नियुक्त करने का शपथ-पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया गया था यदि हां, तो क्या समस्त अप्रेन्टिसों को नियुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12-1-1995 को सिविल अपील संख्या–4347–54/1990 प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को वरिष्ठता/पात्रता के अनुसार सीधी भर्ती के पदों में सीधे नियोजित करने व नहीं वरन् नियुक्ति में वरीयता दिए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए हैं ।

जी नहीं ।

दिनांक 19-3-96 को तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने मा० उच्चतम न्यायालय में शपथ-प दिया, जिसमें यह कहा गया था कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेग मा० उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के क्रम में 673 प्रशिक्षुओं की परिचालक के रिक्त पदों प नियुक्तियां दिनांक 12-1-95 से मार्च, 1997 तक की अवधि में की जा चुकी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी को उक्त पद का वेतनमान दिये जाने विषयक जानकारी

108–श्री बृजेन्द्र पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि श्री वीरेन्द्र कुमार तिवारी राज्य परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ में लाइब्रेरियन का कार्य विगत 20 वर्षों से कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि श्री तिवा लाइब्रेरियन पद की निर्धारित योग्यता बी० लिब० की डिग्री रखते हैं ? यदि हां, तो क्या श्री तिवारी व लाइब्रेरियन पद का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । परिवहन निगम मुख्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के समक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार तिवार परिचालक को अस्थायी व्यवस्था के रूप में जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है, माह सितम्ब 1988 से तात्कालिक प्रभाव से तदर्थ आधार पर कार्य चलाने के लिए तैनात किया गया है ।

जी हां ।

जी नहीं । श्री तिवारी को उनके मूल पद परिचालक के पद का वेतनमान ही दिया जा रहा है ।

परिवहन निगम के निदेशक मण्डल के संकल्प सं०–1688/88 द्वारा निगम के पुस्तकालय हेतु एक पुस्तकालयाध्यक्ष का पद वेतनमान रु० 515–865 में सृजित किया गया तथा इस पद पर भर्ती स्थानीय सेवायोजन के माध्यम से तथा विभागीय निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त कर प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है । सार्वजनिक उद्यम विभाग के शासनादेश सं० 1450/चौवालिस/2/1991 दिनांक 19-9-91 द्वारा शासन के अग्रेतर आदेशों तक सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के किसी पद पर किसी प्रकार की कोई नियुक्ति को प्रतिबन्धित कर दिया गया है । अतः पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया सम्भव नहीं है और नियमित नियुक्ति के अभाव में श्री तिवारी की उक्त पद हेतु निर्धारित वेतनमान अनुमन्य नहीं है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम–301 के अन्तर्गत आज दिनांक . . . . . .

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं नियम–301 की सूचना लेने के पूर्व आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि दिनांक 19-6-98 को इस पीठ से श्री प्रमोद कुमार जी को शेष अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया । इस सदन की परम्परा रही है, ऐसी स्थिति आई है कि सदन से मा० सदस्यों को निष्कासित किया गया है और उन पर पुनर्विचार हुआ है तो इस पर भी मान्यवर, आप पुनर्विचार कर लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी स्थिति का उल्लेख न करें ।

मैं नियम–301 ले चुका हूं । आज दिनांक 22 जून, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में शलाका के आधार पर निम्नलिखित सात सूचनाएं स्वीकार की गईं । जिसमें पहली सूचना डा० राम बाबू हरित की है, दूसरी सूचना समरपाल सिंह की है, तीसरी सूचना श्री उदयराज यादव की है, चौथी सूचना श्री लालजी वर्मा की है, पांचवी सूचना श्री चन्द्र नाथ सिंह जी की है, छठी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की है सातवीं सूचना श्री राम नरेश यादव जी की है ।

आगरा महानगर में नालों की सफाई कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, 15 लाख की आबादी वाले ऐतिहासिक आगरा महानगर में प्रति दिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक भ्रमण हेतु आते हैं । जो आगरा में व्याप्त गंदगी की दुर्गन्ध सूंघते हुये यहां के क्षेत्र के गन्दे चित्र अपने कैमरों में ले जाते हैं । इससे देश की बदनामी अन्यत्र देशों में होती है । यही नहीं कांग्रेस के पूर्व केन्द्रीय मंत्री द्वारा आगरा आगमन पर इसे विश्व का सबसे गन्दा शहर बताया है । प्रत्येक वर्ष यहां के नालों की सफाई हेतु लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं परन्तु परिणाम भ्रष्टाचार युक्त गलत क्रियान्वयन के कारण शून्य रहता है । नियमानुसार नालों की सफाई जमुना नदी की तरफ (टेल) से शुरू होकर शहर में हेड तक होनी चाहिए परन्तु बीच-बीच में नालों की सफाई व सिल्ट का न उठना तथा बरसात के समय सफाई होने से निकली सिल्ट का पुनः नाले में चले जाने के कारण कोई लाभ नहीं निकलता ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी पहली ही बरसात में पीपल मण्डी में नाले की सफाई न होने तथा जल भराव से लगभग 48 परिवारों के 34 मकान फटकर नष्ट होने से करोड़ों की आर्थिक हानि पीड़ितों को हुयी है, तथा प्रशासन द्वारा कोई राहत न मिलने से त्राहि-त्राहि मची हुयी है।

आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आगरा में बड़े नालों की सफाई का कार्य नियमित वर्ष भर चलाये तथा पीपल मण्डी के पीड़ित परिवारों को तुरन्त युद्ध स्तर पर सरकारी सहायता देने की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुये भविष्य में कोई पुनर्घटना होने पर संबंधित क्षेत्रीय सुपरवाइजर, स्वास्थ्य निरीक्षक व अन्य अधिकारी को सेवानिवृत्त करने की व्यवस्था की जाये।

(निम्नलिखित संलग्न दो सूचनायें पढ़ी हुयी मान ली गईं)

जनपद मेरठ के ग्राम पिटलोकर को हिन्डन नदी के कटान से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री समर पाल सिंह–

[मान्यवर, जनपद मेरठ के गांव पिटलोकर हिण्डन नदी की चपेट में है गत वर्ष बाढ़ आने के कारण इस गांव में काफी नुकसान हुआ था। इस गांव में नदी तीन तरफ से कटाव कर रही है। जल स्तर बढ़ने पर गांव के बहने की पूरी सम्भावना है। सिंचाई विभाग/बाढ़ नियन्त्रण विभाग तथा जिलाधिकारी से अनेक बार आग्रह करने के बावजूद इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुये तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा से लखनऊ तक बनी लगभग 4 कि०मी० तक सड़क का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज यादव–

[मान्यवर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत तहसील पुरवा से बनी मार्ग लखनऊ-कानपुर रोड पर मिलता, जिसकी लम्बाई लगभग 21 कि०मी० है, के 4 कि०मी० भाग का निर्माण लगभग 15 वर्षों से नहीं हो पाया है। इससे पुरवा क्षेत्र के निवासियों को लखनऊ आने के लिए लगभग 40 कि०मी० की अधिक दूरी तय करके उन्नाव से लखनऊ आना पड़ता है इस पर जहां काफी अधिक किराया देना पड़ता है, वहीं पूरा-पूरा दिन बरबाद हो जाता है सड़क पूर्ण न होने के कारण इस पर कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है। इससे जनपद एवं पूरे पुरवा क्षेत्र की जनता में काफी असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं जनहित के मामले को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए तत्काल सड़क निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकर नगर की नगर पंचायत इक्तिफातगंज में विद्युत आपूर्ति नगर फीडर की भांति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत नगर पंचायत इक्तिफातगंज बुनकर बाहुल्य नगर पंचायत है । लगभग 1500 पावरलूम विद्युत से संचालित होते हैं परन्तु विद्युत आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है । उक्त नगर पंचायत के अन्तर्गत आपूर्ति ग्रामीण फीडर मानकर मात्र 10 घंटे की जा रही है जिसके कारण पावर लूम बन्द होने से बुनकरों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त है ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त नगर पंचायत में विद्युत आपूर्ति नगर फीडर के भांति किए जाने की मांग करता हूं ।

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मिट्टी का तेल एवं चीनी की काला बाजारी रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद के सदर विधान सभा क्षेत्र में मिट्टी का तेल एवं चीनी काले बाजार में व्यापक रूप से बिक रहा है । मिट्टी का तेल 10 रुपया लीटर से 12 रुपया लीटर बिक रहा है तथा चीनी भी सस्ते गल्ले की दुकान से वितरण नहीं किया जा रहा है । गांव सभा के आबादी के हिसाब से कोटा भी नहीं है अतः इस संदर्भ में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि गांव सभा का कोटा आबादी के हिसाब से रखा जाय तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।]

जनपद छत्रपति साहू जी महाराज नगर के कर्वी तथा मऊ के बीच में मार्ग को चौड़ा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दद्दू प्रसाद–

[मान्यवर, राज्य मार्ग सं० 44 झांसी मिर्जापुर मार्ग में कर्वी तथा मऊ के बीच में जिला छत्रपति साहू जी महाराज नगर में चौड़ीकरण का कार्य नहीं कराया गया जबकि शेष भाग में चौड़ीकरण का कार्य करा दिया गया है यह एक व्यस्ततम सड़क है जिसमें छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन अत्यधिक संख्या में है कर्वी व मऊ के बीच में एकल मार्ग है जिससे बरसात के समय में वाहन कच्ची काली मिट्टी में फंस जाते हैं दो-दो दिन तक आवागमन रुक जाता है जनता की जोरदार मांग है कि इस मार्ग का चौड़ीकरण करवाया जाये । चौड़ीकरण न होने से जनता में आक्रोश व्याप्त है ज्ञातव्य हो कि चित्रकूट जाने के लिये यही एक मात्र मार्ग है तीर्थ यात्रियों को भी बड़ी परेशानी होती है ।

अतः आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि लोकहित के इस ज्वलन्त समस्या की ओर शासन का ध्यानाकर्षण कराने की कृपा करें ।]

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।
नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लखनऊ शहर में दिनांक 21-6-98 को दो समुदायों में हुए विवाद को निपटाने के नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव–

[मान्यवर, कल पुराने लखनऊ के अकबरी गेट स्थित एक मीनारा मस्जिद की दीवालों पर कुछ तत्वों द्वारा तबर्रा लिख दिये जाने से आपस में पत्थर बाजी हुई कुछ लोग घायल हुए सभी समुदाय के लोगों ने अकबरी गेट पर घंटों जाम रखा । इस प्रश्न को लेकर बड़ा तनाव है । थोड़ी सी लापरवाही बड़ा खतरनाक मोड़ ले सकती है एवं कर्फ्यू लगाने की स्थिति भी आ सकती है । यह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया है । स्थिति भयावह है ।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए आपकी अनुमति से इस प्रश्न को उठाकर सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अविलम्ब आवश्यक कड़े कदम उठाने की मांग करता हूं ताकि कोई भयंकर घटना न घट सके ।.

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22-6-98 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई :–

पहली सूचना श्री सुबाषचन्द्र श्रीवास्तव व श्री जगदम्बिका पाल की दूसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की, तीसरी सूचना श्री लाखीराम जोशी की , चौथी सूचना श्री मुरलीधर, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री बी० आर० वर्मा, श्री श्रीराम पाल की पांचवी सूचना श्री लालजी वर्मा की है उपर्युक्त सभी सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं अतः मैं इन्हें अग्राह्य करता हूं ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत कैसे आती है इसको आप सुन लें ? मेरी सूचना सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बहुत पुराने और अनुभवी सदस्य हैं । जब कोई सूचना अग्राह्य कर दी जाती है तो उस पर विवाद नहीं किया जाता है ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अग्राह्य करने के बाद इसका कोई औचित्य नहीं है । आप स्वयं इस पीठ को सुशोभित कर चुके हैं । आप परम्पराओं से परिचित हैं । इस पीठ से अगर कोई विनिश्चय हो जाता है तो उस पर विवाद नहीं खड़ा किया जाता है ।

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मद संख्या 3 में कुछ नहीं है । मद संख्या 4 में कुछ नहीं है । मद संख्या 5 में कुछ नहीं है । मद संख्या 6 में भी कुछ नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी सूचना इस सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है कृपया आप इसे सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप इतने वरिष्ठ, और विद्वान सदस्य हैं इस पीठ के विनिश्चय पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी बात दो मिनट के लिए सुन लें । दिनांक 19-6-98 को सदन की कार्यवाही के दौरान श्री प्रमोद कुमार जी ने कहा कि मेरी बात आप सुनें । इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले सरकार का उत्तर आ जाने दें । आप कृपा करके बैठ जाएं । यदि आपको लगता है कि न्यायालय की अवमानना हुई है तो न्यायालय में आप एक दरखास्त दे दें ।

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पाल जी, मैंने आपकी बात सुनी, मेरा कहना यह है कि इसी सदन के सम्मानित सदस्य डा० अम्मार रिज़वी ने इस सम्बन्ध में सूचना दी है और इस पर सम्यक रूप से विचार हो रहा है, समय आने पर उसके परिणाम मालुम हो जायेंगे, कृपया आप विराजे ।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 22-6-98 को नियम–311 में प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्न सूचनायें चयनित की गयी हैं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री अखिलेश कुमार सिंह की प्रदेश की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसी विषय पर जिन अन्य माननीय सदस्यों की सूचना है वे हैं श्री कौकब हमीद, श्री बनारसीदास चांदना, श्री कंवरपाल सिंह मास्टर, श्री समरपाल सिंह, श्री दीपक कुमार, श्री मुश्ताक सोलंकी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री आर० के० चौधरी, श्री बी० आर० वर्मा, श्री रामललित चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री जगदीश नारायण मुन्ना, श्री अकबर हुसैन, श्री इल्म सिंह, श्री धर्म राज निषाद, श्री मुरलीधर, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री जगपाल, श्री राम जग, श्री विनोद मणि, श्री अवधेश प्रसाद, श्री अम्बिका चौधरी, श्री कैलाश यादव, श्री सीताराम निषाद, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री लालमणि प्रसाद, श्री गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री मुराद लारी, श्री बाबू लाल कुशवाहा, एवं श्री राम सिंह सैनी । मेरा निवेदन है कि चूंकि ऐसी बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने इस संबंध में ग्राह्यता पर सुनने का आग्रह किया है । अगर इस सूचना पर 3-4 माननीय सदस्य बोल लें तो बाकी जो सूचनायें हैं उनको भी सुना जा सकेगा । एक-एक दल से एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात रखें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, बहुत गम्भीर विषय है इस पर ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को अवसर दें ताकि वह अपनी बात रख सकें ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप जो निर्णय देंगे, जिस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देंगे वह बोलेगा, यह सदन की परम्परा रही है, हम उसके अनुसार आचरण करना चाहते हैं,जिन दलों ने जो सूचनायें दी हैं और जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, विषय तो ऐसा है कि आपको उदारता रखते हुए जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं उनको भी अपने विचार रखने का अवसर देना चाहिए, उनको भी अनुमति दें ताकि उनके मूल्यवान विचार आ सके । लेकिन जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उनको अवश्य समय देने की कृपा करें । आप एक-एक दल से दो-दो माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 में इसके अलावा भी और महत्वपूर्ण सूचनायें हैं जिनको सुना जाना है । इस सूचना पर 32 लोगों के हस्ताक्षर हैं ऐसी स्थिति में कोई-कोई व्यवहारिक हल निकालना होगा । आप अपने दल के उप-नेता है । एक-एक दल से एक-एक माननीय सदस्य को अच्छी तरह से सुन लूंगा ताकि उनके स्पष्ट विचार आ सकेंगे । एक-एक मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते हैं ।

मैं सभी दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि वह एक-एक माननीय सदस्य का नाम भेज दें ।

(श्री अम्बिका चौधरी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी जी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रत्येक दल में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, प्रत्येक सदस्य इतना योग्य है कि इस गम्भीर विषय पर पूरे दल की ओर से बड़ी बखूबी अपनी बात कह सकता है । सब लोग बोलें, मगर जो बोले, वह अपनी पूरी बात कह लें, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक-एक माननीय सदस्य का नाम भेज दें, मैं अच्छा समय देना चाहता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप सर्वोच्च पीठ पर बैठे हैं, आप जो निर्देश करेंगे, उसका पालन होगा । लेकिन आप सूचना को देख लें, माननीय सदस्यों के हस्ताक्षरों को देख ले, उसके अनुसार अपना निर्णय करें ।

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, कितनी सूचनायें चयनित हैं, कितनी चुनी गई हैं, पूरा पहले बता तो दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पहले ही बता चुका हूं कि आठ सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उसमें से पांच को सुना जायेगा ।

* श्री अवधेश प्रसाद–

अलग-अलग बता दें, वह पांच कौन सी हैं, विषय क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

पहली के बारे में मैं बता चुका हूं । दूसरी सूचना श्री चन्द्र नाथ सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के मान्धाता निवासी श्री मो० नसीम की कथित रूप से पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसरी श्री राम शंकर पाल की जनपद जालौन में हत्या, डकैती व अपहरण आदि की निरन्तर बढ़ती हुई घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी श्री राम नक्षत्र की जनपद कुशीनगर के भेंवरही कस्बे में पुलिस एवं आबकारी विभाग की लापरवाही के कारण जहरीली शराब के पीने से हुये दर्दनाक हादसे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में और इसी पर सूचना श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव की तथा पांचवीं सूचना श्री भोलाशंकर मौर्य की समाजिक परिवर्तन के पक्षधर महापुरूषों के सम्मान में निर्मित

स्थलों, स्मारकों को सरकार द्वारा ध्वस्त किये जाने की कथित साजिश से उत्पन्न स्थिति के सबंबंध में है, इन पांच को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस लोक महत्व के संवेदनशील प्रश्न पर जो तात्कालिक भी है और पूरे प्रदेश के आम जनजीवन से जुड़ा प्रश्न है, उसकी सुरक्षा का प्रश्न है, पर बोलने का मौका दिया है । श्रीमन् इस प्रश्न पर आपने माननीय सदस्यों की जिज्ञासा भी देखी कि इस उत्तर प्रदेश की दयनीय होती कानून व्यवस्था पर तमाम माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और कदाचित आप भी इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति और सरकार द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करने के बावजूद आज इस सरकार के नौ माह के कार्यकाल के बाद, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, उसके संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, आज आपने स्वयं समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुराने लखनऊ के दो व्यापारियों को सुबह 7 बजे थाने के पास 2 लाख 80 हजार रुपया लूट लिया गया, इसी तरह कल शाम को जेल रोड पर सीएलो कार और मारूति कार के बीच बंगला बाजार तक फायरिंग होती रही, यह शासन प्रशासन के लिये शर्म की बात है जैसे सीएलो कार और मारूति कार में बैठे लोगों में खुलेआम गोलीबारी की चांदमारी हो । आज पुलिस यह भी पता नहीं कर पा रही है कि सीएलो में कौन लोग थे, मारूति में कौन से अपराधी थे ?

यह इस बात का जीता जागता नमूना है । उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम ऐसे माफिया दुर्दान्त अपराधी खुले आम विचरण कर रहे हैं जिसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है । आज जिस तरीके से कुणाल रस्तोगी जो दवा के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनका अपहरण किया गया उनके पिता की हत्या की गयी, गर्वनर हाउस के सामने जूनियर इंजीनियर की हत्या की गयी, चीफ मिनिस्टर के घर की रोड पर प्राइवेट गार्ड को खींचकर 4 लाख रुपया छीन लिया गया । जहां सरकार बैठी है, पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं वहां यह हाल है । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के एस०एस०पी० को यह परिपत्र जारी करना पड़ा कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वह किसी सूनसान स्थान पर न जांय, किसी सूनसान पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल न भरायें, अपना प्रोग्राम किसी को न बताये और जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते से न आयें ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह राजधानी के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जिस पर जनता के सुरक्षा का दायित्व है और उसके द्वारा जनता को यह कहा गया कि आप अपनी सुरक्षा का दायित्व स्वयं करें । सरकार और प्रशासन आपकी सुरक्षा का यह दायित्व नहीं कर सकती । आज सरकार और सरकार के माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी जो कानून व्यवस्था को प्राथमिकता मानकर चलते हैं उन्होंने कहा है कि अपराधियों को भयग्रस्त करेंगे और आम जनता को भयमुक्त करेंगे । लेकिन आज प्रदेश में इसका उलटा हो रहा है व्यापारी संगठन या किसी संगठन के लोग हों वह सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं । आम जनता सुरक्षित नहीं है और भयग्रस्त है, प्रदेश के अपराधी भयमुक्त हो चुके हैं तो इससे गम्भीर कोई और प्रश्न नहीं हो सकता है इसलिए मैं समझता हूं कि जो इतना गम्भीर प्रश्न है और पूरे प्रदेश की जनता की कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता के मन में शंका उत्पन्न हो गयी है कि सुबह को घर से जायेगा तो शाम को आयेगा कि नहीं । कोई सुबह घर से जाता है तो शाम को उसकी पत्नी सुहाग का थाल सजाये इंतजार करती है, वह वापिस आयेगा कि नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता तक सीमित रहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

बस्ती जनपद के छावनी में रोड पर बस को अपराधियों ने लूट लिया । थाने के पास घण्टों लूटा । आये दिन यह हो रहा है । इस तरह से प्रदेश में 20 प्रतिशत अपराध इन पिछले 3 माह में बढ़े हैं । यह हो सकता है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री आंकड़ों से यह सिद्ध करने का प्रयास करें कि अपराधों पर नियंत्रण है और आंकड़ा बढ़ा नहीं है लेकिन इससे यह सदन संतुष्ट नहीं होगा और न ही प्रदेश की जनता इस बात से सन्तुष्ट होगी ।

मान्यवर, आज पुलिस भी अपने को असहाय महसूस कर रही है शासन भी असहाय महसूस कर रहा है । जिस तरह से समाचार-पत्रों में निकल रहा है कि प्रदेश में मंत्रि-मण्डल में बैठे हुए प्रदेश के अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं उससे प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को असहाय पा रही है । आज अपराधियों के हौसले बुलन्द हैं । आज अपहरण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग बन चुका है । आज राजधानी में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गयी कि राजधानी में उद्योग के रूप में यह विकसित तो मुख्य मंत्री जी का बयान था कि 7 दिन के अन्दर कोई अपराध होगा तो विवेचना करके कार्यवाही होगी और अगर कार्यवाही नहीं होगी तो पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, इतने अपहरण हुए घटनायें हो गयीं लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है । तो मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्न को स्वीकार कर ग्राह्य करें ।

श्री प्रमोद कुमार के निलम्बन को वापस लेने की मांग

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं सूचना पर दूसरे माननीय सदस्य को बुला रहा हूं श्री दीपक कुमार नहीं हैं ।

* डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय प्रमोद कुमार जी के सिलसिले में, उनके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया जो प्रस्ताव कल उन्होंने रखा था उस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करें और माननीय प्रमोद कुमार जी को यहां आने की अनुमति प्रदान करें ।

मान्यवर, नियम 299 में उप नियम है उसके अन्तर्गत पहले इंगित कर निष्कासित करेंगे उसमें 3 उपवेशनों के लिए किया जाता है फिर 7 उपवेशनों के लिए किया जाता है और उसके बाद पूरे सत्र के लिए किया जाता है । लेकिन हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी हुकुम सिंह जी हैं इनका हुकुम हर जगह चलता है और एकदम से पूरे सत्र के लिए निलम्बित कर दिया गया ।

मान्यवर, सदन में अनेक बार घटनायें हुई हैं उसमें सदस्य निलम्बित हुए हैं लेकिन तुरन्त प्रस्ताव निलम्बन समाप्ति का आ जाता है और वह स्वीकार हो जाता है यह यहां की परम्परा रही है । जब भी सदन द्वारा किसी सदस्य का निष्कासन किया जाता है तो बाद में वापस ले लिया जाता है यह परम्परा है चाहे यहां हो, दिल्ली में या हाऊस आफ कामन्स में हो । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रमोद कुमार जी का निलम्बन वापस करके उनको सदन में वापस लायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री राम जग–

मान्यवर, जो बात अम्मार रिज़वी साहब ने रखी है उसका मैं समर्थन करता हूं।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सदन में प्रस्ताव पास किया था उसमें मेरा कोई दोष नहीं है मैंने तो केवल प्रस्ताव रखा था।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस विषय पर आप कृपया सभी नेताओं को 2-2 मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस समय एक सूचना चल रही है उसको लेने दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अब विषय उठ गया है तो सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्मार रिजवी ने एक जिज्ञासा बीच में व्यक्त की उस जिज्ञासा को शान्त करने की चेष्टा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने की। में आग्रह करूंगा कि एक सूचना चल रही है उसको हो जाने दीजिये।

(श्री दीपक कुमार, श्री मुश्ताक सोलंकी के नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है, जंगल राज है, गुण्डा राज है, भयमुक्त समाज का नारा खोखला साबित हो रहा है पूरे प्रदेश में दहशत का वातावरण है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जगह-जगह पर मार-पीट दंगे, गुण्डागर्दी, आगजनी, बलात्कार, एवं हत्यायें हो रही हैं। यह बड़े दुःख की बात है। उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति हो गयी है कि दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को जिम्मेदारी दे दी गई है। अराजक तत्व मंत्री बने हुए हैं और गुण्डों को संरक्षण भी दे रहे हैं और साथ ही राजनीतिक विद्वेष की भावना से गरीबों शोषितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों तथा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा महिपालपुर (कानपुर नगर) के थाना शिवराजपुर में सामूहिक अग्निकाण्ड, डकैती, लूट-पाट व घरों को जलाये जाने की घटना हुई है, मेतिपुर भैसाह (कुशीनगर) के थाना कसया में 25/30 राजभर परिवारों पर आबकारी गुण्डों द्वारा लूट-पाट एवं बलात्कार की घटनायें की गईं। खरूआंव (बलिया) थाना नगरा में डा० अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया और गरीबों पर जुल्म ज्यादती की गई। टपरा (आगरा) के थाना मलपुरा में लोधी समाज के लोगों ने यह कहकर कि हमारे आदमी मुख्यमंत्री हैं सवर्णों के साथ मिलकर 40/45 परिवारों पर हमला कर दिया, मार-पीट की, नादखेड़ा (हरदोई) के थाना पाली में

---

* तत्पश्चात् भाषण का पुनर्लीखण नहीं किया।

धोबियों की बस्ती पर हमला किया गया, मोहम्मद खेड़ा (लखनऊ) के थाना मलिहाबाद में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य हम आपके ओजस्वी वाणी से बहुत प्रभावित हैं परन्तु आप अपने को ग्राह्यता तक ही सीमित रखें और आपकी वाणी मधुरता के साथ हम तक पहुंचे इस बात की चेष्ठा करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात रख रहा हूं । समदा (लखनऊ) के थाना काकोरी में संतोष की बहिन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया । तिरगवां (लखनऊ) थाना मलिहाबाद में छोटे लाल पासी की पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, शमसाबाद (मऊ) थाना रानीगंज में मुसहर जाति की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, गडरियन का पुरवा (साहूजी महराजनगर) कोतवाली कर्वी चौकी शिवरामपुर में चार गडरियों की हत्या कर दी गयी, इटवा (साहूजी महराजनगर) में दो चमार जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी गयी कर्वी शहर थाना कोतवाली कर्वी में एक कुर्मी की हत्या कर दी गयी, ओवरी (पहाड़ी) थाना पहाड़ी में चमार जाति के लोगों को ब्राह्मणों ने मारा जिसमें एक व्यक्ति मर भी गया । इसी प्रकार से कर्वी थाने में बसपा कार्यकर्ताओं पर सामूहिक हमला बोलकर उनकी हत्या की गयी । मऊ और बरगढ़ थाने में लावारिश लाशें मिलीं । इसी प्रकार पुरवपताई मऊ में पासी-चमारों के ऊपर सवर्णों द्वारा हमला बोलकर पिटाई की गयी । इसी प्रकार से रामकृष्णनगर गुरूसहायगंज में सुमनलता के घर पर जोकि गरड़िया जाति की थी, गुण्डों ने कब्जा कर लिया ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसी तरह से नटपुरवा नसीराबाद में फारूक नाम के नौजवान की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गयी । मुरादाबाद के अकबरपुर थाने में मुश्ताक अहमद, इकबाल अहमद और हीरा लाल यादव इन तीन नौजवानों की जी०आर०पी०एफ० द्वारा बाहर फेंककर हत्या कर दी गयी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब आप अपना स्थान ग्रहण करें । मैं अब श्री अखिलेश कुमार सिंह जी का नाम पुकार रहा हूं । अब आप जो कुछ बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । यदि आप सदन को चलाना चाहते हैं तो हमें सहयोग करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप जो कुछ कह रहे हैं वह लिखा नहीं जा रहा है । मैं यह निर्देश देता हूं कि जो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । माननीय सदस्य यदि आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ? जो आपको समय दिया गया है उसका सदुपयोग करके कोई सार्थक बात आप यहां पर रखेंगे तो दूसरे माननीय सदस्य के समय में कटौती नहीं हो पायेगी । हम सब लोग यहां

---

xx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं । हमारे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है । अगर हम ही लोग नियम का पालन नहीं करेंगे और सहयोग नहीं करेंगे तो कठिनाई होगी । मैं पूरा प्रयत्न करता हूं कि आपको इतना समय दिया जाय कि आप कोई सार्थक बात रख सकें लेकिन इस प्रकार समय की डकैती करेंगे तो कैसे चलेगा ? मैं प्रत्येक राजनैतिक दल के एक व्यक्ति को बुलाने की चेष्टा करूंगा । माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहता हूं कि इस सूचना पर 32 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । अगर सभी को सुना जायेगा, तो कितना समय लगेगा, आप अन्दाज लगा सकते हैं और इसके बाद 4 सूचनायें हैं, तो इस सदन को कैसे चलाया जाये ? अगर एक दल का एक व्यक्ति अपनी बात रख लें तो उसका पूरा-पूरा सहयोग होगा और सभी की बात आ जायेगी । तो मैं समझता हूं कि आप सभी की सारी बातें आ जायें । इसलिये निवेदन कर रहा हूं । मैंने श्री अखिलेश कुमार सिंह को बुला लिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हमारा दल, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल विपक्ष का है । आप देखेंगे पहले जो परम्परा रही है, सबसे बड़े दल को अधिक अवसर दिया जाता है । इस सूचना पर जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं, उनको अवसर दिया जाना चाहिये । आप कार्यवाही निकाल कर दिखला लें कि जितना समय पीठ से लिया जाता है, अगर उतना समय माननीय सदस्यों को दे दिया जाये, तो वह अपनी बात कह सकते हैं । जितना समय पीठ से निर्देश देने में चला जाता है, उतने समय में माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं । हमारा दल सबसे बड़ा दल है । ऐसा मेरा मानना है कि आप हमारे दल को ज्यादा समय देने की कृपा करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कोई नाम भेज दें, मैं उसको बुलवा दूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई नई परम्परा न स्थापित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नाम उसी प्रकार से लिखे गये हैं, जिस प्रकार से उनके सूचना पर हस्ताक्षर हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पुनः व्यवस्था का प्रश्न है । आप जो कुछ कह रहे हैं, उस पर विचार कर लें । आपने कहा कि जैसे नाम आये हैं । आप क्रम को चेक कर लें, जांच लें ।

* श्री अखिलेश कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया । उसके लिये धन्यवाद । मान्यवर, जो सरकार है, उसने समाज और प्रदेश को भय मुक्त करने का नारा दिया है, भयमुक्त की बात जब आती है, तो मुझे याद आता है कि सरकार ने इस प्रदेश को इतना भयभीत कर दिया है कि अभी सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे थे कि मुख्य मंत्री की सुरक्षा नहीं है । प्रदेश में जब मुख्य मंत्री असुरक्षित है तो जनता की क्या बात है ? सरकार जनता की सुरक्षा के लिये बिलकुल चिंतित नहीं है । मान्यवर, अभी चर्चा हुई तो श्री जगदम्बिका पाल की सुरक्षा के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि श्री पाल जी को टेलीफोन पर धमकियां दी गई लेकिन सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनको सुरक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई । मान्यवर, आज गांवों में क्या हो रहा है उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंकवाद के साये में जी रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं ? जब-जब श्री कल्याण सिंह सत्ता में आते हैं तो अपराध का रेट बढ़ जाता है ।

मान्यवर, हमारी पार्टी के विधायक श्री प्रेम नाथ जी के बारे में अखबारों में बयान आया था लेकिन उसमें सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई । नैनीताल में माननीय सदस्य की पत्नी गई थी तो वहां पर उन पर गोलियों से हमला किया गया । हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य डा० अम्मार रिजवी जी हैं जिनको जान से मारने की धमकी दी जा रही हैं । किन्तु उनके सुरक्षा की कोई बात नहीं हैं । लेकिन सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की सुरक्षा की बात यहां की जा रही है । आज मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि अपराध मुक्त, समाज भयमुक्त किया जायेगा । लेकिन प्रदेश की जनता की बात कौन कहे आज मुख्य मंत्री अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों से भयभीत हैं और मंत्रिमण्डल के सदस्य मुख्य मंत्री से भयभीत हैं और कौन कब किसको पलट दे एक दूसरे से सब भयभीत हैं ।

मान्यवर, आज हिटलर शाही शासन द्वारा प्रदेश में शासन चलाया जा रहा है जिससे जनता ऊब चुकी है । आज विधायकों पर सरेआम गोली चलाई जा रही है किन्तु सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, और न एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है । आज शासन इतना लाचार और कमजोर हो चुका है कि उसके बारे में आप सभी जानते हैं । लेकिन मुख्य मंत्री आज कहते हैं कि प्रदेश में अपराधों का ग्राफ घटा है।। तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब पुलिस अपराधों को दर्ज ही नहीं करेगी तो ग्राफ घटेगा ही । अधिष्ठाता महोदय आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है । माननीय विपक्ष के नेताओं और लोगों का पूरे प्रदेश में हैरेसमेंट हो रहा है । कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पुलिस ने आठ-दस लोगों को मुख्य मंत्री के आदेश पर गोली से न उड़ा दिया हो । [× × ×] शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर शाही, नाजीबाद का तरीका अपना रही है जिसे प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी । मैं चाहूंगा कि कानून व्यवस्था पर चर्चा कराई जाय । मान्यवर, जब सरकार स्वयं अयोध्या में धर्म के नाम पर उन्माद बढ़ा रही हो और वहां पत्थर तरासने का काम तेजी से किया जा रहा हो जिससे दंगे होने की अशंका हो तो ऐसे समय में वहां इन कामों पर पाबन्दी लगा देना चाहिए । मान्यवर, अयोध्या में पत्थर तरासने की आड़ में सत्ता पक्ष के लोग अपनी तकदीर को चमकाने का सपना देख रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे गम्भीर विषय पर हमारी बात को सुना । मान्यवर, अन्त में मैं जानना चाहूंगा कि श्री जगदम्बिका पाल और डा० अम्मार रिज़वी की सुरक्षा हेतु सरकार क्या व्यवस्था करेगी ? धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

(श्री राम नक्षत्र के खड़े होने पर) मैंने आपके दल के सदस्यों को बुलाया था लेकिन कोई उपस्थित नहीं था । मैंने अब श्री रामजग जी को बुलाया है ।

* श्री राम जग–

अधिष्ठाता महोदय, उ० प्र० में बिगड़ती कानून व्यवस्था का सवाल एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । आज लखनऊ में ही देखा जाय यहां पर व्यापारियों की हत्या, लूट, अपहरण जैसे अपराध बढ़ रहे हैं । आज पूरे प्रदेश की स्थिति यह है कि

[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कोई सुरक्षित नहीं है । हमारे आजमगढ़ जिले में कोई दिन ऐसा नहीं है जब हत्या न होती हो । 16 ता० को एक सामाजिक कार्यकर्ता को करवा थाने में मार दिया गया । इसी 20 ता० को दो अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और एक भाई की हत्या कर दी, आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में यही स्थिति है । अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीबों की निर्दयतापूर्वक हत्यायें और उत्पीड़न हो रहा है । आज पूरे प्रदेश में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही हैं । चन्दौली में बबरौली थाना में दो मजदूरों की हत्या हो गयी सुल्तानपुर में ठीक कोतवाली के सामने बैंक से लाखों की डकैती हो गयी और पुलिस देखती रही । दंगे, लूट, हत्याओं की प्रदेश में बाढ़ आ गई है । अखबार में आधे पेज में हत्याओं का समाचार होता है । हरिजनों का उत्पीड़न, विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्याओं का समाचार आये दिन छपता है । पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । अभी सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी की जान को खतरा है । माननीय पाल साहब को टेलीफोन आता है कि आपकी हत्या की साजिश चल रही है । समाजवादी पार्टी के 2800 के आस पास कार्यकर्ताओं की हत्या हो गयी है, कम्युनिस्ट पार्टी के आधे दर्जन लोगों की हत्या हो गयी है, बी०एस०पी० के करीब 50 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो गयी है । पूरे देश और प्रदेश में जंगल राज कायम है ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उ० प्र० की पुलिस निकम्मी हो गयी है वह हत्यारों को नहीं पकड़ पा रही है, इनकी सरकार अपराधियों को प्रश्रय दे रही है, इनके मंत्री खुद अपराधी हैं । तो ऐसे में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा यह जरूरी है । आज पूरे प्रदेश में लोग आतंकवाद की शाया में जी रहे हैं । इसलिये मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है इस पर बाकी काम रोक कर चर्चा कराई जाय ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आतंक और भय व्याप्त है ।

श्री अधिष्ठता–

मैंने माननीय अवधेश प्रसाद जी को बुलाया है ।

श्री राम नक्षत्र–

पूरे प्रदेश की जो आतंक की स्थिति है उसे जुबानी प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें (व्यवधान) कुछ अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री राम नक्षत्र–

मान्यवर, प्रदेश में अपराध नियंत्रण के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, इनको अवसर दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, जिनके हस्ताक्षर थे उनका मैंने नाम पुकारा । अगर आप हस्ताक्षर करते हैं सूचना पर तो आपकी सूचना जब आ गयी तो आपको उपस्थित होना चाहिये । मैं यह केवल एक व्यक्ति के

लिये नहीं कह रहा हूं। यदि आप वास्तव में अपने प्रश्न के प्रति संवेदनशील हैं और आप चाहते हैं कि आपको ग्राह्यता पर सुना जाय तो आपको सदन में निश्चित रूप से उपस्थित होना चाहिये। अब मैंने दूसरे माननीय सदस्य को पुकारा है तो आप बीच में खड़े हो रहे हैं। मैं अवधेश प्रसाद जी को सुन लूं उसके बाद अगर समय रहेगा तो मैं आपको सुनूंगा। मैंने चारों लोगों को एक एक करके पुकारा कोई नहीं था।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं आक्षेप नहीं करता, जो क्रम उलझ गया था बड़ी मुश्किल से सीधा आया है, जैसे आया है वैसे चलने दें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आज सदन में प्रदेश की कानून और व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। अच्छा होता कि ग्राह्यता के सवाल पर जब माननीय सदस्यों की राय आ रही है तो माननीय नेता सदन आज यहां पर उपस्थित होते क्योंकि वह गृह मंत्री भी हैं और जिनके पोस्टर भी लगे हुये हैं। "कानून का राज होगा, भय मुक्त समाज होगा।" अगर वह होते तो हम उनसे यह पूछते कि बताइये कानून का राज कब होगा, भयमुक्त समाज कब होगा ? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां पर इस देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी का क्षेत्र है, जहां से प्रधान मंत्री इस शहर ने उनको बनाया, वहां के लिये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इश्तहार छपे हैं कि 6 बजे के बाद अकेले न निकले, टहलने शाम को न निकलें इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है ? आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां पर मुख्य मंत्री बैठते हैं, सरकार के मंत्री बैठते हैं, गवर्नर साहब बैठते हैं वहां पर सबेरे-सबेरे जिस तरह से दवा विक्रेता की हत्या करके उसके पुत्र को उठाया जाता है वह शर्मनाक है। यह जो पोस्टर लगे हैं, सूचना विभाग से कहिये कि कालिख लगवा दीजिये। इस पर लिखा है "कानून का राज होगा भयमुक्त समाज होगा" धिक्कार है ऐसे पोस्टर को।

हमारे जनपद के बगल में सुल्तानपुर है। वहां बैंक डकैती होती है और कोतवाली के सामने होती है। 4–4 एस०एस०पी०, डी०आई०जी० कैंप कर रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सिर्फ कार्यवाही किस पर होती है होमगार्ड पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 230 कार्यकर्ताओं की हत्या 17 तारीख तक हो चुकी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 17/18 तारीख की रात को हमारे जनपद में फैजाबाद में मेरे क्षेत्र में सोहावल में रौनाही में एक सहदेव नाम के दलित की हत्या 17/18 की रात को की गयी और उसकी बोटी-बोटी काट दी गयी। नलकूप पर उसका 24 वर्षीय बेटा भी था जिसकी हत्या कर दी गयी। जब मुझे हाउस से छुट्टी मिली और मैं मौके पर गया तो मौके पर जाते हुये दर्दनाक घटना मैंने देखी है। उसको शब्दों से मैं नहीं बता सकता और कल मैंने शोक सभा की थी। जब शोक सभा की थी तो वहां पर स्थानीय पुलिस ने लोगों को जाने की मनाही की। मान्यवर, यह घटना होती है जहां से पुलिस चौकी 100 गज दूरी पर है। कत्ल होता है और पुलिस कुछ नहीं करती है। मान्यवर, यह सब क्या हो रहा है ? एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि भयमुक्त समाज होगा कानून का राज होगा। हमारा यह प्रस्ताव है कि सूचना विभाग वाले मुख्य मंत्री जी का जो यह स्लोशन लगा पोस्टर है उसको हटा दें और उसकी जगह यह लगा दें कि "अब नहीं रहेगा कानून का राज, अब आयेगा जंगल का राज"। यह पोस्टर अगर सूचना विभाग वाले नहीं लगाते हैं तो हम एस०पी० के लोग लगा देंगे। आज प्रदेश में किसी की जिन्दगी सुरक्षित नहीं है।

हरदोई में एक डिप्टी कलेक्टर की हत्या कर दी गई। प्रत्येक जिले में दर्जनों हत्याएं हो रही हैं। आज जब मैं सदन के लिये आ रहा था तो रास्ते में पुलिस वाले ने रोक लिया कह रहा था कि 6–7 लाशें रास्ते में पड़ी हुई हैं। रोजाना कम से कम 50 लाशें लखनऊ से फैजाबाद के बीच में ट्रक से

कुचली हुई, लूटकर मारी गई और हत्या करके डाली गई मिलेंगी । मान्यवर, यह कानून का राज है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जवाब चाहता हूं लेकिन वह आये नहीं हैं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें । आज प्रदेश के जो हालात हैं वह हिन्दुस्तान में कभी नहीं रहे हैं । मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाय । मान्यवर, मेरी सूचना को स्वीकार करते हुए इस आदरणीय सदन में इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराई जाय । जब प्रदेश की जनता ही नहीं रहेगी तो कानून का राज कहां होगा ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को बुलाया जाय और इस विलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराई जाय ।

* श्री कैलाश–

मान्यवर, जो नये सदस्य हैं उन्होंने सूचना दी है उनको भी सुनें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो नोटिस हमारे दल की ओर से दी गई है उसमें कैलाश नाथ जी के हस्ताक्षर पहले हैं । यह पहली सूचना है जिसमें उनका नाम पुकारा गया है । नये सदस्य हैं, पहली बार उनकी सूचना पुकारी गई है ऐसी स्थिति में उनको अवसर अवश्य दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना के लिये बता दूं कि सूचना पर पहले हस्ताक्षर अवधेश जी के हैं ।

श्री गौरी शंकर (एडवोकेट)–

मान्यवर, जिस तरह से एक संकल्प लिया गया कि 'भयमुक्त समाज होगा, कानून का राज होगा' । मान्यवर, आज उस भयमुक्त में 'म' को 'य' कर दिया गया है और अब वह 'भयमुक्त' की जगह 'भययुक्त' हो गया है । उसी तरह से माफियाओं की सूची बनाकर उनको साफ करने का संकल्प लिया गया था । मेरी एक जानकारी है अगर आपकी जानकारी उसके विपरीत हो तो बतायें । अभी तक माफियाओं के सफाया करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है । माफिया आपसे साफ नहीं हो रहे हैं । आपको जो भी छोटी मोटी सूचना मिल रही है दिन दहाड़े पकड़ कर थाने में बन्द कर देते हैं और जंगल में जाकर मार देते हैं । हमारे यहां इसी तरह की एक घटना हुई जिसका उल्लेख करना चाहूंगा दिनांक 14-6-98 को दिन में करीब । बजे थानाध्यक्ष फूलपुर भुल्लन यादव, थानाध्यक्ष बड़ागांव, जनार्दन दुबे चौकी इन्चार्ज हरहुआ, श्री भृगुनाथ मिश्रा लगभग 25 पुलिस वालों के साथ थाना केराकत जौनपुर आए और बृजेश उर्फ गुड्डू का पता पूछने लगे जैसे ही इनको गुड्डू के बारे में पता चला-उसकी हत्या कर दी गई । इसी तरह से मान्यवर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थाना कोतवाली हजरतगंज में दरोगा को मार दिया गया और कोई कार्यवाही नहीं हुई । कोतवाली के सामने एस०आई को मार दिया जाए और आप कहते हैं कि भयमुक्त समाज होगा सौलोमन के एक व्यापारी का अपहरण हो जाए और उसके पिता की हत्या हो जाय और आपकी कानून व्यवस्था मूक दर्शक बनी देखती रहे । राजधानी में कहीं जूनियर इंजीनियर की कहीं इंजीनियर की हत्या हो रही हैं बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई आप कानून व्यवस्था को सुधारने में अक्षम हैं आप ऐसी समस्याओं का निदान करने में अक्षम हैं आप कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद घर से बाहर न निकलें ।

हमारी मातायें, बहनें टहलने जाती हैं तो उनके गले से जंजीर खींच ली जाती है चेन खींच ली जाती है चेन खींचकर गुण्डे भाग जाते हैं रात में ही नहीं दिन दहाड़े महिलाओं के साथ अभद्रता और अनाचार, दुराचार की घटनायें हो रही हैं आए दिन लोग हमारे पास आते हैं जिनको सुनकर दिल दहल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाता है । श्रीमन् मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है उद्योगपति इन्डस्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि वह जानते है कि उनको परेशान किया जाएगा पहले उनको बिजली नहीं दी जाएगी अगर बिजली लग गई तो दूसरे दिन से अपहरण शुरू हो जाएगा लड़के को उठा लिया जाएगा इन सारी चीजों को देखते हुए और सहयोगी होने के नाते यह निवेदन करूंगा कि आप सुरक्षा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं बाकी सब चीजो पर तो चर्चा होती रहेगी बजट आदि बनते रहेंगे यदि जन-जीवन सुरक्षित रहेगा, तो सब कुछ कर लेंगे, जीवन रहेगा तो सब पर चर्चा हो जाएगी, मेरा आपसे अनुरोध है कि सारी कार्यवाही को स्थगित करके, एजेन्डा स्थगित करके कानून-व्यवस्था पर चर्चा करायें कैसी कानून व्यवस्था हो कैसे इसको नयी दिशा मिले इस पर आप चर्चा करा दें ।

श्री राम बिशुन आजाद–

श्रीमन् सभी माननीय सदस्यों की भावनायें इससे जुड़ी हैं सब जगह जंगल राज कायम है मैं भी इस सदन का सदस्य हूं मेरे क्षेत्र में भी जंगल राज है.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रत्येक सदस्य बोलना चाहेगा तो कैसे सदन चलेगा ?

श्री राम विशुन आजाद–

कानून व्यवस्था पर मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कानून व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं ।

(व्यवधान)

डा० अम्मार रिजवी–

श्रीमन् निलम्बन के आदेश के बारे में प्रश्न किसी भी समय उठाया जा सकता है । कृपया इस प्रश्न को ले लें इस महत्वपूर्ण चर्चा में प्रमोद कुमार जी भी भाग ले सकें वह इस दल के नेता हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर वह उपस्थित भी रहते तो इस सूचना में भाग नहीं ले सकते थे क्योंकि इस पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे । वह निलम्बित हैं उनके हस्ताक्षर का सवाल भी नहीं था आप कृपया घुमाएं नहीं आप वरिष्ठ सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

(समय 1 बजकर 30 मिनट)

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आप नियमावली के नियम 299 को देख लें .....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

डा० अम्मार साहब अभी माननीय सदस्य ग्राह्यता पर बोल रहे हैं । उनको सुनने के बाद आपको सुन लिया जाएगा ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, किसी भी सरकार का प्रथम दायित्व है कि वह अपने प्रदेश के नागरिकों की जान माल की हिफाजत करे । कानून व्यवस्था को मेनटेन करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व है । जहां तक इस सरकार का सवाल है । जब यह सरकार पदारूढ़ हुई थी मुख्य मंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि मेरी प्रथम वरीयता कामून के राज को स्थापित करना है । पूरे प्रदेश के अन्दर, राजधानी के अन्दर बड़े-बड़े बोर्ड लगा दिए कि कानून का राज होगा भयमुक्त समाज होगा । लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कानून का राज होना तो दूर रहा जैसे-जैसे इस सरकार की अवधि बढ़ती जा रही है कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट होती जा रही है ।

कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है । आज स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश के अन्दर किसी भी व्यक्ति की किसी भी जगह जानमाल की कोई गारण्टी नहीं है । पता नहीं किसको मार दिया जाए किसको लूट लिया जाए ? दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो रही हैं । पूरे प्रदेश के अन्दर हत्याओं की बाढ़ आ गई है । अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं । प्रदेश के अन्दर जंगल राज कायम हो गया है । मुख्य मंत्री कहते हैं कि भयमुक्त समाज है उनके भाषण देने से तो भयमुक्त समाज होगा नहीं । आज पूरे प्रदेश की बात तो जाने दीजिए लखनऊ के अन्दर अपराधों की बाढ़ आ गई है । सरकार की नाक के नीचे मुख्य मंत्री जी की नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं और यह प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है । मेरठ और सहारनपुर मण्डल में स्थिति इतनी ज्यादा भयानक हो गई है कि जितने पूंजीपति हैं वह अपने उद्योग धंधे छोड़कर भागने का काम कर रहे हैं । सभी बाइण्ड अप कर रहे हैं । क्योंकि उनकी जान माल की कोई हिफाजत नहीं है । उनकी सम्पत्ति की हिफाजत नहीं है । जो हमारे पैसे वाले हैं जिनके पास पूंजी है उन्होंने मार्निंग वाक करना बन्द कर दिया है । आप दिल्ली से फरीदाबाद जाइए, दिल्ली से सोनीपत जाइए आपको चारों ओर उद्योग धंधे लगे दिखेंगे लेकिन दिल्ली से बागपत जाने में एक भी उद्योग लगा नहीं मिलेगा । कोई यहां पर उद्योग लगाने को तैयार नहीं है । क्योंकि जो पूंजी लगाएगा वह अपनी भी हिफाजत चाहता है ।

हमारे गाजियाबाद और नोएडा के अन्दर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कितनी हीन भावना से ग्रस्त हैं । एक तरफ तो दिल्ली पुलिस है जो अच्छे उपकरण, अच्छे हथियारों से लैस है उसके पास अच्छे साधन हैं । और हमारी जो पुलिस है नोयडा में है, गाजियाबाद के अन्दर है, उनके पास अच्छे हथियार नहीं है, उनके सेट खराब रहते हैं वह बात नहीं कर सकते हैं । उनके पास अच्छे हथियार नहीं हैं लेकिन अपराधियों के पास अच्छे हथियार हैं । पूरे प्रदेश के अन्दर राजनैतिक हत्याएं हो रही हैं । अभी यह रहस्योद्घाटन सदन के अन्दर किया गया कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री की जान को खतरा है । जब प्रदेश के मुख्य मंत्री की जान को खतरा है तो एक आम नागरिक का क्या होगा ? खुद हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया कि प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं, तमाम जगह आतंकवादियों के प्रशिक्षण केन्द्र बन गये हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह रहे हैं कि हम योजना बना रहे हैं, माननीय पाल साहब की जान को खतरा है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी । सरकार केवल योजना बना रही है, आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं, आप योजनायें बनाते रह जायेंगे और प्रदेश की जनता मरती रहेगी । आज यह हालत हैं कि प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, आज हम यहां सदन में बैठे हैं लेकिन कल हम सदन में पुनः आ पायेंगे इसकी कोई गारण्टी नहीं है क्योंकि कौन कब मार दिया जाये कुछ कहा नहीं जा सकता । यह सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में पूरी तरह से नाकाम

है, राजनैतिक हत्याओं को शह दिया जा रहा है। सरकार में बैठे हुए लोक बदले की भावना से अपराध करा रहे हैं। मान्यवर, यह बहुत ही लोक महत्व का विषय है, प्रदेश का प्रत्येक नागरिक प्रभावित हो रहा है, तात्कालिक है क्योंकि घटनायें घट रही हैं, राजनैतिक अपराध हो रहे हैं। सरकार इस अविलम्बनीय लोक महव के तात्कालिक विषय पर सदन की कार्यवाही रोकर चर्चा करायें।

(श्री कैलाश नाथ यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, सूचना पर मेरा भी हस्ताक्षर है और अगर आप दलगत हिसाब से देखें तो बहुजन समाज पार्टी के कम से कम 3-4 सदस्यों को बोलने का अवसर देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय की जो सूचना है उस पर 32 लोगों के हस्ताक्षर हैं। मैंने श्री कैलश नाथ यादव को बुला लिया है, आप इस समय बैठ जायं।

श्री कैलाश नाथ यादव–

मान्यवर, जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई है। लखनऊ के हर चौराहे पर माननीय मुख्य मंत्री जी के चित्र के नीचे लिखा हुआ है कि भय मुक्त समाज होगा, कानून का राज होगा, यह सरकार की प्राथमिकता है लेकिन आज पूरे प्रदेश में कानून की क्या स्थिति है और जिस शासन और प्रशासन में रहने वाले उच्चाधिकारी इस बात को कबूल करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हत्यायें ज्यादा हो रही हैं, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है ? जितने माफिया सरकार द्वारा चिन्हित किये जा रहे हैं, यह सारे सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं और पूरे प्रदेश की जनता भय से ग्रस्त है, परेशान है कि कल क्या होने वाला है, पूरे प्रदेश के लोग भयभीत हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, आज सरकार का मुख्य उद्देश्य समाजवादी पार्टी को ध्वस्त करना है। अभी तक 243 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और कितने को मौत के कगार पर पहुंचाने के लिए तैयारी हो रही है आज जो माफिया गुण्डे और बदमाश हैं सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं। मैं अपने जनपद की बात बता रहा हूं। 26 अप्रैल को पशुपतिनाथ राय की एक सुनियोजित ढंग से एक षड़यन्त्र के तहत अपहरण होता है और उस अपहरण के तहत एक जाति विशेष के 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। बिहार में महेन्द्र यादव गैंग, राय गैंग और हरिद्वार गैंग चलता है। 17 जून को पशुपतिनाथ राय वापस आते हैं और उसके बाद बार-बार कहने के बाद भी आज तक इस मामले का खुलासा नहीं किया गया और पशुपति नाथ राय का बयान है कि 17 दिन तक मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे रखा गया और किसी को एम० एल० ए० और किसी को एम० पी० कहकर बुलाया जाता था। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि किसी के आंख पर 17 दिन तक पट्टी बंधी रही होगी, तो क्या उसकी आंखों पर दाग नहीं होगा ? इसी प्रकार जाति विशेष के 252 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मारापीटा गया, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। आज भी पशुपतिनाथ राय वहां उपस्थित हैं, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं किया गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की सी०बी०आई० से जांच करायी जाय और सभी नियमों को निलम्बित कर इस विषय पर चर्चा करायी जाय।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जितने माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं, कम से कम उनको एक-एक मिनट का समय दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्य जी, आप ही ने अपने में से उनको समय दे दिया होता । आप तो काफी समय बोले हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × x]

श्री अधिष्ठाता–

आप इस तरह की भाषा बोलने से बचे यह लिखा नहीं जायेगा आप अति उत्साह में इस तरह बोल जाते हैं ।

(इस बीच श्री राम नक्षत्र जी सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे ।)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और सदन को चलाने में सहयोग करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा । आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला चुका हूं । सभी बोलना चाहेंगे, परम्पराओं का पालन नहीं करेंगे तो इस तरह सदन नहीं चल पायेगा । कुल 32 लोगों के इस पर हस्ताक्षर हैं, अभी 4 सूचनायें और हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

किसी माननीय सदस्य की बोली हुई, कोई बात अंकित नहीं की जायेगी ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं अपने दल का नेता हूं मेरी आपसे बात हुई थी, आपने व्यवस्था दे दी कि सभी दलों के लोगों को बुलायेंगे । नोटिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, आपने मेरा नाम भी पुकारा है, मैं जनता दल का नेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियमों के ऊपर नहीं हैं ।

श्री नाम नक्षत्र (वेल से)–

मान्यवर, मैं देखकर आया हूं और आपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया वेल से अपने स्थान पर जायें । माननीय सदस्य की कोई बात अंकित नहीं की जायेगी । समाचार-पत्रों में नहीं आयेगा । जो आपके मन की बात है उससे यहां कोई फायदा नहीं है । माननीय सदस्य अपने स्थान पर जायें ।

श्री स्वामी प्राद मौर्य–

मान्यवर, जितनी देर इसमें हो गयी है उतनी देर में आप मेरी बात सुन लेते ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

इसकी शिक्षा की आवश्यकता मुझे नहीं है ।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, इतने देर में मेरी बात आप सुन लेते ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि आपको लगता है कि इस बात को सुना जा सकता है तो इस तरह से नहीं सुना जा सकता है ।

मैंने प्रारम्भ में स्पष्ट कर दिया कि 32 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, एक-एक पार्टी के एक-एक व्यक्ति को सुनूंगा और उसी आधार पर बुलाया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सामूहिक निवेदन है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, जो यहां वेल में थे, उनसे मेरा आग्रह है मैं नहीं जानता कि उनका यहां पर अभिप्राय क्या है । आप अपनी बात गम्भीरता से खुद अपने स्थान पर कहते तो उसका एक वजन बढ़ता । मेरा निवेदन है और जानता हूं कि इस विषय पर 32 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और अधिकांश सदस्य इसकी ग्राह्यता पर भी बोलना चाहेंगे चूंकि अभी 4 सूचनायें और हैं उसके बाद बजट पर सामान्य चर्चा होगी अगर आपको इसी विषय पर अपनी कोई बात कहनी है तो जब बजट पर सामान्य चर्चा होगी तब भी आप अपनी बात रख सकते हैं, गृह विभाग की अनुदानों पर भी आपको अवसर मिलेगा यह सदन का सत्र काफी लम्बा चलने वाला है ।

अब इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

इसमें माननीय सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किये हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी की कोई बात अंकित नहीं की जायेगी, मैं गलत परम्परा नहीं पड़ने दूंगा ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप स्वयं गलत परम्परा डलवाते हैं । मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें, औचित्यपूर्ण है तो सुन लें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब सदन व्यवस्थित हो जाय फिर बोलें ।

*श्री राम प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, आप माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद भी उनको सुनने का मौका नहीं दे रहे हैं, तब हम कौन से नियम में सूचना डालें जो बोलने का मौका मिल जायेगा और उसके तहत हम अपनी बात यहां उठायें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब जैसे सपा के उप नेता की चिट आयी है कि मैं अपना समय उनको दे रहा हूं नये सदस्य हैं, तो अब जब आप यह सदाशयता भी नहीं भी नहीं दिखलायेंगे तो दूसरों को मौका कैसे मिलेगा ? जब आप वरिष्ठ सदस्य हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तब मैं क्या कहूं ?

मैं इस सन्दर्भ में आपकी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनुंगा ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, माननीय सदस्यों की बात की आप उपेक्षा कर रहे हैं । मान्यवर, सरकार की निरंकुशता तो समझ में आती है, लेकिन आप मौका नहीं देंगे तो हम अपनी बात किसके सामने रखेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक बार छूट देने पर फिर कठिनाई हो जायेगी ।

अगली सूचना जिन माननीय सदस्यों की हैं उनका क्या गुनाह है ? माननीय वर्मा जी आप बैठ जायें । आप अपनी व्यवस्था के माध्यम से अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट मेरा निवेदन सुन लें । मान्यवर, इस मुद्दे पर 34 माननीय सदस्यों ने आपके सामने कार्य स्थगन किया । मान्यवर, इसमें विभिन्न दलों के लोगों को सुनने की बात हुई । समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए उस दल के 3-4 सदस्यों ने इस पर बोलने का काम किया । मान्यवर, बी० एस० पी० के 48 सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी की कुल संख्या के अनुपात में आपने 3/4 लोगों को बोलने दिया तो उसी प्रकार हमारे दल के भी कम से कम दो सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाय अब किसको बोलने की अनुमति दें यह आपका विवेक है कहीं पर भी यह परिलक्षित न होने पाये कि बी०एस०पी० के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति अपने मन में यह भाव न रखे कि उसके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी थी कि जितने लोगों के हस्ताक्षर हैं उन सबको नहीं बुलवाया जा सकता । परन्तु हर दल से कम से कम एक व्यक्ति को बुलवाया जायेगा, जनता दल के किसी भी व्यक्ति को अभी तक मौका नहीं दिया गया । हमारी बात यह कहकर खारिज कर दी गयी कि मेरे दो सूचनाओं पर दस्तखत हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 को 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । दूसरा किसी भी माननीय सदस्य, किसी भी राजनीतिक दल के मन में अगर यह भाव आता है कि जानबूझकर किसी के साथ पक्षपात किया जा रहा है या उसकी उपेक्षा की जा रही है तो यह मेरे लिए बड़े कष्ट का कारण होगा, चूक हो सकती है परन्तु मंशा ऐसी नहीं है । मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बुलवा लिया है बजट के दौरान अन्य अवसरों पर भी आपको इस पर बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर सकते हैं । मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें । आप इतने कठोर हृदय का परिचय मत दीजिये । हमारे साथ नाइंसफी की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कोई संख्या बल के आधार पर नहीं बुलवाया है और न ही मैंने कोई नाइंसाफी की है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप एक बार फिर से पुनर्विचार कर लें और मेरे दल के एक व्यक्ति को बोलने का अवसर दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है अगर किसी नये सदस्य का इसमें हस्ताक्षर होगा तो मैं उसको सुन लूंगा । जनता दल का भी प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है इसलिए एक व्यक्ति उसमें भी बोल लेगा ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं इस वर्ष की एक संगीन घटना का जिक्र करना चाहूंगा जो कि 2 जून, 1998 को सिद्धार्थनगर के सिकटा गांव में 43 दलित वर्ग के व्यक्तियों के साथ घटी । मान्यवर, वहां पर एक इनावर तालाब है जिस पर पहले एक सवर्ण जाति के ग्राम प्रधान का कब्जा था । वही लोग तालाब में मछली मारते थे लेकिन अब उसके बाद वहां का ग्राम प्रधान एक दलित व्यक्ति हो गया तो दलित वर्ग के व्यक्तियों व पिछड़ों ने समझा कि यह तालाब अब गांव समाज की सम्पत्ति है और वे लोग भी इसमें मछली मार सकेंगे और उन्होंने भी मछली मारना शुरू कर दी । यह बात सवर्ण जाति के लोगों को ठीक नहीं लगी और उन्होंने दलित जाति के व्यक्तियों को मारना पीटना शुरू कर दिया जिसकी उन्होंने एफ०आई०आर० दर्ज करायी । यही नहीं पार्लियामेन्ट के चुनाव में एक दलित महिला के ऊपर ठाकुर जाति के व्यक्ति ने मोटर साइकिल चढ़ाने का काम भी किया । मान्यवर, यही नहीं वहां पर एक चौराहे पर प्रधान के भाई लोग कुछ लोगों के साथ चाय पी रहे थे सवर्ण जाति के कुछ लोग लाठी डण्डा लेकर आये और उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया जिसकी उन्होंने रिपोर्ट लिखायी । बाद में उन्होंने भी एक झूठी काउन्टर रिपोर्ट लिखायी । मान्यवर, फिर सवर्ण जाति के लोग पचासों की संख्या में गांव के बाहर आकर फायर करना शुरू कर दिया जिससे लोग गांव छोड़कर बाहर चले गये और उन्होंने वहां

पर मकानों को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया उनके बरतन भाड़े तोड़ दिये जो मिला उनकी पिटाई की। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाये जो कि मौके पर जाकर निरीक्षण करे। दूसरा पचास हजार रूपये का मुआवजा दिया जाय जिससे कि उनकी क्षतिपूर्ति हो सके और तीसरा जो सी०बी०सी०आई०डी० की जो जांच सरकार ने की है तो इस जांच को वापस लिया जाय क्योंकि घटना दिन की है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जानकारी लोगों को न हो यह गांव अम्बेदकर योजना में चयनित था। उसे कटवा दिया गया पुनः चयनित किया जाय और सभी 41 जले मकानों को पक्का बनवाया जाय।

राम नक्षत्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं जुर्म और अत्याचार के खिलाफ पूरे प्रदेश का भ्रमण करके आया हूं। उसी क्रम में 2–4 घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बलिया जनपद के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में खुरवांव गांव में होलिका दहन के पहले गया था। उस गांव के सवर्ण जाति के लोगों ने वहां के हरिजनों के ऊपर अत्याचार किया, उनको मारा पीटा और जब मैं वहां पर गया तो वहां की मां बहनें रोने लगीं और कहने लगीं कि हमारा एक ही बेटा है, अगर वह मर जायेगा तो क्या होगा ? उसकी औरत रोने लगी कि मेरा पति मर जायेगा तो इन अबोध बच्चों का क्या होगा ? यह कह करके अपनी सुरक्षा की गुहार करने लगीं। मैंने उनको आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध मैं करूंगा। मैंने जिलाधिकारी से बात की और जिलाधिकारी ने विश्वास दिलाया कि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा और उनकी सुरक्षा के लिये पी०ए०सी० भेजी, लेकिन मान्यवर, जो पी०ए०सी० उन गरीब लोगों की सुरक्षा के लिये भेजी गई थी, उसी पी०ए०सी० ने उन पर लाठियां बरसायीं, गोलियां चलायीं और उनको बुरी तरह से मारा पीटा। उनके हाथ पैर टूट गये। कमजोर लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि रसड़ा विधान सभा क्षेत्र जुर्म की प्रयोगशाला बन गया है।

मान्यवर, इसी क्रम में मैं महिपालपुर राबर्टसगंज और कानपुर गया तो मुझे लगा कि पूरा प्रदेश जुर्म की प्रयोगशाला बन गया है। अपराधों के नियंत्रण के नाम पर निरपराधों पर अत्याचार किया जा रहा है और उनको सताया जा रहा है। अपराधी विधान सभा में शोभा बढ़ा रहे हैं। निरपराधों को फर्जी मुकदमें में फंसाया जा रहा है। गरीबों पर जब अत्याचार होता है और जब वह एफ०आई०आर० लिखाने के लिये जाते हैं तो विरोधी पार्टी के लोग काउन्टर एफ०आई०आर० लिखाते हैं, जिससे वह परेशान होकर समझौता कर लें, सुलह कर लें, दलित और गरीब लोगों को जुर्म का शिकार बनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जंगल राज्य कायम है। कमजोरों को न्याय नहीं मिल रहा है। कानून उल्टा हो गया है। लीगल इललीगल हो गया है और इललीगल लीगल हो गया है। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री चन्द्र शेखर सिंह ने कहा था कि जब भाजपा की सरकार बन जायेगी तो साम्प्रदायिक दंगे और गरीबों पर अत्याचार समाप्त हो जायेंगे। हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, उन्होंने बताया कि साम्प्रदायिक दंगे भाजपा ही करवाती है और जब उनकी सरकार बन जायेगी, तो दंगे समाप्त हो जायेंगे। मुझे खेद है कि उनकी सरकार बन गई है, लेकिन आज तक दंगे समाप्त नहीं हुये। दंगों का सिलसिला चालू है, वह रुक नहीं रहा है। पूरे प्रदेश की घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि गरीबों पर अत्याचार का सिलसिला रोका जाये। अगर आप नहीं रोकेंगे तो इसका अंजाम बुरा होगा। मान्यवर, जब आप योरोप की ठंडक का आनन्द ले रहे थे, उस समय मैं गरमी में पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा था मैं सारी घटनाओं को लिखकर आपके पास भेज रहा हूं, इनकी जांच कराने की कृपा करें।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्.....

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

माननीय मुख्य मंत्री जी अभी सदन में आये हैं, वह हमारी बातों को सुना भी नहीं है, उत्तर कैसे देंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

मैं आप सभी माननीय सदस्यों की बातों को अपने चैम्बर में बैठकर माइक से सुन रहा था । एक-एक माननीय सदस्य को और उनके एक-एक शब्द को सुन रहा था । अकेले में ज्यादा ध्यान से सुनाई पड़ता है । वहां पर आपका शोरगुल नहीं था । श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने कानून व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो कुछ भी घटनायें हो रही हैं उनके बारे में चिन्ता व्यक्त किया है । तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं चूंकि कानून व्यवस्था का विषय ऐसा है कि जो छिपाने से छिपता नहीं है ।

मैं उन लोगों में से हूं कि तथ्यों को स्वीकार करता हूं । इसलिये जो माननीय सदस्यों ने मुद्दे यहां उठाये हैं, उनके संबंध में हमने डी०जी०पी० और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को अपने कक्ष में बिठा रखा था, आप द्वारा कही हुई बात को, उन्हें नोट करने के लिये कह दिया था, इसलिये वह लोग उन्हें नोट करते हुये चल रहे थे और यहां जो चर्चा हुई है उसके एक-एक बिन्दु के संबंध में सूचना मंगा लें और उन पर कारगर कार्यवाही करें । इसलिये मैं शुरू में ही निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की बातों को हम वजन दे रहे हैं ।

श्रीमन् जहां तक कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने का प्रश्न है मैं दोहराना चाहता हूं कि चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था. भयमुक्त समाज, जाति-पाति भेद-भाव, वर्ग सम्प्रदाय के भेदभाव किये बिना सभी नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा, मां बहनों की आबरू की सुरक्षा की गारण्टी देने का हमारा राजनीतिक नारा नहीं है बल्कि यह हमारी निष्ठा का विषय है और यह हमारी प्रतिबद्धता का विषय है ।

श्रीमन, जहां कहीं भी कमी मालूम पड़ती हैं उनको दुरुस्त करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे । संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी कहा था कि थानों को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है तो यह ठीक ही कहा था । इसलिये जब कभी इस सदन के अन्दर कानून व्यवस्था पर चर्चा हो तो निश्चित तौर पर एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिये और बिना किसी आक्षेप किये हुये मैं कहना चाहता हूं कि दो चीजें जो हमें विरासत में मिली हैं उनमें पहली चीज है जर्जर अवस्था में वित्तीय स्थिति मिली है और दूसरे कानून व्यवस्था के मामले में स्थिति ठीक नहीं मिली । श्रीमन् कानून के राज्य की जगह जंगल का राज्य हमें विरासत में मिला । हमको आपाधापी और तनावग्रस्त सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक सद्भाव खतरे में मिला ।

श्रीमन्, जब से हमने इस महान उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने की शपथ ली तबसे दो-दो बार राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ । आप सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि आर्थिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विकास और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने का हमारा उद्देश्य है । लेकिन मुख्य मंत्री कोई भी हो राजनीतिक अस्थिरता के कारण दोनों ही मोर्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है लेकिन इस सबके बावजूद हमने इसको गंभीरता से लिया है इसलिये प्रत्येक जिले में हमने टॉप-टेन की सूची बनाई है । हर थाने में टॉप फाइव की सूची बनाई है और अधिकारियों को यह काम सौंपा है कि जो लोगों की जिन्दगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग हत्याओं में शामिल हैं और आतंकवाद पैदा कर रहे हैं तथा जो लोग समाज विरोधी हैं और शान्ति भंग करने के लिये किसी सीमा तक जाते हैं ऐसे बड़े-बड़े अपराधियों और माफियाओं की सूची तैयार की जाय । वह तैयार हो चुकी है, हर जिले में हो चुकी है, हर थाने में हो चुकी है । आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि उस लिस्ट के अनुसार कार्यवाही भी प्रारम्भ हो चुकी है । हमारी ही सरकार द्वारा कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने का नतीजा है कि आज लगभग 50 शातिर किस्म के अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मंत्री होकर लखनऊ आ गये हैं उनका नाम जिले की लिस्ट में है या नहीं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अपराधियों में टॉप 10 की सूचना के बारे में माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी अनुमति से मा० मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैनपुरी जनपद में एक कुख्यात अपराधी है जिसे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय एक मा० सांसद का संरक्षण प्राप्त है उनके ऊपर 45 मुकदमें दर्ज हैं । जब उक्त शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रतिनिधि हो गये हैं । वहां के तत्कालीन कठोर और ईमानदार पुलिस अधीक्षक ने जब उनका नाम टाप टेन की लिस्ट में शुमार किया और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो उस मा० सांसद के प्रभाव से, उसे पकड़ना तो दूर रहा लेकिन उस ईमानदार पुलिस अधीक्षक को सी०आई०डी० के सुपुर्द कर दिया उसे वहां से हटा दिया गया । इसलिये मैं मा० मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो तथ्य इकट्ठा किये हैं उसका परीक्षण भी कर लें तब सदन में कहें, यह मालूम कर लें कि टाप टेन की सूची पर अमल भी हो रहा है या नहीं ?

श्री कल्याण सिंह–

अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो तो निश्चित रूप से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कह कर उसे ठीक करवा लूंगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

प्रदेश में जो टाप टेन की लिस्ट बनाई है उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे उसका भी जिक्र कर दें ।

श्री कल्याण सिंह–

तो श्रीमन् जिन पर 25 हजार के इनाम घोषित हो चुके हैं, उसमें हमने आदेश कर दिया है कि इन लोगों की फोटो अखबारों में क्रमबद्ध तरीके से छपवायेंगे ताकि आम जनता उन्हें पहचान ले और कहीं पर भी वह कुख्यात अपराधी दिखाई दे तो उसकी सूचना पुलिस को मिल सके और उसके लिये हमने कंट्रोलरूम कायम कर दिये हैं जो 24 सौ घंटे खुले रहेंगे और उनमें 8-8 घंटे की ड्यूटी रहेगी । ऐसे अपराधियों की सूचना देने वाले को बताया नहीं जायेगा उसका नाम बताया नहीं जायेगा । तो इस तरह से 25 हजार या इससे ऊपर के इनामी घोषित अपराधियों को पकड़ने के लिये उनकी फोटो छपवायेंगे । इसके लिये हमने एक टास्कफोर्स का स्पेशल स्कैवड कायम किया है । इसमें बड़े-बड़े नामी ग्रामी कुख्यात 10 माफिया गिरोह चिन्हित कर दिये हैं । यह उ०प्र० में स्पेशल टास्कफोर्स है जिसके संयोजन राजाराम

शर्मा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं और वह भी 60 लोग हैं । हमने उनको जबरदस्ती इसमें नहीं डाला है हमने बीड़ा डाल दिया कि निकलो हैं कोई माई का लाल जो जान हथेली पर रखकर बदमाशों को पकड़े तो ऐसे स्वेच्छा से 60 लोग बहादुरी के साथ आये । 10 गाड़ियां सूमों मांगी थी उनका एक वाक्य निकलने की देर नहीं हुई कि हमने कहा दी जानी है । ए०के० 56, ए०के० 47 उनके लिये स्वीकार कर दिया है । इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा नुकसान हो सकता है । इसमें आप सबका सहयोग चाहिये । टास्कफोर्स लग गई है । मैं आशा करता हूं कि परिणाम बहुत जल्दी हमारे आपके सामने आयेगा । चूंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली है तो इन 60 लोगों को जो वेतन मिलता है उसका 30 प्रतिशत बढ़ाकर मानदेय स्वीकार कर दिया है । वह अपराधियों को पकड़ने निकले हैं, गोलीबारी होगी, अपराधी मारा जायेगा, कभी कोई पुलिस का भी हताहत हो सकता है । हमने उनके परिवारों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया है । युद्धस्तर पर सरकार कार्यवाही कर रही है । हम नहीं चाहते हैं कि कोई किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके । श्रीमन् इसीलिये मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोग बैठे हैं बुरा न मानियेगा । मेरे पास कुछ आंकड़े हैं । जहां तक महिला उत्पीड़न का सवाल है, 21-3-97 से 20-9-97 तक, यह कार्यकाल तो समझ में आ गया होगा स्वामी प्रसाद जी यह कार्यकाल तो समझ में आ गया होगा ना । इस कार्यकाल में दहेज की हत्यायें 871 हुई थीं और अब इसमें 17 फीसदी की कमी आयी है । (शोर)

दिल थाम के सुनें । अध्यक्ष जी, मेरी गुजारिश है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसे दिल थाम के सुनें, सुनने के लिये कलेजा चाहिये, सुनने के लिये साहस चाहिये । श्रीमन् इसी प्रकार से बलात्कार की घटनाओं में कमी आयी है । 363-364 में 12 प्रतिशत की कमी आई है । जो छेड़खानी की घटनायें हैं उसमें 39 प्रतिशत की कमी आई है । महिलाओं से छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामले जो हैं उनमें कमी आई है । श्रीमन् जब पिछली सरकार थी तो एफ०आई०आर० दर्ज न की जाय, केसेज को दबाया जाय यह लोगों को संकेत जाता था । एक और हमारी सरकार है जहां कहीं शिकायत मिली कि एफ०आई०आर० दर्ज करने से रोका गया है हमने उस अधिकारी की गरदन नापी । मेरे सामने जनता दर्शन में ऐसे मामले आये हैं तो मैं संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहा हूं ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

एक मेरा स्पष्टीकरण है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, आप परम्पराओं का पालन करिये नेता सदन बोल रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

अगर इनके पास ऐसा कोई उदाहरण है कि एफ०आई०आर० नहीं लिखी गई है तो मुझे दे दीजिये जिसने नहीं लिखी होगी उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और आपको सूचित कर दूंगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आपको स्वयं मैंने एक पत्र दिया है । थाना हुजूरपुर के दरोगा ने बदमाशी करके गवाहों को बन्द कर दिया ।

श्री कल्याण सिंह–

जिस दिन आपने दिया उसी दिन मामले की जांच करने के लिये दे दिया है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मेरी गाड़ी थाने में तोड़ी गई । क्रिमिनलों ने दरोगा के सामने तोड़ी । वह दरोगा मेरी पार्टी के लोगों को आज भी बन्द कर रहा है ।

श्री कल्याण सिंह–

वह आपका कागज मैंने वजन से लिया है । जांच में चला गया है ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, इस पर ध्यान दीजिये । मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

किसी भी पुलिस वाले को इजाजत नहीं दी जायेगी अनुचित कार्य करने के लिये । हम दलगत भेदभाव नहीं होने देंगे ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी आप जो आंकड़े दे रहे हैं वह पूरे नहीं हैं । मेरे पास भी आंकड़ें हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी बात नेता सदन तक पहुंच जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपा करके अपना आसन ग्रहण करें । नेता सदन बोल रहे हैं ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं उसके परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं कि पिछले पांच महीनों में किस तरह से डकैती, लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया विराजमान हों । अपना आसन ग्रहण करें । कुछ परम्पराओं, नियमों का पालन कीजिये । आपकी कोई बात नहीं सुनी जायेगी । कोई नियम, कुछ परम्पराएं हैं कि नहीं ।

श्री विनोद मणि-

मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को सही बात बताना चाह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं अन्यथा आपके दल के नेता से कहना पड़ेगा । आखिर कुछ परम्पराएं, कुछ नियम हैं । वरन् मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ सीखिये ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दूसरे कार्य काल के बारे में बताना चाहता हूं 1-1-95 से 30-6-95 तक का कार्य काल किसका था अम्बिका जी यह बताने की जरूरत हो सकती है परन्तु कम से कम आपको बताने की तो जरूरत नहीं है । एक यह कार्य काल था एक हमारा कार्य काल है । उस कार्य काल की तुलना में दहेज हत्याओं में 22 प्रतिशत की कमी आई है । बलात्कार की घटनाओं में 39 प्रतिशत कमी आई है, शीलभंग की घटनाओं में 24 प्रतिशत की कमी, अपहरण की घटनाओं में उस कार्य काल की तुलना में 15 प्रतिशत कमी आई है । महिला उत्पीड़न की घटनाओं में 12 प्रतिशत कमी हुई है । मान्यवर, यहां पर रोज इस बात की चर्चा होती है कि अनुसूचित....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं और जिस कार्य काल का उल्लेख किया है मैं उसके सम्बन्ध में विवाद नहीं करता लेकिन नेता सदन से अनुरोध करूंगा कि उनके मंत्रि-मण्डल में

शामिल बड़े-बड़े अपराधियों के अपराधों को हटाकर आंकड़े तैयार किये गये हैं यदि उनके अपराधों को भी शामिल कर लेंगे तो आंकड़े और भी ज्यादा हो जायेंगे ।

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

श्री कल्याण सिंह–

अपराध जिसने भी किया है हम अपराधी को छिपाते नहीं हैं ।

अपराध कौन कर रहा है यह हमारा सरोकार नहीं है अपराध जो करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे आंकड़े भी नहीं छिपाए जाएंगे यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री गौरी शंकर एडवोकेट पीठासीन हुए)

(मेजें थपथपाई गई)

अनुसूचित जाति और दलित जाति पर बहुत चर्चा होती हैं मैं फिर लौट रहा हूं 16 मार्च, 1997 से लेकर 15 सितम्बर, 1997 तक, माननीय स्वामी प्रसाद जी इस कार्यकाल को जानते होंगे यह समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं उस काल की तुलना में हत्याओं में गिरावट 20 परसेंट आई, गम्भीर चोटों में गिरावट 21 परसेन्ट, बलात्कार की घटनाओं में गिरावट 30 परसेन्ट आई है भारतीय दण्ड विधान के अपराध हैं उसमें 31 परसेन्ट गिरावट आयी है नागरिक सुरक्षा अधिनियम में 31 परसेंट आगजनी में 30 परसेन्ट गिरावट आई है । अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिनियम में 37 परसेंट की कमी आई है ।

(मेजें थपथपाई गई)

मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम दलितों पर अत्याचार नहीं होने देंगे ।

(व्यवधान)

वहीं हम यह भी कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संरक्षण अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरुपयोग भी नहीं होने दिया जाएगा और इन दोनों के परिणाम हैं कि आंकड़ों में कमी आ रही है ।

(व्यवधान)

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अत्याचारों के आकड़ें हमारे पास है । जनवरी, 1995 से 30 जून, 1995 तक का कार्यकाल किसका था, क्यों अवधेश जी, आपको नो बनाने की जरूरत नहीं है 1 जनवरी, 1995 से 30 जून, 1995 तक कहा, 30 जून तक न मानें तो 3 जून को उत्तर प्रदेश के राज्य अतिथि गृह काण्ड के पश्चात् किसका था आप जानते हैं उसकी तुलना में हमारे शासनकाल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न के आंकड़े आए हैं जिसे हम नहीं छिपाना चाहते हैं उस शासनकाल की तुलना में हत्याओं में 10 परसेन्ट की कमी आई है । गम्भीर चोटों में 42 परसेन्ट की कमी आई है आगजनी में 58 पसेन्ट की कमी आई है भारतीय दंड विधान के अपराध हैं उसमें 35 परसेन्ट की कमी आई है नागरिक सुरक्षा अधिनियम में 74 परसेन्ट की कमी आई है नागरिक सुरक्षा अधिनियम में 74 परसेन्ट की कमी आई है ।

(मेजें थपथपाई गई)

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संरक्षण अत्याचार निवारण अधिनियम में 65 परसेन्ट की कमी आई है हम आपका बहुत अधिक समय नहीं लेना चाहते हैं जिस दिन भी सामान्य प्रशासन के ऊपर

चर्चा होगी, गृह विभाग के ऊपर चर्चा होगी बाकी की बातों में उस समय हम सदन के समक्ष रख देंगे आज की इस बहस में इससे ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

(व्यवधान)

दलित समाज नारा नहीं नाज का विषय है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सहयोग करें।

श्री कल्याण सिंह–

मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए ..

(श्री रामवीर उपाध्याय के बीच में टोका-टाकी करने पर)

रामवीर उपाध्याय जी बैठ जाइए आपके खिलाफ कोई आरोप गढ़ा नहीं जायगा और गढ़ा हुआ होगा तो दबाया नहीं जाएगा।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जाइए। यह परिपाटी रही है कि जब नेता सदन बोल रहे हों तो बीच में नहीं बोलना चाहिए जब वह अपनी बात खत्म कर लें उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं। आप लोग तो वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं। पुरानी परिपाटी को दृष्टिगत रखते हुए, सदन की शालीनता को बरकरार रखते हुए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाएं।

श्री रामवीर उपाध्याय–

चूंकि मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम लिया है इसीलिए मुझे भी दो मिनट दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाइये। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं।

श्री कल्याण सिंह–

मैं आपकी अनुमति से तीन बातें कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। नम्बर एक हमारे लिए बदमाश, गुण्डा समाज विरोधी तत्व, अपराधी और माफिया उसकी कोई जाति नहीं होती कोई पांति नहीं होती, कोई मत नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई वर्ग नहीं होता, कोई दल नहीं होता, माफिया के मायने माफिया, अपराधी के मायने अपराधी, गुण्डा के मायने गुण्डा हम उसके खिलाफ एक दृष्टिकोण से देखेंगे। वह किसी जाति-पांति का हो किसी मजहब का हो, किसी सम्प्रदाय का हो किसी दल विशेष का हो। यह भेदभाव कल्याण सिंह सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे श्रीमन् हमने ऐसे लोगों की भी सूची बनाने के लिए कह दिया है जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अपराधियों, माफियाओं गुण्डों और बदमाशों को आश्रय और पनाह देते हैं वह सूची हमारे पास आने वाली है। हमने पुलिस से भी कहा है।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, हमारे कलेजे की लम्बाई–चौड़ाई को देखिये, हमने यह भी तीसरा फैसला लिया है कि गुण्डों को जो वास्तव में गुण्डे हैं, ऐसे असली गुण्डे, असली अपराधी, असली माफिया, असली बदमाश को पुलिस अगर कहीं ...

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, इण्डिया टुडे में प्रकाशित आंकड़ों को आप देखिये ।

श्री कल्याण सिंह–

अगर आप उनको सक्रिय करना चाहते हैं तो हम उनको सक्रिय नहीं होने देंगे । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो असली गुण्डे है, असली बदमाश हैं, असली माफिया हैं, असली अपराधी हैं, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो पुलिस थाने में या जिला प्रशासन पर किसी भी कारणों से कोई अनुचित दबाव डाला जायेगा, कोई अनुचित हस्तक्षेप किया जायेगा । मैंने नीचे तक सभी अफसर से कह दिया है कि ऐसे लोगों की सूची भी चाहिए जो असली गुण्डों, बदमाशों, माफियाओं की सिफारिश करते हैं, गिरफ्तारी के बाद जेलों से भगाने की कोशिश करते हैं । मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि प्रदेश में भयमुक्त समाज और भयग्रस्त अपराधी का माहौल बनाने के लिए मेरी सरकार कटिबद्ध है, एकजुट है, संगठित है । श्रीमन्, आज जो कुछ भी प्रश्न उठाया गया है, उसे स्वीकार किया जाना मेरी दृष्टि में कोई औचित्य नहीं बनता ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान/शोर)

श्री अधिष्ठाता–

सदस्यगण कृपया बैठ जांय । मैंने कुंवर रेवती रमण सिंह जी को बुला लिया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े गौर से माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना । माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और आपने देखा होगा कि समय-समय पर जो सरकारें बनती रही हैं, हमेशा आंकड़ों का आधार लेकर अपनी बात कहती रही हैं । लेकिन मेरे ऐसे व्यक्ति का मानना है और उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता का मानना है कि कोई भी शासन इकबाल से चलता है आंकड़ों से नहीं चलता है । जो आंकड़े आपने पेश किये हैं मैंने देखा है कि सन् 1952 से लेकर आज तक की सरकारों के आंकड़े देख लीजिए, हर सरकार यह आंकड़े पेश करती है और कहती है कि मैंने अपराधों पर नियंत्रण कर लिया है । मुख्य मंत्री जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आपकी जो पुलिस व्यवस्था है, 1961 का एक्ट पूरे प्रदेश में लागू कर रखा है, धर्मवीर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, लखनऊ का एस० एस० पी० आपके यहां, होम डिपार्टमेन्ट में, विधान सभा में तलब होता रहा है लेकिन आज तक आपने पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं अपनाया । पुलिस से आप हर काम लेना चाहते हैं । आपने टास्क-फोर्स बना रखा है लेकिन 2-4 कबाल टाऊन्स में पुलिस कमिश्नर नहीं बना रखा है । आई० ए० एस० लांबी के दबाव में पुलिस का वह हक नहीं दिया जा सका है । आप काम लेने के लिए तैयार है । इकबाल की बात कहना चाहता हूं । हजरतगंज में एक सब-इन्स्पेक्टर को गोली से उड़ा दिया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । एक दवा व्यापारी दिन-दहाड़े मार दिया गया और लड़के का अपहरण कर लिया गया और आज तक पता नहीं लगा ।

सुबह टहलने न जायें, शाम को 6 बजे घर लौट आयें । जहां तक महिलाओं की बात है, यहीं हजरतगंज में चेन छिन जाती है, बलात्कार में भले कमी आई हो, लेकिन आज कोई महफूज नहीं है । जो आपने टॉप टेन की सूची बनाई है, उसमें कितने लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्यवाही हुई है । जो सूची है, उसमें आप एक के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज वह तमाम लोग शासन में शामिल हैं । लोकसभा के चुनाव में आपने उनको मौका दिया, राज्यसभा में दिया, एम० एल०

सी० में दिया, आप कैसे कार्यवाही करेंगे ? मुख्यमंत्री जी आज जवाब देना चाहें तो दे दें, नहीं तो गृह विभाग के बजट पर जब बोलें तो हमारी बातों का समाधान करने की कृपा करेंगे, धन्यवाद ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

हमारे मुख्य मंत्री जी की कथनी और करनी में कितना फर्क है । मैं और मुख्य मंत्री जी एक ही जनपद के रहने वाले हैं । मेरे खिलाफ वहां दो एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई, एक 12/98

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने तथा टोकाटाकी का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अवसर दिया है, इसका यह मतलब नहीं कि आप सदन को उद्वेलित करें ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, अगर मेरे खिलाफ एक भी मामला सच हो जाये तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा । मेरी सुरक्षा भी वापस ले ली गई है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बिराजें । मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं ।

माननीय उपाध्याय जी, आप बिराजें ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यव, 95-96 से पूर्व मेरे विरुद्ध एक भी एफ० आई० आर० नहीं है । [× × ×]

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य का बयान आया कि मुख्य मंत्री जी उनकी हत्या कराना चाहते हैं । इस पर चर्चा करा ली जाय, यह गंभीर बात है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह की टोकाटाकी उचित नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 56 के अन्तर्गत जिस सूचना पर ग्राह्यता पर आपने माननीय सदस्यों को और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार आपने सुने उस पर आपकी कोई रूलिंग आयेगी । मैंने समझा था कि मौखिक स्वीकृति यह है कि इसको चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया जाय, अगर हो गया तो बता दें और अगर अग्राह्य हो गया तो बता दें इसके बाद अगली सूचना लेने की कृपा करें ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री रामजग व कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

इस तरह के आरोपों को नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मैं यह कागज भिजवा रहा हूं । ग्राम जिगिनिया महिपाल सिंह के श्री मनोरथ लोध श्री राजाराम लोध आदि के घरों को 10-6-98 को एक बजे रात्रि में लूटा गया बाद में 4 घरों में आग लगा दिया । यह थाना गाजीपुर में सही अंकित नहीं किया गया है । न्याय दिलाने की व्यवस्था करावें । रामपुर टेपरा में मुसलमानों के साथ यही घटना की गयी है । क्या उन्हें न्याय मिल सकता है ?

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इन्डीविजुवेल केस हैं माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे और आश्वस्त रहेंगे कि उस पर निष्पक्षता के साथ कार्यवाही करा लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कुछ अहम मुद्दे उठाये हैं उसमेंमैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, यह सरकार कितनी जागरूकता के साथ काम कर रही है 95 प्रतिशत अपराधियों को पकड़कर जेलों में डाला जा चुका है और 5 जो प्रतिशत बचे हैं उसमें इतना ही कह सकता हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मानयेगी उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्यवाही भी हो जायेगी ।

जो धाक और धमक की बात रेवती रमण सिंह जी ने कही उसमें मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में लोकसभा के चुनाव हुए कहीं पर कोई हिंसा नहीं हुई । यह तो शासन की धाक-धमक का ही कमाल था कि कोई माई का लाल बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाया । यहां पर 39 सीटों के लिए विधान परिषद् के लिए चुनाव हुए उनमें 26 हम जीते थे उन चुनाव में कहीं पर बूथ कैप्चरिंग और हिंसा की वारदात नहीं होने पायीं । यह हमारी धाक-धमक का ही कमाल था । मान्यवर, हाल ही में 7 विधान सभा क्षेत्रों के लिए उप चुनाव हुए जिनका बिस्तर गोल हो गया उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं उनके साथ हमदर्दी व्यक्त कर सकता हूं । कुछ लोगों ने बड़ी कोशिश की थी बूथ कैप्चरिंग की लेकिन उस पर जब आवश्यकता पड़ी तो सीमा सील करा दी हमने । इन सातों जगहों पर एक जगह पर भी बूथ कैप्चरिंग की घटना नहीं हुई । जो इसके एक्सपर्ट होते हैं वे धरे के धरे रहे । अभी चुनाव आयुक्त कृष्णमूर्ति जी यहां आये थे उन्होंने भी शान्ति के साथ चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सरकार की प्रशंसा में

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

शब्द कहें है । जितनी धाक और धमके के साथ पूरी मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं मैं कुंवर रेवती रमण जी कहूंगा कि आप लोग अच्छे आदमी हैं आप हमें सहयोग दें । जगदम्बिका पाल जी तो बहुत ही गंभीर आदमी हैं वे तो पूरा सहयोग देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

चुनाव आयुक्त कृष्णमूर्ति जी तो यह भी कह गये कि इस प्रदेश के बड़े-बड़े महाबली आपके सहयोग से राज्य सभा में चले गये ।

मान्यवर, हमारे यहां के राम प्यारे सिंह जी वसीम जी सुधार सिंह जी हैं इनके साथ चुनाव के समय गुण्डों ने हिन्सा की आपका सूचना तंत्र इतना लचर है कि गंभीर घटनाओं की आपको सूचना वही देते हैं उनको मालूम है आप अपराधियों से प्रेम करते हैं इसलिए अपराधियों की सूची और सूचना आप तक नहीं आ पाती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों ने बीच में जो प्रश्न उठाये थे उन बातों को हवाला देखकर माननीय नेता सदन में अपनी बात कह दी यदि आप की बात उत्तर देना होता तो वह स्वयं उसमें सम्मिलित कर लेते ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बिना सुने कैसे उत्तर दे देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मौर्या जी इस सीट पर जो भी होना है वह प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य है। मैंने चन्द्र नाथ सिंह जी को बुला लिया है आप कृपा करके बैठ जाएं ।

(डा० अम्मार रिजवी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

डा० साहब आप तो नियमों से परिचित हैं । जो बात आप कहना चाहते हैं नियम 56 पूरा हो जाने दीजिए इसके बाद ले लेंगे ।

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

मान्यवर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद की सीमा पर एक ऐसी घटना घटी जो अंग्रेजी शासन काल में भी इतना बर्बरता से पुलिस ने नहीं की होगी । पुलिस ने 15 तारीख को एक निर्दोष लड़का नसीर है ..

कुंवर रेवती रमण सिंह –

मान्यवर, डा० साहब नियम 56 से हटकर एक अलग बात कहना चाहते हैं ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरी बात सुने । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं ।

कल प्रमोद कुमार जी का निष्कासन हुआ था ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय इसके बाद है ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, तीन घंटे से हमारे दल के लोग सब्र किये बैठे हैं और आपने यह तय कर लिया है कि जो सब्र करेंगे उन्हें आप परेशान करेंगे । आपको फैसला करना होगा । या तो यह सदन में कहें कि सारी परम्पराओं को तोड़ते हुए यह दल बहुमत के आधार पर किसी सदस्य को बाहर रखना चाहता है ।

(व्यवधान)

इस निष्कासन के आदेश को वापस लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

एक बार पीठ से व्यवस्था हो गयी है कि नियम–56 के बाद इस विषय पर चर्चा होगी । माननं पाल जी आप बैठ जायें ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, नियम–56 तो बाद में भी हो सकता है ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, आपसे जो पूर्व अधिष्ठाता थे उन्होंने यह कहा था कि जब कानून व्यवस्था पर चर्चा जाय तो उसके बाद प्रमोद कुमार जी के मामले पर सुनवाई होगी । अब दूसरा नियम–56 ले लिया ग है । आप पहले प्रमोद कुमार जी के मसले पर सुन लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि जो शुरू में आपके पूर्व जो माननीय अधिष्ठाता जी पीठ पर आसीन थे और जब माननीय अध्यक्ष जी उसके पहले आसीन हुए थे तब यह प्रश्न आया उ माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यह प्रश्न प्रहर समाप्त हो जाने दें । उसके बाद जब डंग साहब इस प पर आसीन हुए तब डा० रिजवी साहब ने इस प्रकरण को उठाया था और माननीय पाल जी ने भी व था कि इस प्रकरण को वापस ले लिया जाय तब उन्होंने कहा कि पहले नियम–300 की सूचनाएं जायें, उसके बाद फिर नियम–56 लिया गया तब भी उठाया तो इस तरह से चार-पांच बार इस प्रक को उठाया गया है । मेरी प्रार्थना है कि पहले आप श्री चन्द्रनाथ सिंह जी को आप सुन लें क्योंकि आ उनका नाम पुकार लिया है उसके बाद आप इस प्रकरण पर हम लोगों के विचारों को सुन लें । उर बाद फिर निर्णय हो जाय ।

श्री लालजी वर्मा–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय वर्मा जी कह रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ज्यादा सुन रहे हैं तो यह नहीं कह सकते हैं। मान्यवर, यहां पर किसी से पक्षपात नहीं हो रहा है। हमारी समस्या है हम बोलेंगे ...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी ने जो आक्रोशित होकर और उद्वेलित होकर जो शब्द कहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेंगे। अगर मेरी सदस्यता पर आपको शंका हो तो आप मुझसे बाद में बात कर लेंगे। अगर आप ही यहां पर बैठेंगे तो आप भी इसी तरह से आचरण करेंगे। एक निर्णय दिया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, प्रतापगढ़ में एक घटना घटी है। इलाहाबाद की पुलिस ने जद्दूपुर के मोहम्मद नसीम को जब वह 10 बजे चाय पी रहा था, उसी समय पुलिस ने उसको घेर लिया और सरेआम लोगों के सामने 5-6 गोलियां उसके मारी और बाद में फर्जी इनकाउन्टर दिखा दिया गया। उसको मारने के बाद हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो गये और उसकी लाश को भी घर वालों को नहीं दिया गया। मोहम्मद नसीम का पिता इलाहाबाद में पुलिस विभाग में ड्राइवर है और उसका चाचा भी पुलिस विभाग में ड्राइवर है उसका एक चाचा फैजाबाद में पुलिस में ड्राइवर है और उसका एक चाचा इन्टरनेशनल खिलाड़ी है, ऐसे परिवार के लड़के को गोली मारी गयी। उसके पिता को लाश भी नहीं देखने दी गयी, लाश नहीं दी गयी, उसका बाप तड़पता रहा ऐसा अत्याचार और अन्याय इस सरकार के समय में हो रहा है। ऐसी पहले कभी मिसाल नहीं मिलेगी। अगर मुख्य मंत्री जी इसी प्रकार से मूक होकर देखते रहेंगे तो निरीह जनता पर अत्याचार होते रहेंगे और जन आन्दोलन छिड़ जायेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका कोई अपराधिक जीवन नहीं रहा है। उसके ऊपर केवल एक मुकदमा 307 का दर्ज था, जो कि आपसी रंजिश के कारण दर्ज था। मैं मांग करता हूं कि इस घटना की न्यायिक जांच हो और पुलिस के जो लोग दोषी हैं, उनको दण्डित किया जाये। मैं इस पर बल देता हूं और इस पर आम चर्चा करा दें।

श्री हुकुम सिंह–

कुछ समय पूर्व सभी सदस्य कानून व्यवस्था पर चिन्ता व्यक्त कर रहे थे और सभी का कहना था कि कोई भी हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिये। मान्यवर, जिस घटना के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, उसके विरुद्ध हत्या और लूट के 5 मुकदमें दर्ज हैं और वह और उसका साथी बम्बई में मारूति कार लूट लिया था। यह अपराध था और अपराध करने की उसकी आदत हो गयी थी और उस दिन भी वह कोई घटना करने जा रहा था। उस पर 307 का मुकदमा दर्ज था। क्या पुलिस मूक होकर देखती रहती और अपराध होता रहता। बम्बई तक में लूट किया है तो अगर इस प्रकार से सहानुभूति प्रकट की जायेगी, तो क्या होगा। इस संबंध में किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं है और न ही न्यायिक जांच की ही आवश्यकता है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिये इसको अग्राह्य किया जाता है।

श्री राम शंकर पाल आपका नाम है इसलिये आप खड़े होकर अपनी बात कहें। (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे । श्री सुरेन्द्र नाथ व्यवधान के मध्य बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(श्री राम शंकर पाल के अनुपस्थिति होने पर)

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी हमने आपको बोलने के लिए समय नहीं दिया है । आप बैठ जाएं । (व्यवधान) श्री अवस्थी जी आप जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । आप बैठ जायें ।

श्री राम नरेश यादव–

(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका नाम अभी नहीं है । इसलिए बैठ जांए । आप विद्वान सदस्य हैं । अब श्री राम नक्षत्र जी का नाम है ।

(श्री राम नक्षत्र के न खड़े होने पर)

* श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

(घोर व्यवधान) [x x x] (घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

(व्यवधान) माननीय सदस्य विराजें ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है कि डा० अम्मार रिजवी ने पहले यहां इस बात को उठाया कि 299 नियम के तहत श्री प्रमोद कुमार का निलम्बन हुआ है ? (व्यवधान) यह भी अनुरोध किया था कि श्री प्रमोद जी के निलम्बन को वापस लिया जाए । आपके पूर्व के अधिष्ठाता महोदय ने व्यवस्था दिया था कि कानून व्यवस्था का मामला समाप्त होने के बाद आपके विषय को लिया जायेगा । इसलिये निवेदन है कि मा० संसदीय कार्य मंत्री जी भी मौजूद हैं ।

मान्यवर, यदि बहुमत के आधार पर इस प्रकार का निर्णय लिया जायेगा तो वह लोकतांत्रिक निर्णय नहीं होगा, लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर लिया गया निर्णय बदला भी जाता है । पूरे सदन को अधिकार है कि वह नियम 299 (4) के तहत उस निलम्बन के प्रस्ताव को वापस ले सकता है । मेरा आग्रह है सदन की परम्परा और गरिमा भी रही है इस प्रकार के प्रस्ताव वापस हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

सभी दलों के नेता यह चाहते हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री या तो कह दें कि हम पुनर्विचार नहीं करेंगे तो हम फिर यह प्रश्न नहीं उठायेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के अनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में यह विषय हैं, उनके संज्ञान में यह तथ्य है, हमारे पूर्व पीठासीन अधिष्ठाता महोदय ने एक निर्णय दिया है नियम 56 की समस्त सूचनाओं के बाद इस प्रकरण पर सुना जायेगा । कृपया आप हमारा सहयोग करें (व्यवधान) यदि आप भी यहां पर होते तो क्या करते ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, निलम्बन को वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, सदस्यता दिखायें आपकी भावनाओं का हम आदर करते हैं । लेकिन इस पीठ से जो व्यवस्था दी गयी है उसका पालन करना चाहिये कदाचित आप भी यहां पर विराजमान होते तो पीठ से दिये गये निर्णय का सम्मान करते (व्यवधान) बिना पूर्वाग्रह के कदाचित यह नहीं कहते । मैं आपका सहयोग चाहता हूं ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है पहले उसका उत्तर दे दीजिये । यह नियमावली किसके लिये बनाई गयी है । इससे सदन का कार्य-संचालन होता है । इसके पेज 93 को देखें इसमें 299 (4) देखने का कष्ट करें । इसमें साफ-साफ लिखा है कि निष्कासन का प्रस्ताव किसी भी समय उठाया जा सकता है । केवल मैजोरिटी के बल पर प्रजातंत्र को नहीं चला सकते हैं, आप नियमों को शिथिल करें । अगर आप नियमों का निलम्बन करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा । आपने एक बात यहां से कही कि जब नियम 56 होगा उसके बाद लेंगे अब आप उसको भी नहीं ले रहे हैं आगे इस तरह से चलता रहेगा तो यह सिलसिला अभी खतम नहीं होगा । हमारा स्पष्ट आरोप है कि यह एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत अपोजिशन के लोगों को बोलने नहीं दिया जायेगा । तो इस तरह से सदन नहीं चल सकता है ।

करीब है यार रोजे महसत, छुपेगा पुस्तों का खून बहकर,

जब चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीनों का ।

मान्यवर, इस पर 299 (4) के तहत विचार करें, आप या तो नियमों का निलम्बन करायें तब कार्यवाही चलेगी अन्यथा नहीं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

या तो आप नियमों का निलम्बन करा दें आप कहें कि आज की तारीख में उनको निरस्त करा दें अन्यथा केवल बहुमत के बल पर यह नहीं चलेगा, हम सदन को नहीं चलने देंगे ।

डा० अम्मार रिजवी–

हमारा निष्कासन कीजिये ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

निष्कासन कीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया उत्तेजित न हों ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और खास तौर से आपके द्वारा संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस सदन की एक परम्परा रही है कोई निलम्बन पहली बार नहीं हुआ है ।

श्री प्रमोद कुमार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सदन में उनका निलम्बन हुआ और आज तीसरा दिन है। मैं आग्रह करूंगा कि कृपया इसमें हठवादिता न करें उदारता का परिचय दें। एक घटना हो गयी उस घटना की गांठ न बांधे। इस सदन की परम्परा है, मान्यतायें हैं, मैं आग्रह करूंगा कि जो कुछ हुआ भूल जायं। मैं प्रमोद कुमार और अपनी ओर से खेद व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनका निलम्बन वापस करिये और उनको सदन में आने के लिये घोषणा करने का कष्ट करें। मैं जानता हूं कि सदन में आपका बहुमत है लेकिन आपने इस तरह की परम्परा बना दी और परम्परा बनती रही तो आने वाले दिनों में यह कष्टप्रद सबके लिये होगा। ऐसी परम्परायें बन गयीं, आप उसका प्रयोग करेंगे तो कल कोई दूसरा करने लगेगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं,अगर आपको ठेस लगी है तो भूल जाइये। कृपया प्रमोद कुमार को यहां लाने के लिये घोषणा करिये अगर कोई बात है तो माननीय अध्यक्ष जी से बात कर लें। अगर आप मुझे घोषणा कर दें तो मैं अध्यक्ष जी से बात कर लूंगा।

(शोर)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, कल कौन यहां रहेगा, कौन नहीं रहेगा यह समय तय करता रहेगा, कम से कम इतना अधिकार दीजिये कि हम अपनी बात कह सके। इतने जोश, आक्रोश और बुलन्द आवाज में कोई दूसरा भी बात कर सकता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शांति से सदन चलता रहे। मान्यवर, किसी का निलम्बन खुशी से नहीं किया जाता, यह अंतिम निर्णय होता है वह निर्णय भी अध्यक्ष जी की इच्छा के अनुरूप होता है। सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि माननीय अध्यक्ष जी को सदन को सुचारु रूप से चलाने में सहायता करें। उनके आदेश का पालन करें। एक बार नहीं मान्यवर, अनेकों बार ऐसे अवसर आये, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस पीठ के प्रति खेदजनक टिप्पणी, अध्यक्ष पीठ के प्रति की जाती रही, अध्यक्ष जी के प्रति की जाती रही। वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष न केवल विद्वान हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के उन गिने चुने अध्यक्षों में से एक हैं जो पूर्णतया निष्पक्षता से काम करते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाय उनके विरुद्ध नारे लगाये जायं और उसके बाद आप कहें कि लोकतंत्र के हामी आप हैं और लोकतंत्र की हत्या करने वाले कोई और हैं। हम अपेक्षा करते थे।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

अपने आपको वरिष्ठ सदस्य मानते हैं। आपको उस दिन उस स्थिति पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए था। पूरा दिन एक व्यक्ति की वजह से अस्त-व्यस्त रहा। सदन की कार्यवाही ठीक तरह से नहीं चल सकी। कोई कार्य नहीं हो सका। माननीय अध्यक्ष जी क्षुब्ध होकर अपने कक्ष में बैठे रहे और बार-बार यह प्रयास किया जाता रहा कि जो प्रस्ताव पारित किया है उसका पालन हो जाय। लेकिन उस प्रस्ताव का पालन नहीं हुआ। मुझे यह कहते हुए दुख है कि जब सदन के सुरक्षा कर्मी उस प्रस्ताव का पालन करने के लिये गये तो उन्हें किस तरह से अपशब्द कहे गये, कैसी भाषा का प्रयोग किया गया, उनका अपमान किया गया। यहां तक कहा गया कि गोली से उड़ा दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में आप सोचते हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और हम लोकतंत्र के दुश्मन हैं। रिजवी साहब, अवस्थी जी और राम नरेश जी का नाम लेकर इसलिये कह रहा हूं क्योंकि आपका सम्मान करता हूं यह सम्मान कम नहीं होगा भले ही मेरे विरुद्ध आप किसी और भाषा का प्रयोग कर लें। परिस्थितियों को सम्हालने की बात है। माननीय अध्यक्ष जी अपने कक्ष में मौजूद हैं बातचीत करके कोई हल निकल सके ऐसा प्रयास किया जाय। सभी सदस्य यहां पर चुनकर आये हैं सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले हम

सब की जिम्मेदारी है उस दिन बड़ी विवशता में यह निर्णय लेना पड़ा । निर्णय को वापस लेने की बात कही गई है जैसा बातचीत के माध्यम से हल निकलेगा तो वापस लिया जायेगा । आप कहते हैं कि इस निर्णय को वापस लीजिये और नहीं लेते हैं तो लोकतंत्र के हत्यारे हो जायेंगे । सारे सदन में यह प्रस्ताव लाया गया था । वापस लेने के बारे में विचार विमर्श होगा जैसा निर्णय होगा उसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी जायेगी ।

(श्री जगदम्बिका पाल के बोलने के लिये खड़े होने पर).

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं । इस विषय को यहीं ड्राप करते हैं । प्रश्न यह है कि यह विषय माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में है । बीच में यह विषय उठाया गया था उस समय व्यवस्था दे दी गई थी । डा० अम्मार रिजवी जी ने कहा कि ला एण्ड आर्डर लेने के बाद आयेगा । जहां तक मेरी स्मरण शक्ति है नियम–56 की सारी की सारी सूचना लेने के बाद की घोषणा इस पीठ से हुई थी । डा० साहब ने ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था के बाद इस विषय को उठाया था । कदाचित अपनी स्मरण शक्ति का हमारे साथ सहयोग करें । दूसरे माननीय सदस्य ने हमारी सदाशयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया । मेरा आग्रह है उनसे कभी आत्मविश्लेषण करिये जब आपको समय मिले । मैंने इसीलिये दुखी मन से कहा कि यह कार्यवाही का पार्ट नहीं बनेगा । यह विषय पूरे सदन के समक्ष है । संसदीय कार्य मंत्री, मुख्य मंत्री, अध्यक्ष जी सभी के कान्फीडेन्स में इस पर चर्चा हो जायेगी तब यह विषय ले लिया जायेगा । इस विषय को अभी करिये, अभी लीजिये यह आप कह रहे हैं । हमने कहा हमारे साथ सहयोग करिये । यह विषय लिया जायेगा परन्तु जैसी कि प्रक्रिया है उसके अनुरूप ही उसको लिया जायेगा तब जैसा निर्णय आयेगा वो आपके समक्ष होगा । अब मैं श्री रामपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बात कहें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यहां पर मत विभाजन करा दें कि प्रमोद कुमार का निष्कासन सदैव के लिये कर दें । यह उचित नहीं होगा कि व्यक्तिगत रिश्तों की बार-बार दुहाई देकर सदन को चाश्नी में डालने का प्रयास किया जा रहा है । इस सदन को नियमों से चलाया जाता है व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर सदन नहीं चला करता । मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि उचित होगा कि इस नियमावली को निलम्बित कर दें । यह नियमावली निलम्बित हो जायेगी तो [× × ×] आपकी मर्यादा जीवित रहेगी और हम सब सदस्य भविष्य में इसका अनुकरण करने के लिये बाध्य नहीं रहेंगे । प्रमोद कुमार कांग्रेस का सदस्य हो सकता है, कांग्रेस दल का नेता हो सकता है लेकिन प्रमोद कुमार नाम का व्यक्ति परम्परा बन जायेगा आपके निर्णय के आधार पर । इस सदन में समन्वय नहीं हो सकता है । आचरण पर बात हो सकती है । राजनीति करने वाले हम लोग इतने ज्यादा दुराग्रह से भरे हैं कि सामूहिक निर्णय लेने के लिये भी काबिल नहीं है ।

मेरा निवेदन है आपसे विनम्र निवेदन है मत विभाजन कराकर निर्णय लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भावनायें आ गई हैं आप कृपया सहयोग करें । मैंने श्री श्री रामपाल जी को बोलने का समय दिया है ।

(व्यवधान)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रामपाल जी आप नहीं कहना चाहते हैं तो आगे बढ़ें आपको कुछ कहना है ।

श्री श्रीरामपाल–

मान्यवर, मैंने 311 में सूचना दी थी आज कानून व्यवस्था के संबंध में सूचनायें माननीय सदस्यों द्वारा दी गई हैं उसमें बहुत कुछ कहा गया है लेकिन जनपद जालौन में जो घटनायें घटित हो रही हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दिनांक 24-25 मई की रात में जिला जालौन के एक गांव में भीषण डकैती पड़ी भूतपूर्व सैनिक अधिकारी के यहां, उसका मकान थाने से मात्र दो सौ किलोमीटर की दूरी पर था वहां से घायल अवस्था में एक व्यक्ति थाने आया और उसने बताया कि चतुरसिंह भूतपूर्व सैनिक के घर डकैती पड़ रही है काफी देर बाद वहां पर पुलिस पहुंची । पुलिस निष्क्रिय हो गई है । इस तरह की घटनायें हो रही हैं डकैतों ने डकैती डाली दो दर्जन व्यक्ति मरणासन्न हुए और एक दस साल की बच्ची की मृत्यु हो गई । (व्यवधान) थाने की नाक के नीचे इस तरह की घटना हुई । दूसरी घटना जालौन के कोंच कस्बे में दो दिन पहले हुई एक व्यवसायी अपनी रोज की कमाई हुई पूंजी लेकर शाम के साढ़े 6 बजे जालौन में बाजार में खड़ा हुआ था उसको गुण्डों ने बीच बाजार में मारा । उरई नगर जालौन का मुख्यालय है, कोंच नक्खास में गोली चलने से एक रिक्शा चालक मर गया वहां की कोतवाली 100 गज की दूरी पर है एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और 55 मिनट बाद पुलिस पहुंची जगपुरा उसी क्षेत्र के अन्तर्गत है वहां भी इसी तरह की घटनायें हुई । 6-7 थानों पर कोतवाल और एस० ओ० नहीं है पूरा-पूरा मालिक ऊपर पुलिस अधीक्षक है सब कुछ होता है और कहा यह जाता है कुछ नहीं हुआ दो क्षेत्राधिकारी हैं उनको पंगु बना दिया गया है । कमाण्ड अस्पताल में लोग भर्ती हैं कोई पुलिस का अधिकारी बयान लेने नहीं गया उनके बयान आज भी लिए जाए तो भी कुछ हो सकता है । इलाका जालौन, झांसी में निरन्तर अपहरण हो रहे हैं लोग बुरी तरह से सताए जा रहे हैं । इटावा के बारे में तो आप भी पूरी तरह से भिज्ञ हैं एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के यहां 5-5 लोग का अपहरण कर दिया गया जालौन जिला भयग्रस्त हैं यहां बहुत से अपराधी आ गए हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें ।

श्री श्रीरामपाल वर्मा–

यह जिला अपराधियों का अड्डा बन गया है इस सूचना को आप गंभीरता से लें वहां पर जो क्षेत्राधिकारी एस० ओ० कोतवाल नहीं हैं उसकी दो दिन में नियुक्ति करा दें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री श्रीराम पाल–

जो घटनाएं हुई हैं उनकी जांच विस्तार से करवाई जाए और जो दोषी अपराधी हों उनको दण्ड देने की व्यवस्था की जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

जितनी सूचनाएं सामान्य कानून व्यवस्था के संबंध में थीं उन पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब दे चुके हैं । यह प्रकरण दुबारा कहां से शुरू हो गया ?

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना श्री श्रीराम पाल ने नियम 311 के अन्तर्गत की थी ।

श्री हुकुम सिंह–

अगर यह सूचना किसी घटना विशेष से होती तो मेरे लिए उत्तर देना संभव था । इन्होंने एक से लेकर 11 तक सूचनाएं गिनवा दीं । इस पर सामान्य रूप से चर्चा हो चुकी है । यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिये इसको अग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नही आती है इसीलिए इसको अग्राह्य किया जाता है ।

(श्री राम नक्षत्र का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जो सूचना राम नक्षत्र की है इसी विषय पर सूचना श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है जनपद कुशीनगर के सेवरही कस्बे में पुलिस एवं आबकारी विभाग की लापरवाही के कारण जहरीली शराब के पीने से हुए दर्द नाक हादसे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसी विषय पर हमारी भी सूचना है ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है इसको दिखवाए लेता हूं ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उपेक्षित जनपद कुशीनगर के एक मुख्य कस्बा सेवरही जो बिहार प्रदेश की सीमा पर स्थित है वहां पिछले 27 अप्रैल की रात को जहरीली शराब पीने के कारण 28 अप्रैल से मौत का तांडव शुरू हुआ। उस कस्बे के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो मेहनतकश गरीब लोग थे उन्होंने इस जहरीली शराब को पिया जिसके कारण 28 अप्रैल से मौत का सिलसिला शुरू हुआ और जब जहरीली शराब के प्रकोप में आये हुए लोग उपचार के लिए पहुंचे तो वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही पर पुलिस और जिला प्रशासन के लोगों ने उनकी तत्काल चिकित्सा व्यवस्था करने के बजाय इस बात का इन्तजाम करने लगे कि पीड़ित व्यक्तियों की बीमारी का कारण गैस्ट्रो या डायरिया अंकित हो । प्रशासन के लोगों ने वहां पर भय का वातावरण पैदा करके उन पर इस बात के लिए दबाव डालना शुरू किया कि वह किसी के सामने यह नहीं कहेंगे कि उन्होंने जहरीली शराब पी । जो प्रभारी चिकित्साधिकारी वहां अस्पताल में तैनात थे उन पर जिला प्रशासन ने इस बात के लिए दबाव डालना शुरू किया कि मरीजों की बीमारी का कारण डायरिया या डिसेंट्री दिखाई जाए । यह काम जिला प्रशासन ने किया । जो लोग जहरीली शराब पिए थे उनको उल्टी हो रही थी, उनको दस्त हो रहा था और उनके आंखों की रोशनी भी जा रही थी । यह लक्षण डायरिया या डिसेंट्री के नहीं है । जिला प्रशासन ने उपचार की जगह घटना पर परदा डालने का काम करना शुरू किया ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब पीड़ित व्यक्तियों के अस्पताल आने का सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने और वहां के जिला प्रशासन ने यह जानते हुए कि गोरखपुर जो कि निकट का मेडिकल कालेज में चिकित्सक काफी दिनों से हड़ताल पर हैं, सरकारी अस्पताल सेवरही ने पीड़ित लोगों को मेडिकल कालेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि सेवरही से लेकर गोरखपुर के बीच जिन लोगों को बचाया जा सकता था, जो जिन्दगी और मौत से जूझ रहे थे, उनके उपचार तत्काल नहीं हो पाने के कारण काफी लोग मर गये । जो कुछ लोग बचे उनका इलाज मेडिकल कालेज, गोरखपुर में नहीं बल्कि वहां के जिला अस्पताल में हुआ और जिला

अस्पताल के चिकित्सकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जहरीली शराब पीने से तो यह हुआ है । लक्षणों के आधार पर जब यह पता चल गया कि जहरीली शराब पीने से लोगों की हालत खराब है तो उस आधार पर उनका उपचार किया गया और कुछ लोगों को बचाया जा सका ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में यह पहली घटना है जिसमें 100 से ऊपर लोगों की जानें उत्तर प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते गयी हैं । इस प्रदेश सरकार की निर्ममता और संवेदनहीनता देखिये कि इतनी मौतें हो गयी उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार को जितनी गंभीरता से घटना को लेना चाहिए उसने नहीं लिया । मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं उक्त घटना में मृतकों की सही संख्या घोषित करने के बजाय मृतकों की संख्या को छिपाने का काम वहां के जिला प्रशासन ने किया । लाशों को नदियों में डलवाया गया, जबरदस्ती उनके परिवार वालों से कहकर दाह-संस्कार करवा दिया गया । वहां की पुलिस ने पिछले कई महीनें पूर्व से कुछ अवैध शराब बरामद कर थानों में जब्त किया था, उस शराब को नष्ट करने की जगह पिछले दो दशक से पुलिस और आबकारी विभाग की मदद से अवैध शराब की बिक्री करने वालों से सांठ-गांठ कर, उन्हें थाने में बुलाकर उक्त जब्त अवैध शराब को बेचने के लिए दे दिया । काफी दिनों से पड़ा हुआ शराब जहर बन गया था जिसे पुलिस ने पैसा कमाने के चक्कर में बेच दिया उसका परिणाम यह हुआ कि लगातार कई दिनों तक वहां के गरीब लोग मौत के घाट उतरते रहे ।

माननीय अधिष्ठाता जी, उत्तर प्रदेश की सरकार आज मदिरा पर चल रही है । उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को मदिरा पिलाकर सरकार द्वारा उनसे धन का अर्जन किया जा रहा है और उससे उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है । इस सरकार ने जब उत्तर प्रदेश को शराब के लिए अवैध बाजार बना दिया है । जब मद्य निषेध यहां नहीं है तो सरकार की जवाबदेही है कि उत्तर प्रदेश के नागरिक को शराब की जगह जहर न मिलने पाये । पिछले दो दशक से उत्तर प्रदेश की सरकार, आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से वहां अवैध शराब की बिक्री हो रही है, संवेदनशीलता की बात करने वाली, गरीबों की बात करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार के मा० मुख्य मंत्री जी ने इतने दिनों के बीतने के बाद भी, प्रभावित क्षेत्र में जाना तो दूर रहा, लखनऊ में बैठकर श्रद्धांजलि के दो शब्द भी उन मृतकों के प्रति व्यक्त नहीं किया है । इतनी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूं कि...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्रीवास्तव जी, कृपया समाप्त करें । आपने अपनी बात पर काफी बल दे दिया है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न पर, जिसको लेकर आज सारे पूर्वांचल में क्षोभ और असन्तोष व्याप्त है, पर नियमों को निलम्बित कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

यदि कोई माननीय सदस्य दो सूचनाओं पर दस्तखत करते हैं तो वह एक ही सूचना पर बोलने के लिये अधिकृत हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ऐसे तमाम अवसर आये हैं, जिसमें दो बार बोलने का मौका दिया गया है । मैंने नियम–311 में ला एण्ड आर्डर पर सूचना दी है और दूसरी सेवरही वाले मामले पर दी है, मैं वहां तीन बार जा चुका हूं और केवल तथ्यों की जानकारी देना चाहता हूं ।

श्री राम नक्षत्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे उत्तर प्रदेश में मजदूरों, लाचारों, गरीबों की आवश्यकताओं को वर्तमान सरकार पूरा कर पाने में फेल हैं, इसलिये गरीब, लाचार, मजदूरों को ही मिटाने का प्रयास कर रही है, इसी तरह का पहला प्रयोग सेवरही में हुआ है । आज प्रयास यह हो रहा है कि स्लो प्वायजन देकर प्रदेश के लोगों को अपाहिज, विकलांग और मौत का शिकार बना दिया जाय, इस तरह के सुनियोजित षड्यंत्र का हम विरोध करते हैं। मैं मांग करता हूं कि जितने लोग मरे हैं, उनके परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये, धन्यवाद ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपने दो पर हस्ताक्षर किये हैं, एक पर बोल चुके हैं । यदि आप इस पीठ पर होते तो क्या करते ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर आप किसी की राय पर चलेंगे, तो फिर सदन कैसे चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

जो सूची मेरे पास है, उसमें आपका नाम नहीं है, यदि ऐसी परम्परा बन जायेगी तो फिर उसका कभी अन्त नहीं होगा । यदि इस तरह अनुमति दी जायेगी, तो फिर कल लोग 10-10 सूचनाओं पर हस्ताक्षर करेंगे और कहेंगे कि मैं तो दसों पर बोलूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस पीठ से समय-समय पर ऐसे विषयों की गंभीरता के अनुसार समय दिया गया है । आपको मुझे दो मिनट का समय देने में क्या दिक्कत है ?

श्री अधिष्ठाता–

आप तो बहुत बड़ी कुर्सी पर विराज चुके हैं ..

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय शाही जी उसी जनपद के रहने वाले आबकारी मंत्री हैं । मैं केवल 2 बाते कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यह परिपाटी नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई उदाहरण नहीं बनेगा और दूसरी सूचना पर बुलवाने के बाद भी यह कोई परिपाटी नहीं बनेगी ।

विशेष आग्रह कर रहे हैं । इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए कुछ न कुछ बल मिलना ही चाहिए ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं । मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी इसकी ग्राह्यता पर उत्तर देने के लिए खड़े होंगे तो मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं । मान्यवर, उन 100 लोगों की जिनकी जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गयी है, के परिवार से मैं मिला हूं उनके 4-4, 6-6 बच्चे अनाथ की तरह हैं । उन्हें मुआवजा कुछ भी नहीं दिया गया है । माननीय मंत्री जी की रैली का कार्यकर्ता मर जाता है तो एक लाख, 2 लाख दे देते हैं, आपकी सीधी जवाबदेही नहीं होती । आप 800 करोड़ राजस्व के रूप में लेते हैं तो जो लोग शराब पीकर मरे हैं उनको कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए ।

मान्यवर, यह शराब थाने के गोदाम से बेची गयी है एक दरोगा ने बेचा है और उसको निलम्बित भी किया गया है । इससे सरकार का दायित्व बनता है कि अगर किसी थाने में मिथाइल एल्कोहल खुले आम बेच दी गयी और उसके पीने से लोग मरे हैं । मान्यवर, आबकारी मंत्री जी उसी जनपद के हैं । 28 अप्रैल को यह घटना हुई, मंत्री जी उस दिन राष्ट्रीय अधिवेशन में बंगलौर में थे (व्यवधान) इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इतने बड़े मंत्रि-मण्डल का कोई भी मंत्री वहां नहीं गया एक सप्ताह तक लोग मरते रहे और उसके बाद माननीय मंत्री जी का बयान आया कि जहरीली शराब से मरने वालों की जिम्मेदारी शासन की नहीं है । मान्यवर, जहरीली शराब के पीने से 100 लोगों की मृत्यु हो गयी और उसकी जवाबदेही और संवेदनशीलता सरकार की नहीं है । इन दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । आबकारी मंत्री जी के संज्ञान में यह सारे तथ्य आ गये हैं इसलिये माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे दें ।

* श्री राम अधार सिंह–

मान्यवर, मेरे यहां का मामला है, मुझे बोलने का मौका दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

एक सूचना पर जिनके हस्ताक्षर होते हैं उन्हीं को बोलने का नियम बना है । आपकी भावनाएं आ गयी हैं आप उससे सम्बद्ध हों । जो माननीय सदस्य ने कहा है आपको उससे सम्बद्ध किया जा रहा है जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो उसमें आपका भी ध्यान रखेंगे ।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है वह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण थी कहीं पर सरकार ने मामलें में न तो असावधानी बरती है और न लापरवाही बरती है । जहरीली शराब पीने से मृतकों की संख्या जो 100 बताई जा रही है वह अत्यन्त निराधार है । इसकी पुष्टि कराई गई थी तो उसमें 31 की पुष्टि हुई है ।

मान्यवर, 29 तारीख को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों को कै, दस्त उल्टी हो रही हैं वे लोग सेवरही अस्पताल में गये । उनके इलाज की व्यवस्था की गई इस घटना के लिए जो लोग सीधे

जवाब देह पाये गये उनमें इन्सपेक्टर रामचन्द्र सिंह को निलम्बित किया गया । साथी ही, दो एस० आई और तीन कांस्टेबिल निलम्बित किये गये । ये लोग प्रथम दृष्टया इस घटना के लिए उत्तरदायी पाये गये या उनकी असावधानी पायी गयी । घटना की गम्भीरता को देखते हुए कुशीनगर के सहायक आबकारी आयुक्त श्री सी० पी० श्रीवास्तव और सी० ओ० पुलिस को निलम्बित कर दिया गया है । इस घटना की जांच गोरखपुर के मण्डलायुक्त कर रहे हैं जांच निष्कर्ष आने पर इसमें पूरी कार्यवाही की जायेगी । अभी पाल साहब ने कहा कि इसमें कोई अर्थिक सहायता नहीं दी गयी है तो मैं यह बताना चाहता हूं कि 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मृतक के परिवारों को प्रदान की गयी है । अवैध शराब को प्रोत्साहन न दिया जाये इस नाते सरकार अवैध शराब के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही कर रही है ।

सेवरही मामले में तीन अभियुक्तों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरुद्ध किया जा चुका है । बरेली में तीन लोगों को राष्ट्रीय कानून सुरक्षा के तहत निरुद्ध किया गया है । इस तरह से उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार जहरीली शराब के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही कर रही है । मान्यवर, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सकें इसलिए हम आबकारी अधिनियम के भीतर संशोधन कर रहे हैं । फिलहाल जांच का निष्कर्ष जो आया है यह घटना मिथाईल अल्कोहल पीने से हुई हैं इसे औद्योगिक उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जाता है । यह 99 प्रतिशत विष है जिसका 2 प्रतिशत अंश ग्रहण कर लिया जाए तो आदमी की मृत्यु हो सकती है । इसको पोईजन एक्ट में शामिल करने के लिए गृह विभाग की अधिसूचना जारी कर दी गई जिसके अन्तर्गत दो लीटर से अधिक मिथाईल अल्कोहल रखने पर संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस लेना होगा ताकि मिथाईल अल्कोहल का दुरुपयोग न हो प्रदेश में जहरीली शराब की घटना न हो ।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 5 मई से 20 मई तक प्रवर्तन पखवाड़ा मनाया गया इसमें बहुत बड़ी सफलता आबकारी विभाग को मिली है । मान्यवर, जो कार्य स्थगन की सूचना है वह निरस्त किये जाने योग्य है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम 311 की सूचना जो नियम 56 में कनवर्ट हुई है, उसे अग्राह्य किया जाता है ।

अगली सूचना श्री भोला शंकर मौर्य की है । 5 सूचनाओं को सुनने के बाद शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा ।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, लखनऊ में भागीदारी भवन स्थिति है परन्तु एक साजिश के तहत एल० डी० ए० इसको हथियाने जा रही है । हम इसे रोकने के लिए तत्पर हैं हमारा आपसे अनुरोध है कि जो विधिवत् नक्शा पास हुआ है, जिसके हिसाब से इसे बनाया गया है और जिसके साथ लोगों की भावनायें जुड़ी हुई हैं उस पर हुए निर्माण कार्य को एल० डी० ए० गिराना चाहती है इसलिए अनुरोध है कि इसे बचाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, श्री मौर्य जी ने जो शंका व्यक्त की है वह मात्र कल्पना पर आधारित है । इसमें न कोई तिथि है और न ही घटना का जिक्र है और न ही कोई आधार है इसलिए यह ग्राह्य करने योग्य नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है । श्री ऊदयराज यादव जी की सूचना उन्नाव जनपद में निरन्तर बिगड़ रही कानून व्यवस्था से उत्पन्न गम्भीर संकट के संबंध में है, श्री श्रीरामपाल की सूचना जनपद जालौन की तहसील कौच के राजस्व बंदी गृह में बंद बकायेदार कृषक की मृत्यु के संबंध में हैं, सर्वश्री राजपाल सिंह, परवेज हलीम, गजेन्द्र कुमार मुन्ना, वीरेन्द्र सिंह, बृजेन्द्र आर्य की सूचना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गम्भीर विद्युत संकट के उत्पन्न संकट के संबंध में है । इन तीनों सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियम-300 के अन्तर्गत मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य आज बजट का दिन है सवा-चार हो चुके हैं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न कभी भी उठाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने उठा दिया । हमारी भी अपनी विवशता है जो कि हमने आपको बता दी है । मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करता हूं कि आप कृपया सहयोग करें । अब मैं मद संख्या-8 ले रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, तो मान्यवर, सदन का कार्य विनियमित हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आप कृपया बैठ जायें और हमें सहयोग करें । मैंने मद संख्या-8 पुकार ली है । आप भी इधर बैठते हैं । आप कल्पना करें कि आप इधर बैठे हैं ।

स्वास्थ्य की दृष्टि से तम्बाकू तथा उससे निर्मित उत्पादकों की सार्वजनिक बिक्री एवं विज्ञापनों पर रोक लगाये जाने का संकल्प

संसदीय कार्य, पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "चूंकि यह सिद्ध हो चुका है कि तम्बाकू का सेवन एक वृहद स्वास्थ्य जोखिम है, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर, हृदय और श्वास के रोग और अन्य इसी प्रकार के रोग उत्पन्न करता है,

और चूंकि विश्व में तम्बाकू से संबंधित अनुमानित तीस लाख मौतों में से लगभग आठ लाख मौतें भारत में होती हैं,

और चूंकि यदि तम्बाकू से संबंधित उत्पादकों का सेवन कम किया जाय तो इस वृहद स्वास्थ्य समस्या को रोका जा सकता है,

और चूंकि इस समय समग्र भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यापक और एक रूप विधायन नहीं है, जो किसी भी रूप में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादकों के प्रयोग को हतोत्साहित करने, तम्बाकू से संबंधित उत्पादों के संबंध में विज्ञापनों के सभी रूपों पर पूरी पाबन्दी लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पाबन्दी लगाने, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों की सभी पैकिंगों पर नारे के रूप में विधिक चेतावनी को मुद्रित करने, शिक्षण, चिकित्सा और अन्य स्थानों से विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबन्दी लगाने और उससे सम्बद्ध या सहायक या आनुषंगिक सभी विषयों की व्यवस्था करता हो,

और चूंकि यह आवश्यक है कि ऊपर के पैरा में निर्दिष्ट सभी विषयों की व्यवस्था करने के लिए व्यापक विधि बनाई जाय,

और चूंकि ऐसी बिधि की विषय वस्तु, सिगरेटों के सिवाय जो "भारत का संविधान" की सप्तम अनुसूची की सूची तीन समवर्ती की प्रविष्टि 33 और सूची दो राज्य सूची की प्रविष्टि 6 और 26 से संबंधित है और संसद को राज्यों के लिए "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय उपर्युक्त विषयों के संबंध में विधि बनाने की कोई शक्ति नहीं है,

और चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में उपर्युक्त विषयों को विधि द्वारा विनियमित किया जाय,

अतएव "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह सदन एतद्द्वारा संकल्प करता है कि किसी भी रूप में तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पाद को हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक और एक रूप विधायन बनाया जाय जिसमें तम्बाकू से संबंधित उत्पादों के सभी रूपों के संबंध में विज्ञापनों पर पूर्ण पाबन्दी लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू के धूमपान पर पाबन्दी लगाने, तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पाद के सभी पैकेजों पर नारे के रूप में विधिक चेतावनियों को मुद्रित करने, शिक्षण, चिकित्सा और अन्य संस्थाओं से विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए और उनसे सम्बद्ध सहायक और आनुषंगिक विषयों को उत्तर प्रदेश में संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित करने का उपबन्ध किया जाय।"

मान्यवर, सर्वविदित है कि कैंसर जैसा रोग बढ़ता जा रहा है, जिस पर पूरे विश्व में कंट्रोल नहीं है और भारत जो एक विकासशील देश है, अगर इस बीमारी को न रोका गया, तो कैंसर रोग पर हम कोई पकड़ नहीं कर पायेंगे और हमारी भारी जनसंख्या का ह्रास हो जायेगा। कैंसर का सबसे बड़ा कारण तम्बाकू का सेवन है और सिगरेट का सेवन है। यह भारत सरकार के समक्ष जायेगा, जिससे इसके अनुरूप कोई विधान बनाया जा सके।

* डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी ने तम्बाकू के सेवन पर रोक लगाने के संबंध में यह संकल्प प्रस्तुत किया है। मान्यवर, यह सही है कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है और हमारे प्रदेश में तम्बाकू का सेवन अधिकाधिक होता है और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस कारण तम्बाकू पर रोक लगनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से तम्बाकू के प्रयोग पर रोक लगाना चाहते हैं, तो वह इस बात की परवाह न करें कि इससे कितना राजस्व मिलता है। राजस्व चाहे जितना मिले, इस पर रोक लगनी चाहिए।

मान्यवर, तम्बाकू के प्रयोग से लाखों नवजवानों को मारने का काम किया जा रहा है और इसी को देखते हुए इस चीज की आवश्यकता प्रतीत हुई कि इस पर कोई कानून बने। आप स्वयं परिचित होंगे कि पान की दुकानों पर अलग-अलग किस्म के पाउच मिल जायेंगे। कितने घटिया स्तर की चीजें इसमें प्रयोग में लायी जाती हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। फिर भी उनका प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है, उन पर कोई रोक नहीं है, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, किसी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि जिस मंशा से इसको प्रस्तुत किया गया है, उसको पूरा किया जाये और इस पर गहराई से विचार किया जाये और करोड़ों-करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाये। इसकी शुरूआत उत्तर प्रदेश से की जाये। आज आप विधान भवन को देखते होंगे कि जगह-जगह पर पान के दाग पड़े होंगे, इस पर रोक लगनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको पहले हो जाना चाहिए था। अगर यह अच्छी मंशा से संकल्प लाया गया है, तो ठीक है। अगर केवल कानून बनाने की नीयत से लाया गया है, तो यह केवल पुस्तकालयों में बन्द होकर रह जायेगा। आज आप गांव में चले जा जो किसान है वह भी हल चलाते समय तम्बाकू का सेवन करता है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसको संजीदगी से किया जाये और लोगों के स्वास्थ की रक्षा की जाये।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प आज माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून मात्र बना देने से काम चलने वाला नहीं है, इससे इसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मान्यवर, इसके लिये जरूरत इस बात की है कि हम जनता में जागरूकता पैदा करें। इसलिये इसके सेवन से लोगों की तादात घटे और लोग हतोत्साहित हों। केवल कानून बना देने से काम नहीं चलेगा जैसे की शराब के संबंध में कानून तो बना दिया गया लेकिन नकली शराब बनाकर लोग, जनता को जहरयुक्त शराब पिला देते हैं जिससे तमाम मौतें होती हैं और कानून होने के बावजूद लोग चोरी से शराब बनाने और पीने का काम करते हैं। इसलिये इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और केवल कानून बना देने से इसका उद्देश्य सार्थक नहीं होता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो संकल्प तम्बाकू और उससे संबंधित उसके उत्पादों पर रोक लगाने के संबंध में प्रस्तुत हुआ है वह वास्तव में अपने आप में इस तरह का विषय है कि आज वास्तव में समाज के सामने गम्भीर समस्या बन गयी है। तम्बाकू और उसके उत्पादों से जिस तरह से स्वास्थ्य संबंधी लोगों को परेशनियां आज जो सामने आ रही हैं वह अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन जो स्वास्थ्य का विषय है उस पर आज विचार करने की बात है। मान्यवर, यह देखने में आता है कि आज दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अच्छे उपाय हमारे यहां जो पुराने उपाय हैं एक परहेज सौ इलाज वाला । यह सिद्धान्त अपने आप में आज भी दुनिया में प्रचलित है। इसलिये सबसे अच्छा उपाय प्रिवेन्टिव मेडीसिन का है। संकल्प के अन्दर जिस भावना को लाया गया है उसकी गम्भीरता की तरफ दृढ़ इच्छाशक्ति से यदि कानून बनाया गया है और उसका पालन कराया जाय तो अच्छी बात होगी।

मान्यवर, समाज में स्वास्थ्य के प्रति इससे जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी और इस कानून के जरिये दृढ़ इच्छाशक्ति से कानून बनाकर लागू करने से प्रिवेन्टिव मेडीसिन का कनसेप्ट जो है उसे लागू कर सकते हैं। विशेष रूप से युवा पीढ़ी जो अपने स्वास्थ्य को तम्बाकू के सेवन से जर्जर अवस्था में ले जाने का काम कर रही है उसको रोका जा सकता है। इस संबंध में दिल्ली में यह उपाय किया जा चुका है और वहां पब्लिक प्लेसेस, शैक्षणिक संस्थाओं और मोटर वाहनों में पहले ही इस पर रोक लगा दिया है। उसी तरह से यहां भी इसमें रोक लगाने की जरूरत है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण संकल्प के समय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिये इसमें इनको बुलाने के संबंध में आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है कि "चूंकि यह सिद्ध हो चुका है कि तम्बाकू का सेवन एक वृहद स्वास्थ्य जोखिम है, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर, हृदय और श्वास के रोग और अन्य इसी प्रकार के रोग उत्पन्न करता है;

और चूंकि विश्व में तम्बाकू से संबंधित अनुमानित तीस लाख मौतों में से लगभग आठ लाख मौतें भारत में होती हैं;

और चूंकि यदि तम्बाकू से संबंधित उत्पादों का सेवन कम किया जाय तो इस वृहद स्वास्थ्य समस्या को रोका जा सकता है;

और चूंकि इस समय समग्र भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यापक और एक रूप विधायन नहीं है, जो किसी भी रूप में तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने, तम्बाकू से संबंधित उत्पादों के संबंध में विज्ञापनों के सभी रूपों पर पूरी पाबन्दी लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पाबन्दी लगाने, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों की सभी पैकिंगों पर नारे के रूप में विधिक चेतावनी को मुद्रित करने, शिक्षण, चिकित्सा और अन्य स्थानों से विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबन्दी लगाने और उससे सम्बद्ध या सहायक या आनुषंगिक सभी विषयों की व्यवस्था करता हो;

और चूंकि यह आवश्यक है कि ऊपर के पैरा में निर्दिष्ट सभी विषयों की व्यवस्था करने के लिये व्यापक विधि बनाई जाय;

और चूंकि ऐसी विधि की विषय वस्तु, सिगरेटों के सिवाय जो 'भारत का संविधान' की सप्तम अनुसूची की सूची तीन समवर्ती की प्रविष्टि 33 और सूची दो राज्य सूची की प्रविष्टि 6 और 26 से संबंधित है और संसद को राज्यों के लिये 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय उपर्युक्त विषयों के संबंध में विधि बनाने की कोई शक्ति नहीं है;

और चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में उपर्युक्त विषयों को विधि द्वारा विनियमित किया जाय;

अतएव 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह सदन एतद्द्वारा संकल्प करता है कि किसी भी रूप में तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पाद को हतोत्साहित करने के लिये एक व्यापक और एक रूप विधायन बनाया जाय जिसमें तम्बाकू से संबंधित उत्पादों के सभी रूपों के संबंध में विज्ञापनों पर पूर्ण पाबन्दी लगाने, सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू के धूम्रपान पर पाबन्दी लगाने, तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पाद के सभी पैकेजों पर नारे के रूप में विधिक चेतावनियों को मुद्रित करने, शिक्षण, चिकित्सा और अन्य संस्थाओं से विनिर्दिष्ट दूरी के भीतर तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिये और उनसे सम्बद्ध सहायक और आनुषंगिक विषयों को उत्तर प्रदेश में संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित करने का उपबन्ध किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री इकबाल महमूद–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। तम्बाकू का जो सेवन है ..

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर हम आगे बढ़ गये हैं अब क्या व्यवस्था हो सकती है, यह संकल्प सर्वसम्मति से पास हो गया है।

श्री इकबाल महमूद–

मैं इसके पक्ष में हूं। तम्बाकू का प्रयोग दो तरह से होता है एक खाकर और दूसरा सिगरेट पीकर। पूरे हाऊस के अन्दर लोग तम्बाकू खाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब मैंने पुकारा था कोई माननीय सदस्य बोलना चाहे तो आप नहीं बोले यह संकल्प पास हो गया है। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अधिष्ठाता–

(नेता विरोधी दल का नाम पुकारने पर) किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में माननीय नेता विरोधी दल आज उपस्थित नहीं हैं, कोई विवशता रही होगी।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

वह हमारे बजट के समर्थन में है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण वह इस समय नहीं हैं।

नोट :–† दिनांक 19-6-98 की कार्यवाही से।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री, जिन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से 1998-99 का बजट प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया ।

(समय 4 बजकर 30 मिनट)

माननीय अधिष्ठाता जी, जैसा कि प्रस्ताव है और जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मानीनय नेता विरोधी दल को ही इस चर्चा की शुरूआत करनी थी, आज अपरिहार्य कारणों से वह इस सदन में उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इस बजट को जिन भावनाओं के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखने का प्रयास किया है उसकी जो असली मंशा है उसका कुछ खुलासा करने की मैं कोशिश कर सकूं । श्रीमन्, आंकड़ों में उलझाने का काम सरकारी पक्ष के लोग करने में बड़े माहिर हैं चतुर हैं और उनके मुखिया कल्याण सिंह जी, उनका अनुभव भी इतना लम्बा है और एक ऐसी टीम के वह अगुवा हैं जो इन रचनाओं को करने में माहिर हैं । इसलिये उन्होंने आंकड़ों में फंसाकर ऊपर नीचे करने का काम किया है । मैं शुरू में ही कह देना चाहता हूं कि चूंकि आज माननीय नेता विरोधी दल के न आ पाने की वजह से मैं उन आंकड़ों को सीधे तौर पर नहीं रख पाऊंगा लेकिन प्रदेश की जनता की स्थिति इस बजट को झेल पाने की नहीं है यह मैं सत्ता पक्ष के बेंचों पर बैठे हुये लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि आमतौर पर मैं उन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहता फिर भी यदि माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण को सुन सकता तो मेरे लिये सुविधा रहती और इसको समझ पाने में तमाम लोगों को सुविधा रही होगी । माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण जो हुआ, उन्होंने जब भाषण पढ़ा तो विपक्ष का कोई सदस्य मौजूद नहीं था । जरूर मेजें थपथपाई गयी होंगी । सत्ता पक्ष द्वारा एक परम्परा रही है, सही हो न हो मेजें थपथपा दी जाती हैं ।

एक सदस्य–

आप धन्यवाद तो दे दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर धन्यवाद से शुरू करने का काम करना है तो यह एक ऐसा बजट है जिसमें इतना आडम्बर रचा गया है जिससे प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला है । लेकिन इसमें एक आध अच्छी बातें हैं कि धन्यवाद दे दिया जाय । सदन में चूंकि काफी अर्से से मांग रही है कि विकास कार्यों में विधायकों की भागीदारी उनके प्रस्तावों और उनके सुझावों के अनुसार हो सके । इसके लिये विधायक निधि का प्राविधान मुख्य मंत्री जी ने किया है यही एक बिन्दु है जो सत्ता पक्ष के साथियों के ध्यान में रहा है । यह बिन्दु उनके लिये बड़ा प्रभावी है और बाकी बिन्दु वह भूल गये । अगर इस एक बिन्दु के लिये वह धन्यवाद की अपेक्षा करते हैं तो मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं । जो बात बहुत दिनों से कही जा रही थी उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने करने का प्रयास किया है ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से फिर यह कहना चाहता हूं और आमंत्रित करना चाहता हूं कोई दूसरा बिन्दु उनके पास ऐसा नहीं है जिस पर मेरी ओर से फिर धन्यवाद की अपेक्षा कर सकें । एक बिन्दु था उस पर इन्होंने आग्रह किया और मैंने धन्यवाद दिया । लेकिन इसके साथ ही साथ डी० आर० डी० ए० की बैठकों में विधायकों की हिस्सा जिस सीमा तक सिमट कर चला गया है उससे जुड़ी पीड़ा इस सदन में आ चुकी है और सदन से परे भी मुख्य मंत्री जी के समक्ष तमाम माननीय सदस्यों ने अपनी कठिनाइयों को रखने का काम किया है ।

उन विसंगतियों को दूर करते हुए और इस प्रदेश की चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं में विधायकों की भागीदारी ठीक से हो सके इसके लिये कुछ अन्य निर्देश भेजे जाने की आवश्यकता होगी ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग शान्त रहें । चौधरी जी को अपनी बात रखने दें । चौधरी साहब आप अपनी बात कहें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप चिन्ता न करें । मित्रों की टिप्पणियां कई बार बड़ा काम कर जाती हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आगर आपस में इस तरह से बात करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पायेंगे ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोलते लेकिन चौधरी साहब बोल रहे हैं । इन्होंने इस बजट के लिये धन्यवाद भी दे दिया है । इनकी वाणी बीच-बीच में अवरुद्ध हो रही है यदि इन्होंने पूरा बजट पढ़ा होता तो यह यही कहते कि ऐसा बजट प्रदेश की न कोई सरकार लाई थी न लायेगी । यह बजट गरीबोन्मुखी है, ग्रामोन्मुखी है । इनको थोड़ा समय दे दीजिये ताकि यह उसे ठीक से पढ़ लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी से इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि आपके एक बहुत ही बुद्धिमान सदस्य थे जो इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते थे पता नहीं उनको इस अधिकार से क्यों वंचित कर दिया ? न जाने किसके दबाव में आकर आपने उनका यह अधिकार छीन लिया । अगर आपको भविष्य में मौका मिले तो उनकी पीड़ा और मर्माहत का ध्यान रखते हुए अवसर अवश्य दिया जाय ।

मानीनय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण रखा है वह दो हिस्सें में है । भाग– 1 और भाग– 2 भाग– 2 में विभागवार या जिन योजनाओं के हिसाब से आपने जो प्राविधान किये हैं उनका जिक्र करने का कार्य किया है । भाग–1 में सामान्य चर्चा और बजट का एक परिचय रखने का काम किया है । मोटे तौर पर इस बजट में जो अनुमान है .....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय डंग जी आप इतने बड़े व्यक्तित्व के सदस्य हैं आप ही अगर खड़े होंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जितनी भी मित्रों की टिप्पणियां हैं यह मेरे लिये प्रशंसा का कार्य कर रही हैं । मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस सदन में अपनी क्षमता के कारण नहीं जाना जाता हूं । इस सदन में मैं अपने मित्रों के स्नेह के कारण जाना जाता हूं इसका दंभ करने की आवश्यकता नहीं है इसका दंभ जिनके हिस्से में है उनको दम्भ नहीं करना चाहिये । सरकार की नीतियों से जुड़ी कोई बात कही जाती है सार्वजनिक सभाओं का जिक्र करना मुनासिब नहीं है । जिस तरह से सरकारी खेमे में शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम लोग भी झेल रहे हैं प्रदेश की जनता झेल रही है मुख्य मंत्री जी आपके साथ आपके पीछे बैठे हैं वह भयाक्रान्त रहते हैं वह भय की वजह से कुछ नहीं कह पाते हैं । आपने जो बजट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में शब्दों का इस्तेमाल किया है लगता है कि कोई बड़ी योजना आ गई है उसको आप लागू कर देंगे तो विकास हो जाएगा । यह सरकार 31 मार्च को ऐसी स्थिति में थी कि वालंटियर डिसक्लोजर स्कीम का पैसा नहीं मिलता तो सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने, वेतन देने की स्थिति में नहीं थी । दिल्ली तो एजेन्सियों में फंसी है विदेशी सरकार की मदद से जो योजनायें चल रही हैं,

(व्यवधान)

जो योजनायें यह विदेशी सरकार की मदद से चलाने वाले हैं जिन पर प्रतिबन्ध है इसमें पैसा आने वाला नहीं है अनुमान में मानकर बजट में लिख दिया है यह बजट झूठ का पुलिन्दा है । आपने अनुमान लगाये हैं उन अनुमानों की मद में धनराशि आने वाली नहीं है बजट का घाटा इतना बढ़ा है, आपकी व्याख्या में कई बातें आएंगी तभी पता लगेगा लेकिन बजट भाषण को पढ़ने के बाद यह जिक्र नहीं आया कि इस घाटे के बढ़ने के बाद क्या करेंगे ? वह अनुमान जिनके आधार पर योजना को पूरा करने की बात लिखी है ऐसी स्थिति में एक बात की चिन्ता से सब सहमत हैं कि यह प्रदेश भयंकर वित्तीय संकट में फंस गया है ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलने की स्थिति नहीं दिखती है । प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है आपके मुख्य मंत्री या उनके पूर्व के मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री पिछले दस वर्षों से यह कहते चले आ रहे हैं कि हमारी स्थिति उड़ीसा बिहार के बाद पूरे प्रदेश में बदतर स्थिति है जब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की चर्चा करते हैं जब प्रति लाख किलोमीटर में सड़कों की लम्बाई का जिक्र करते हैं तब वित्त की कमी का जिक्र करते हैं । जब गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक संख्या के प्रतिशत का जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति उड़ीसा बिहार के बाद नीचे से तीसरी आती है मैं यह नहीं कहता कि आपके शपथ लेने के बाद यह सिलसिला शुरू हो गया है यह मतलब यही है कि सचमुच बजट को मौलिक करने का प्रयास करेंगे ।

आपके बजट भाषण में और इसके पूर्व इस सदन में श्वेत-पत्र इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति के संबंध में रखे गये इसकी गम्भीरता से आपको सरोकार रहा होता तो औपचारिकता के तौर पर यह वाक्य जोड़ने का काम नहीं किया गया होता और स्थिति वास्तव में जितनी गम्भीर है उसका जिक्र किया जाता । जितनी गम्भीर स्थिति का जिक्र श्वेत पत्र में किया गया था उससे ज्यादा आज खराब स्थिति है । पिछली बार जब बजट रखा गया था उस वक्त आप साझीदार थे उसमें 50 फीसदी आपकी हिस्सेदारी थी । तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो बजट रखा गया था उसमें विकास दर इस प्रदेश के लिये कितनी अनुमानित थी और कितनी विकास दर है इन दोनों आंकड़ों को देखने पर लगता है कि अनुमानित विकास दर 6 प्रतिशत थी । पिछली बार तीन महीने की आपकी साझेदारी को छोड़कर, तीन महीने आप 50 फीसदी के साझीदार थे 9 महीने 16 आना आपकी जिम्मेदारी थी । इस समय विकास दर 6 प्रतिशत के स्थान पर गिर कर 2.7 प्रतिशत या 2.9 प्रतिशत के करीब है । विकास दर आपके अनुमान से आधे पर रही । ऐसी स्थिति में जो बजट आपने इस सदन के सम्मुख रखा है । इस बात के लिये विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि आने वाले दिन उससे बदतर नहीं होंगे । खर्च आपका निरन्तर बढ़ता जा रहा है । मैंने पूरी तरह से इसको देखने का काम किया है । एक वाक्य इसमें ऐसा नहीं है जिससे यह परिलक्षित होता हो कि आयोजनेत्तर व्यय को कम करने की आपको गम्भीर चिन्ता है या इसके लिये प्रयास करना चाहते हैं ।

प्रदेश की जनता की साक्षरता 41 प्रतिशत है इस प्रदेश की जनता बजट की इन बारीकियों को नहीं समझ सकती है । या तो ऐसा होता कि आप अपना ऐसा आचरण प्रस्तुत करते जिससे गांव में बैठा हुआ व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि उसकी सराहना करता या आपके आचरण को देखर आश्वस्त होता । खर्च कम करने के लिये मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में एक वाक्य भी नहीं कहा जिससे लगता कि आप वास्तव में खर्च कम करने का प्रयास करने जा रहे हैं । इस मंत्रिमंडल की गाड़ियों पर कितना खर्च

हो रहा है ? कितना टेलीफोन पर खर्च हो रहा है, कितना उनकी जेबखर्ची पर खर्च हो रहा है, उनके पीछे चलने वाले वाहनों पर कितना खर्च हो रहा है उसके आंकड़े आपके पास हैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। जब आप जिक्र कर रहे हैं कि यह प्रदेश ऋण के जाल में फंस गया है।

श्री अधिष्ठाता–

आपको बोलते 20 मिनट हो गये हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप जितना समय देंगे उतने समय में मैं अपनी बात रखूंगा।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमरमणि त्रिपाठी)–

श्री चौधरी जी तथ्य रखें या कोरम पूरा करने के लिये बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी आप सीधे-सीधे बात न कीजिये, पीठ को सम्बोधित करते हुए अपनी बात कहें। मैंने सामान्य रूप से यह बात कही है कि पार्टी के जो नेतागण हैं उनके लिये 20 मिनट का समय निर्धारित है। नेता विरोधी दल और नेता सदन के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, आप जो समय सीमा निर्धारित करेंगे उसमें मैं अपनी बात कहूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने मित्रों को बहुत दिनों से जानता हूं खासतौर से अपने उन सदस्यों को जो किन्हीं जरूरतों के तहत अदला-बदली में चले गये हैं, उनकी जो टिप्पणियां आ सकती हैं उनसे भिज्ञ हूं। रोज मंत्रियों को लेकर सफाई देने की नौबत आती है उससे भी भिज्ञ हूं। मैं अलग से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इस बजट भाषण में बड़े अच्छे-अच्छे, रोचक शब्द रखे गये हैं। जैसे "रोजगार छतरी योजना" ऐसा लगता है कि उसके नीचे खड़े होने से रोजगार मिल जायेगा। रोजगार का कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्राविधान नहीं है, कोई योजना नहीं है लेकिन नाम बहुत खूबसूरत है। इसमें कहा गया है कि "अधिकतम हाथों द्वारा अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम उत्पादन"। आप अपने उत्पादन को देख लीजिये, जब से आप आये हैं विद्युत उत्पादन को देख लीजिये। यह कहा गया है कि अपराधियों पर कहर बनकर टूट पड़ी वरना मैं तुम पर कहर बनकर टूट पड़ूंगा। नतीजा यह निकला कि विधान सभा में जहां बैठकर के हम चर्चा कर रहे हैं इससे 50 गज की दूरी पर ऐसे-ऐसे अपराध हुए जहां प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) यह कहने के लिये बाध्य हो गये कि हमारी राजधानी माफियाओं की शरणस्थली हो गयी है। कहर बनकर टूट पड़ो के दम्भपूर्ण दावों के साथ मैंने एक जगह देखा कि मुख्य मंत्री जी के चित्र के साथ अंकित था कि "शकृति के बिना बड़े शब्दों का कोई अर्थ नहीं है"। जो आप कहते हैं और करते हैं उसमें अन्तर ही नहीं परस्पर इतना विरोधाभास है कि आप कहते हैं कि पूर्व तो सीधे-सीधे आचरण होता है पश्चिम। इकोरेस्टोरेशन एण्ड डेवलपमेण्ट आफ हिल एरियाज की बात कही गयी है, बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। सुदृढ़ डिलीवरी सिस्टम और कड़ा वित्तीय सिस्टम, बड़े आकर्षिक शब्द हैं। नया कहने के क्रम में नई कार्य संस्कृति, नई कार्य संस्कृति हो तो कोई एतराज नहीं है, नई सेवा भावना की बात कही गयी है। डिफरेन्ट ब्राण्ड हैं, कभी कोई बिक रहा है कभी कोई। जैसे रिन है तो कभी न्यू, कभी सुपर फिर कोई नया शब्द जोड़ दिया जायेगा।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर)

अपने लिये चुल्लू भर पानी और प्रदेश की जनता के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करना आपका संवैधानिक दायित्व है। आपने बजट भाषण में लिखा है "हमारी सरकार ने जन सेवा के क्षेत्र में एक नये

चिन्तन, नई प्रतिबद्धता, नये संकल्प, नई कार्य-संस्कृति, नई सेवा भावना, नये दायित्व बोध तथा नई विकास नीति की स्पष्ट दिशा निर्धारित की है । सभी कुछ नये की बात कही गयी है । आप तो राजनीति में इतने दिनों से हैं, जब आये होंगे तो सेवा भावना लेकर ही आये होंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है, लेकिन उसका भी माडल आपने रिनीवल कर दिया, अपने नये साथियों के साथ, नये प्रकार के मित्रों के साथ, निश्चित रूप से आपको नई सेवा भावना रखनी पड़ेगी । क्योंकि कब तक आप दूसरे लोगों के साथ सेवा करते थे, अब नये लोगों का साथ हो गया है । यह सारे ही शब्द जो ऊपर इस्तेमाल किये गये हैं, यह नये जरूर हैं, सबके साथ नया जोड़ दिया गया है । मैं आपके पिछले भाषण देख रहा था, जब आप इस तरफ खड़े होकर सरकार की आलोचना इस सदन में किया करते थे, तब आप कहते थे कि विकास के कौन-कौन से कारक हैं और उन मुख्य कारकों पर सरकार का मुख्य जोर होना चाहिये । सुदृढ़ योजना हो, अच्छी योजना हो और उसको लागू करने वाले जो दूसरे कारक हैं, वह भी सहयोग करें तब विकास का कार्य हो सकता है । मेरा तो यह मानना है कि विकास के कार्य को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिये ।

इसी तरह एक शब्द इस्तेमाल किया गया "किसानोन्मुखी बजट" मैं इस पूरे बजट में सिंचाई के नये प्रस्ताव ढूढ़ता रह गया, लेकिन कहीं नहीं मिला । कहीं भी एक भी नई सिंचाई योजना का जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है । जहां तक किसान को बीज और खाद देने का मामला है, मैं आग्रह करूंगा कि आप पिछली सरकारों के आंकड़ों से अपने आंकड़ों का मिलान करके देख लें । कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कितना बीज और खाद का वितरण किया और आपने कितना किया है ।

मान्यवर, मैं अपने जनपद तथा मंडल की बात आपके समक्ष बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि वहां बीज का अभाव है और पिछले 5 वर्षों में जितना बीज और खाद का वितरण वहां किया गया, उसका आधा भी इस वर्ष बीज और खाद वहां उपलब्ध नहीं हो पाया है । आपको इन सवालों का जबाव देना पड़ेगा । अगर बीज की उपलब्धता घट जाती है, बीज नहीं दे पा रहे हैं, खाद नहीं दे पा रहे हैं, कारण जो भी हो, उपाय नहीं करते हैं तो बजट खूबसूरत लिख देने से, अच्छे शब्दों को रख देने से समस्या का हल नहीं होता ।

अब है "भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और जनता की सरकार जनता के द्वारा" । इसको पढ़कर ऐसा लगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कोई नेक चीज करने जा रहे हैं जिससे जनता का भला हो जायेगा । मैंने पढ़ा जनता की सरकार जनता के द्वारा यह पृष्ठ संख्या 13 पर है । आप इसको पढ़ लें और चलें जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिये । जिस सोमवार को मुख्य मंत्री जी मौजूद रहेंगे । राजधानी में, उस दिन 2 घंटे जनता से मिलने की कृपा करेंगे । बड़ी कृपा हो जायेगी, साधारण जन सीधे अगर इनसे मिल लेंगे तो जनता का काम हो जायेगा, बड़ा क्रान्तिकारी कदम है । मैं बताना चाहता हूं कि इससे पूर्व जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे और दूसरे लोग थे, नाम नहीं लूंगा, अन्य मुख्य मंत्रियों ने भी जनता से मिलने का उनकी समस्याओं को सुनने का काम और मौके पर अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के निस्तारण का काम किया है । तो यह जनता की सरकार जनता के द्वार पर चली जायेगी । मैं इसका जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि अगर कुछ नया लेकर आये होते तो कोई बात होती ।

श्री अधिष्ठाता–

कनक्लूड करिये ।

(मा० मंत्री द्वारा टोकाटाकी करने पर)

अगर माननीय मंत्री जी टोकाटाकी करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

सहकारिता के मामले में अपने बजट भाषण में चर्चा करने का काम माननीय मुख्य मंत्री ने किया है। मुझे आश्चर्य होता है । माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ एक दो लोग सहकारिता के जानकार है दम्भ भरने वाले तो तमाम लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सहकारिता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं । श्रीमन्, पूरी तरह से सहकारिता से जुड़ी हुई जितनी संस्थायें हैं उनको कमजोर करने का, कानून बनाकर प्रशासनिक दखलन्दाजी कर जगह जगह प्रशासक बैठाकर और अन्य दूसरी तरह से इन संस्थाओं को तोड़ने, कमजोर करने का काम अपने आचरण से जो सरकार कर रही है । इसी तरह से सहकारिता के बारे में उल्लेख है । आप कृपया बैठें मैं आपकी उपलब्धियों का ही जिक्र कर रहा हूं । शब्दों के मामले में मैं आपको बधाई देना चाहूंगा जहां गड़बड़ी की बात है, वहां शब्दों और वाक्यों के गठन से आपने उसको ढग देने का काम किया है । शब्दाडम्बर के लिये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा । ऊर्जा के बजट में जो प्राविधान किया है, नयी पारियोजना का जिक्र नहीं है, हाईडिल की परियोजना है एक हजार करोड़ रु० की परियोजना है जिसका जिक्र है/औद्योगिक विकास प्रदेश का क्यों नहीं हो सका है ? इसको क्यों नहीं देखा जा रहा है कि विद्युत उपयोग प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट कम क्यों आ रहा है क्योंकि उद्योग हैं नहीं ? 8वीं योजना में एक भी तापीय परियोजना की स्वीकृति नहीं मिली, 9वीं योजना में भी स्वीकृत नहीं है । पांच वर्ष से कम समय में कोई विद्युत तापीय परियोजना पूरी नहीं हो सकती है । अतः 9वीं योजना में बिजली के मामले में स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है औद्योगिक विकास की जो बात है नारे जितने लगाये जायें उसका प्रश्न ही नहीं उठता । मूल ढांचे को मजबूत करने की जो बात आपने कही है इस प्रदेश में दो तरह की स्थिति हैं क्षेत्रीय असंतुलन है बुन्देलखण्ड में, पूर्वांचल में, उत्तरांचल में कोई उद्योग नहीं है उद्योग जहां लगे हैं वह क्षेत्र सीमित है । उद्योगपति इस प्रदेश में आने को तैयार नहीं है, अपराध बढ़े हैं उसका सबसे बड़ा शिकार उद्योगपति हो रहा है और वह उद्योग है अपहरण उद्योग । अपहरण के अपराध, बलात्कार के अपराध, दलितों के साथ घटित होने वाली घटनायें इन सबसे अलग प्रदेश के चरमोत्कर्ष पर अपहरण की घटनायें हैं जिससे डर कर प्रदेश में उद्योगपति नहीं आना चाहते हैं चारों तरफ माहौल इतने आतंक का है कि कभी उद्योगपति का अपहरण हो जायेगा कभी उनके बच्चे का हो जायेगा वह धन जो उद्योग में लगाना चाहता है उसका बड़ा भाग फिरौती के रूप में लगाना पड़ रहा है । इस स्थिति से निपटने में सरकार पूरी तरह से अक्षम प्रतीत हो रही है । अगर इस प्रदेश में औद्योगीकरण हो जायेगा, उद्योग खुल जायेंगे तो लोगों को रोजगार मिल जायेगा ।

आर्थिक स्थिति की जो स्थिति है, गरीबी बढ़ रही है, क्रय शक्ति की जो बात है, स्थिति भिन्न है, मुद्रास्फीति का प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर है । रुपये के मूल्य का अवमूल्यन हो जाने से बाहरी जो कर्जा है उसका स्वरूप कितना बढ़ गया है उनके आंकड़ों को यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है । नयी संस्कृति इन चीजों के बारे में जो शब्द रचे गये हैं, वह देखने वाले हैं ।

सड़क और परिवहन की जहां तक बात है, उसकी क्या स्थिति है । मान्यवर, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही गई है, यह ठीक वैसे ही है, जैसा इनके भयमुक्त समाज की बात है । कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं ? केवल कागजों पर हुई हैं । श्री अमरमणि त्रिपाठी जी माननीय मुख्य मंत्री जी की और से सामूहिक उत्तरदायित्व के नाते उत्तर दे रहे हों तो बहुत अच्छी बात है । कोई तो मंत्री ईमानदार निकला । परिवहन की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो गई है । श्री राजधारी सिंह की निष्ठा कहीं संदग्धि न हो जाय, इसलिये वह शिकायत नहीं करते होंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी आप आंकड़े निकलवा लें, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज बलिया से लखनऊ की जो बसें आती हैं रात्रि में प्रतिदिन दो बसें औसतन रास्ते में खराब हो जाती हैं । इसकी आप जांच करवा लें ।

कला व संस्कृति की बात इसमें कही गई है । इस प्रदेश के कवियों, कलाकारों को माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने "यश भारती" पुरस्कार देकर सम्मानित किया था । श्री अमरमणि जी जैसे कलाकारों को यह सम्मान नहीं मिल पाया ।

श्री अधिष्ठाता–

घड़ी की तरफ भी आप देखें । हमारी विवशता का भी ध्यान रखें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

एक सर्कस का कलाकार एक जगह से छलांग लगाकर ठीक दूसरी जगह पर वहीं पर छलांग लगाता है परन्तु आपके साथ कुछ कलाकार मंत्री है । मैं कह रहा था कि ऐसे कवियों, कलाकारों के लिये आप प्राविधान करें । उनके उत्साहवर्धन के लिये जो योजना हमने चलायी थी, वह चला सकें तो बहुत अच्छा होगा । व्यापारियों को समर्थन देने का दावा यह करती है । व्यापारियों को दी जानी वाली सुविधा का एक चैप्टर है । जिन व्यापारियों की चुंगी समाप्त कर दी गई थी, 3/7 समाप्त कर दिया गया था, इन्सपेक्टर राज समाप्त कर दिया गया था, बिक्रीकर की जगह पर व्यापार कर के सरलीकरण की बात कही गई थी, इन रियायतों से अगर और एक कदम आगे और बढ़ते, तो बहुत अच्छा होता परन्तु इस प्रकार की कोई नई सोच, संकल्प, सेवाभावना इसमें नजर नहीं आयी । इस तरह से शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है । इसके बारे में बड़े दम्भ से इसमें कहा गया है । आपने यह कहा कि हमने नकल बन्द करा दी । यह नकल तो बन्द नहीं हुई लेकिन यह जरूर हुआ कि एक काला कानून इस सदन में ले आये । मैं अपने जनपद की एक बात बताना चाहूंगा । इसका पहला शिकार एक सम्मानित प्राचार्य हैं । उनको धोखे से इस्तेमाल किया गया । तो इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश को अक्षम कराने का काम किया है । पुलिस के डंडे से शिक्षा देने का काम होगा तो क्या होगा ? उन्होंने अपने बजट भाषण में यह कहा कि मेरी सरकार का यह दृढ़ मत है कि शिक्षा का विस्तार किये बिना प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्भव नहीं है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये "सभी के लिये शिक्षा" कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मान्यवर, फीस माफी खत्म हो गयी है । फीस भी बढ़ गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप खत्म करें । हमारी भी विवशता है । अभी और लोगों को बोलना है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं और कोई अन्य बात आपने बजट भाषण में नहीं की है । महिला कल्याण, बाल कल्याण इनके बारे में भी आपने बजट भाषण में बढ़ा चढ़ाकर कहा है । महिला कल्याण के बारे में बड़े दावे किये हैं । 23 ब्लाकों में नयी परियोजनायें शुरू करने का जिक्र किया है । लेकिन कोई कांक्रीट बातें नहीं आयी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । एक मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करें ।

वन मंत्री (श्री रघुवर दयाल वर्मा)–

कोई सार्थक बात तो कहिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जब यह बजट ही सार्थक नहीं है तो मैं क्या सार्थक बात कह सकता हूं । मान्यवर, आपकी लाल बत्ती तीसरी बार न जलने पायेगी, मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, इस प्रदेश की जनता को सचमुच में अपेक्षा थी कि राजनैतिक अस्थिरता के कारण इस प्रदेश का विकास नहीं हुआ । राजनैतिक अस्थिरता के माहौल में जो योजनायें बनती हैं, उनका क्रियान्वयन आगे आने वाली सरकारें नहीं करती

हैं, तो विकास का कार्य रूक जाता है, लेकिन इससे बहुत गम्भीर स्थिति पनप गयी है । आपका जो आश्वासन था, उससे यह अपेक्षा बनी थी कि समरसता आयेगी और प्रदेश दंगों की गिरफ्त में नहीं जायेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया हमारा सहयोग करें । घड़ी की सुई को भी देखें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि पूरी तरह से इस वजट को रखने का काम इस सरकार ने किया है और जब अलग-अलग विभागों के बजट पर चर्चा होगी, तो सारी बातें आयेंगी । मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की थी कि परम्परागत तरीके से इस बजट को यहां पर पेश किया गया है, कुछ आंकड़ों में हेर फेर कर दिया गया है और उसी प्रकार से इसे पेश कर दिया गया है । नई दिशा के साथ इसको पेश किया जाना चाहिये था । इस बजट में जो भी प्राविधान किये गये हैं, वह प्रदेश के विकास में मददगार नहीं होंगे ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं सदन में प्रस्तुत वर्ष 1998-99 के बजट के पक्ष में अपना विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। कम शब्दों में यदि कहा जाये तो यह बजट लोक हितकारी एवं जन कल्याणकारी बजट है । बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से तैयार किया गया है । इस युग के दधीच एवं मानववाद के प्रणेता पंडित दीन दयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने वाला यह बजट है । यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है । मैं इसके लिये उ० प्र० के यशस्वी एवं पराक्रमी माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, प्रदेश के विकास के लिये जिस प्रकार से सांसदों को धन दिया जाता है, उसी प्रकार से यहां प्रदेश में विधायक निधि बनाने की घोषणा की गयी है, जो बहुत ही अच्छी चीज है । इस घोषणा ने सारे विधायकों का मन मोह लिया है । सुश्री मायावती की जब सरकार थी, उस समय भी सभी विधायकों ने यह मांग की थी कि विधायक निधि बनायी जाये, लेकिन वह इसको बनाने की हिम्मत नहीं कर पायीं और केवल 25-25 हैण्ड पम्प देकर रह गयीं और वह हैण्ड पम्प भी आज तक नहीं लग पाये हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी कदम उठाया है, जिसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गरीबों के लिये हर प्रकार की सुख सुविधाओं का प्राविधान किया गया है । यह सरकार गरीबों के लिये बनी है और गरीबों के सुख और दुख को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है । मान्यवर, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है । मान्यवर, इस सरकार ने अपने बजट में 20-20 लाख रुपये से इण्टर कालेजों को खोलने का प्राविधान किया है । पं० दीन दयाल उपाध्याय ने अपनी पुस्तक एकान्त मानवावाद में लिखा है कि जब तक इस देश में रहने वाले अन्तिम व्यक्ति के पैर की बिवाई को भरने का काम नहीं किया जाता है तब तक इस देश की आजादी दिवास्वप्न बनकर रह जायेगी । इस सरकार ने पं० दीन दयाल उपाध्याय के स्वप्नों को साकार करने के लिए 5, 10, 15 रुपये प्रतिदिन देकर मकानों को देने का प्राविधान बजट में किया है । यह कदम अत्यन्त प्रशंसनीय है ।

मान्यवर, मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को उन्होंने गरीबों को रोजगार देने के लिए, नई-नई योजनायें बनाये के लिए बजट में प्राविधान किया है । इसलिये इस सरकार के बजट की जितनी प्रशंसा की जाये वह कम है । विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि यह ऐसा बजट है जो गरीब और बेरोजगार युवाओं के लिए, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये लाभ हेतु बनाया गया है ।

* श्री विद्या सागर गुप्त–

मा० अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे सामने बैठे सदस्य ने कहा था कि इस बजट में कोई नई बात नहीं है । मैं केवल दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस बजट के माध्यम से व्यापार बन्धु का गठन किया गया है । मुख्य मंत्री जी ने दिखा दिया है कि प्रदेश में 2 लाख रुपये वर्ग के व्यापारियों की सहायता के लिए हर महीने लखनऊ नगर में बैठक की जायेगी और उसमें व्यापारियों की कठिनाइयों को दूर किया जायेगा ।

मान्यवर, इस बजट में दूसरी नई चीज यह की गयी है कि 50-50 लाख रुपये प्रत्येक विधायक को क्षेत्रीय विकास हेतु देकर एक नया पहलू शुरू किया गया है । इस 50 लाख रुपये की धनराशि से हर क्षेत्र और हर शहर का विकास होगा । मान्यवर, बजट के पृष्ठ संख्या 15 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि 10-10 साल पुरानी बिजली की दो इकाइयों को जो बन्द पड़ी थीं उनको चालू करने का काम इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है । इससे उद्योगों में वृद्धि होगी। इन सारे कार्यों के लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट पेश करके एक मिसाल कायम की है ।

*श्री राजधारी–

मा० अधिष्ठाता महोदय, जो नेता सदन की तरफ से बजट रखा गया है उसके समर्थन में मुझे आपने बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया, श्री कल्याण सिंह ने स्थानीय निकायों, शहरी निकायों और ग्रामीण निकायों को 11 प्रतिशत बजट की धनराशि देकर उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का जो निर्णय लिया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं ।

मान्यवर, रजिस्ट्रीकरण में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसे समाप्त करने हेतु बिना स्टैम्प फीस के दस्तावेजों को उसी दिन उपलब्ध कराने का निर्णय लेकर सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है । इससे रजिस्ट्रीकरण में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, यह सराहनीय काम सरकार ने किया है ।

मान्यवर, गन्ना किसानों को पहली बार बैंकों से भुगतान करने का सरकार ने जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है और इससे गन्ना मूल्य के भुगतान में धांधली बिचौलियों के माध्यम से जो होती थी वह समाप्त हुई है और इससे गन्ना किसानों को लाभ मिला है ।

(समय 5 बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, पहले जो शिकायत रहती थी किसानों और ग्रामीणों को चाहे वह लेखपाल हो या ब्लाक के अधिकारी हों उनके दर्शन नहीं होते थे । सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना कर, तहसील दिवस की स्थापना करके निश्चित रूप से ग्रामीणों की सेवा की है । अब अधिकारी और कर्मचारी समय से उपस्थित होंगे । यह सरकार का कार्य सराहनीय है । इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की काफी प्रगति होगी । इसलिये हम इस बजट का समर्थन करते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी पिछले दिनों नकल विरोधी अध्यादेश जारी कर शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इससे बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर मिलेगा और साथ ही उनमें अनुशासन की भावना आयेगी, यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य है।

पिछले कई वर्षों से विधायक निधि की स्थापना के लिए पक्ष और विपक्ष से मांग होती रही है। यह व्यवस्था केवल पार्लियामेंट के सांसदों के लिये लागू थी माननीय कल्याण सिंह जी ने इसे विधायकों के लिये लागू कर प्रशंसनीय कार्य किया है। विधायक निधि की स्थापना निश्चय ही सराहनीय कार्य है।

हमें प्रसन्नता है इस बजट में सरकार ने गांवों और किसानों के विकास का संकल्प लिया है और आर्थिक चक्र की धुरी जो हट गयी थी उसे रास्ते पर ला दिया है। माननीय कल्याण सिंह जी के दृढ़ संकल्प से गांवों का विकास होगा, इस बजट से मजदूरों का, उद्योगपतियों का और गरीब किसानों का भला होगा और एक नयी दिशा उनको मिलेगी।

मैं इस बजट का इसलिये भी सराहना करना चाहता हूं कि इस बजट का 70 प्रतिशत परिव्यय ग्रामीण विकास में जायेगा। ग्रामीण विकास चाहे वह डेरी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे सड़कों का काम हो इससे गांवों का विकास होगा।

हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है, यह बजट भी किसानोन्मुखी है, इसमें वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दिया गया है। पहले दैवी आपदाओं के लिये 5 सौ रुपये की सहायता का प्राविधान था उसे बढ़ाकर एक हजार कर दिया गया है यह निश्चय ही प्रशंसनीय है।

मैं इस बजट का इसलिये भी समर्थन करता हूं कि जो पहले किसानों को इंतखाब नहीं मिलते थे आये दिन इसकी शिकायतें होती थीं उसका निदान करने के लिये सरकार ने किसान बही का प्राविधान किया है। हर एक किसान के पास किसान बही होगी, 90 प्रतिशत किसानों को यह मिल चुकी है इससे बैंकों से लोन लेने या किसी की जमानत देने आदि में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

इस बजट में गरीबों के कल्याण का पूरा ध्यान रखा गया है चाहे वह स्वच्छ शौचालयों की स्थापना की बात हो चाहे गंगा कल्याण योजना हो, चाहे रिक्शा चालकों को उसका मालिक बनाने की योजना हो इससे गरीबों का हित होगा। इस तरह की तमाम नयी-नयी योजनायें प्रदेश के गरीबों के हित में लायी गयी हैं, यह बजट गरीबों के हित में है, विद्यार्थियों के हित में है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बजट से प्रदेश का चतुर्मुखी विकास होगा, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी और प्रदेश के लोग अमन चैन की जिन्दगी जियेंगे।

श्री लाल सिंह वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, आज मुझे बजट के संबंध में बोलने के लिये आपने अवसर दिया इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, सम्मानित विपक्ष का कोई माननीय सदस्य नहीं बोल रहा है। काश यह नकल मुक्त परीक्षा वाले होते! (हंसी)

श्री लाल सिंह वर्मा–

मान्यवर, बजट में जो प्राविधान किये गये हैं उनमें से अनेक प्राविधान नये हैं। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है। यह जो 50 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है यह भी एक नया प्राविधान है। इसकी प्रशंसा प्रतिपक्ष के लोगों को करनी चाहिए थी लेकिन केवल अलोचना के लिये आलोचना करने का काम प्रतिपक्ष के लोग करते हैं। सदन में मुझे पहली बार आने का मौका मिला है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

यह परम्परा रही है कि जब पहली बार कोई माननीय सदस्य बोलते हैं तो पूरे माननीय सदस्य उसके साथ सहयोग करते हैं ताकि वह पूरी बात अपनी कह सकें।

श्री लाल सिंह वर्मा–

मान्यवर, जब मैं पहली बार यहां आया और यहां आकर जब मैंने सदन का दृश्य देखा यहां हमने लोगों की गर्जना सुनी, लोगों की तरह तरह-तरह की भाषायें सुनी, तरह-तरह की आवाजें सुनी तो हमको लगा कि यह विधान सभा है या क्या है ? हमने लोगों को तरह-तरह की भाषायें बोलते हुए देखा कोई किसी की आवाज नहीं सुन रहा है, कोई किसी की बात नहीं समझ रहा है, वह दृश्य कई-कई बार देखा। माननीय अध्यक्ष अपने आसन पर बैठे नहीं कि वह दृश्य उपस्थित कर दिये जाते हैं। कुछ लोगों ने ऐसे कामों को बांट रखा है। कुछ प्रतिपक्ष के सदस्य हैं जिनका नाम केवल नारा देने का है। केवल 2-3 नारे उनको याद हैं वह केवल नारा देने का काम करते हैं। आज शायद नारा देने वाले विधायक नहीं हैं। कुछ सदस्य उछल कर वेल में आ जाते हैं और मेजों पर चढ़कर कागज के गोले फेंकने का काम शुरू कर देते हैं। यहां ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको देखकर सर शर्म से झुक जाता है कि यह विधान सभा के सदस्य हैं या कहीं से पकड़ कर लाये गये लोग हैं ? इन सारे दृश्यों की ओर ध्यान जाना चाहिए और ऐसे दृश्य सदन में उपस्थित नहीं होने चाहिए। अधिष्ठाता महोदय आप हमारे जिले के रहने वाले हैं। आप जानते होंगे गांव में एक जानवर शाम को बोलता है। जब वह एक बार बोलता है तो उसको सुनकर बाकी जानवर भी एक साथ बोलने लगते हैं। लगता है कि अब वहां गांव का कोई जानवर नहीं रह गया है विधान सभा में ज्यादा आ गये हैं। इसलिये आप लोग इस पर ध्यान दें कि बार-बार यह बातें न हों। दो-तीन बातें मैं बजट के संबंध में कहना चाहता हूं।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छे प्राविधान किये हैं। लेकिन जो विकास कार्य होते हैं उनकी जांच पड़ताल के लिये कोई ऐसी टेक्निकल एजेन्सी की व्यवस्था की जाय जिससे उनकी जांच पड़ताल हो सके और उनको ठीक किया जा सके। कुछ प्राविधान पुलिस के संबंध में होने चाहिए। मुझसे पुलिस के लोगों ने कहा जो उनको गाड़ी मिलती है उसके लिये मात्र 80 लीटर डीजल मिलता है एक महीने में। एक पुलिस के एस० ओ० को एक महीने में 80 लीटर डीजल मिलेगा तो वह कैसे काम चला पायेगा यह उसके लिये सम्भव नहीं है। पुलिस के लिये ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे उनको आवागमन की सुविधा हो उनको क्षेत्र में जाना होता है, लोगों से मिलने का काम होता है उन्होंने बताया कि मजबूरी में उनको टैम्पो और जीप को पकड़ना पड़ता है तो इसके लिये व्यवस्था की जाय। पुलिस बल को और बढ़ाये जाने की व्यवस्था अधिक से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात जो हमको इस बजट में यह लगी वह यह है कि कार्य इस प्रकार होने लगे जिससे बेईमानी की कोई गुंजाइश न हो। सारा का सारा पैसा विकास कार्य में लगने लगे। भूमि संरक्षण के कार्य में मुझे बताया गया कि कमीशन में 70 प्रतिशत पैसा जाता है। कुछ ऐसी व्यवस्था हो, कुछ ऐसी एजेन्सियां बनें जो इस कार्य को देखें और उनकी गलतियों

को पकड़ें । सारे का सारा पैसा विकास कार्यों में लगे और यह दिखाई दे कि हमारा पैसा उसी कार्य में लग रहा है । इसी के साथ हम क्षमा चाहते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल गये हों तो हमें क्षमा करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे । किसी की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है । हम सब चाहते हैं कि सदन सुचारु रूप से चले । माननीय सदस्य पहली बार चुन कर आये हैं, उनका स्वागत है। लेकिन मैं निवेदन के तौर पर कहना चाहूंगा कि शब्दों के बोलने पर और उच्चारण के समय संयम बरतने की आवश्यकता है । मित्र होने के नाते मैंने यह बात कही है इसका आलोचना से कोई लेना देना नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने उल्लेख किया था कि यह नकलयुक्त परीक्षा का परिणाम है कि लोग बोल नहीं रहे हैं । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी दो दिन पूर्व ही इस वर्ष के आय-व्ययक को इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है और किसी भी सरकार का बजट उस सरकार की नीतियों को दिग्दर्शित करने वाला दस्तावेज होता है । सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और विकास की दिशा में संसाधन जुटाने की संरचना सरकार किस तरह से करेगी और पूरे वर्ष का आय-व्ययक का लेखा जोखा उसमें होता है ? इस संसदीय जीवन का एक छोटा सा सेवक हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी की नीयत पर कोई शक नहीं है । उनका प्रयास भी होगा कि उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में एक नियोजित ढंग से आगे ले जा सकें । आज सुबह उन्होंने कहा था कि विरासत में उन्हें वित्तीय स्थिति कमजोर मिली है जो वित्तीय स्थिति है उसको उन्होंने सदन के अन्दर और बाहर भी जाहिर किया है । एक तरफ जहां उनकी चिन्ता यह है कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और दूसरी तरफ जिस तरह से सरकार की गैर योजनागत खर्चों में व्यय हो रहा है उस दिशा में मैं एक बात कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री जी का प्रयास उसी तरह का है जिस तरह से कोई टू सीटर का विमान हो और उस व्यक्ति के पास ईंधन गंतव्य स्थान तक ले जाने वाला हो लेकिन वह व्यक्ति उस टू सीटर के लिये उपलब्ध ईंधन से किसी जैम्बो जेट को गंतव्य स्थान तक ले जाना चाहता हो ठीक उसी प्रकार की स्थिति का प्रयास माननीय मुख्य मंत्री जी का इस दिशा में है । आज जो उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति है वह छिपी नहीं है । 50 हजार करोड़ का खर्चा है आज वर्षिक आय व्ययक के आधार पर 4700 करोड़ रुपये कर्ज के ब्याज के रूप में चुकाने पड़ रहे हैं । यह राजनीति का विषय नहीं है यह उत्तर प्रदेश के लिये गम्भीर संकट है । यह सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों को चिन्ता होनी चाहिए । हम इस सम्मानित सदन के निर्वाचित सदस्य हैं प्रदेश के जन मानस के प्रति जो हमारी चिन्ता है उसके बारे में सोचना चाहिए । हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, हमारी सोच में अन्तर हो सकता है परन्तु प्रदेश के विकास के लिये हमारी सोच एक होनी चाहिए जिससे प्रदेश समृद्धशाली हो सके । अपने जनप्रतिनिधियों से चाहे वह सत्तापक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों सरकार में बैठे लोग हैं सभी से अपेक्षा होती है कि विकास की कसौटी पर खरे उतरेंगे । बजट में क्षेत्रीय संतुलन का उल्लेख किया है पूर्वांचल निधि के, विकास बुन्देलाण्ड के विकास की बात है उत्तराखण्ड की बात है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास होगा । मुख्य मंत्री जी स्वीकार करते हैं वित्तीय संकट प्रदेश के समक्ष है संसाधनों की कठिनाई है लेकिन इनका जो मंत्रिमण्डल है इस पर एक वर्ष में चार सौ करोड़ रुपये का खर्चा आ रहा है इस खर्चे से दूसरी किसी योजनाओं से कोई संबंध नहीं है । चाहकर भी मुख्य मंत्री जी उत्तर प्रदेश की

किसी नयी योजना का सूत्रपात नहीं कर पाये लेकिन एक अच्छा कार्य इन्होंने किया है इन्होंने सदन के सम्मानित सदस्यों को जिन्हें कहीं नल लगवाने हैं कहीं नाली बनवानी है उसके लिये एक विधायक निधि की स्थापना की है इसके जरिये वह अपने क्षेत्र के लिये कुछ कार्य करवा सकेंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि चार सौ करोड़ रुपया मंत्रिमण्डल के ऊपर खर्चा होगा तो आने वाले दिनों में सरकार के समक्ष क्या स्थिति होगी ? आप किस प्रकार से संसाधनों को बढ़ायेंगे यह नहीं बताया है । संसाधनों को एकत्र करने के लिये क्या किया जायेगा यह नहीं बताया गया है ? सभी जानते हैं शोध संस्थान के जी० पी० मिश्रा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या स्थिति है । इस प्रदेश के लिये हर आर्थिक हमले की स्थिति के लिये इस सरकार की तरफ से टास्क फोर्स नहीं बन पा रही है हम विश्व बैंक पर निर्भर कर रहे हैं । पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों पर वित्तीय संकट के कारण लागू नहीं किया जा रहा था अब पांचवें वेतन आयोग को शिक्षकों पर लागू कर दिया गया लेकिन निगम स्वायत्तशासी संस्थायें जो हैं उन पर पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश को, किसानों को आगे बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दो आधारभूत ढांचे होते हैं सिंचाई और विद्युत उत्पादन, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिये कुछ नहीं किया गया है तो किसी भी विकास की अपेक्षा करना बेकार है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् घाटे में चल रहा है । राज्य विद्युत परिषद् एन० टी० पी० सी० और एल० पी० सी० दोनों से विद्युत न ले तो मानक के अनुसार आपूर्ति नहीं कर सकते हैं । करीब पांच हजार ट्रांसफार्मर जले होंगे लेकिन चाहकर भी सरकार राज्य विद्युत परिषद् को पैसा नहीं दे पा रही है । सिंचाई के लिए किसी परियोजना का जिक्र नहीं किया गया है यह अपने में एक गम्भीर संकट है सिंचाई की परियोजना शुरू नहीं की जायेगी, उत्तर प्रदेश के लिये पावर हाउस का निर्माण नहीं किया जायेगा, तो विद्युत की मांग जिस तरह से बढ़ रही है। उससे निश्चित रूप से आज विद्युत की व्यवस्था पूरे प्रदेश में दयनीय है । टिहरी प्रोजेक्ट के लिये जितने धन की आवश्यकता होगी उसके लिये माननीय मंत्री जी विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से बात करने जा रहे हैं । आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू परियोजना के लिये आप कितना पैसा देते हैं । कभी 30 करोड़, कभी 40 करोड़ कभी 100 करोड़ रुपये । इससे सिंचाई परियोजनाएं कैसे पूरी होंगी और कैसे खेतों तक पानी पहुंच सकता है । आज हम गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के लिये 70 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। आज हम नई सड़क बनाने की स्थिति में नहीं हैं । जो सड़कों की गुणवत्ता होनी चाहिए, नहरों की गुणवत्ता होनी चाहिए वैसी गुणवत्ता नहीं है । आज गुणवत्ता में गिरावट आ रही है । जिसके खिलाफ जांच होती है तो जांच करने वाला अधिकारी खुद ही भ्रष्ट होता है । नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

पाल साहब समय का ध्यान रखें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, आज भी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का मिलों पर 268.78 लाख रुपया बकाया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों पर किसी पर 13 करोड़ रुपये, किसी पर 14 करोड़ रुपये किसी पर 4 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है । इन चीनी मिलों ने पिछले दो सालों से पेमेंट नहीं किया है । उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री जी कहते हैं हमने 92 प्रतिशत भुगतान कर दिया है । आज पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां किसानों के पास छोटे-छोटे खेत हैं किसी का दो हजार रुपया बाकी है किसी का एक हजार

रुपया बाकी है । उनको खेत में खाद, बीज डालने के लिये सहकारिता से लोन लेना पड़ता है । उनके खिलाफ आर० सी० जारी हो रही है । किसी के घर में बारात आ रही है लेकिन उसको लाक अप में बन्द किया जा रहा है । आज तमाम चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है । एक भी चीनी मिल के खिलाफ आर० सी० जारी नहीं हुई है । खलीलाबाद चीनी मिल ने पिछले दो सालों से भुगतान नहीं किया है । सरदारनगर, कप्तानगंज, घुघली, बस्ती, वाल्टरगंज चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों-करोड़ रुपया बकाया है उसका भुगतान नहीं हो पाया है । माननीय गन्ना मंत्री जी ने कहा था कि अगर 15 दिन के अन्दर मिलें भुगतान नहीं करेंगी तो ब्याज सहित भुगतान होगा, आज ब्याज की कौन कहे, एक साल पूर्व गन्ना दे रखा है और अभी भुगतान नहीं हो रहा है, कुछ दिनों बाद अगला पेराई सत्र प्रारम्भ हो जायेगा । इस सरकार द्वारा मिल मालिकों के विरुद्ध एक भी आर० सी० जारी करने का काम नहीं किया गया तो किसी मिल-मालिक को गिरफ्तार करने की बात कैसे हो सकती है ? एक-डेढ़ महीने में महंगाई बढ़ी है लोगों की क्रय-शक्ति क्षीण हो गयी है । कड़ुआ तेल जो 34 रुपये किलो था वह आज 50 रुपये किलो बिक रहा है । डालडा 50/- किलो बिक रहा है। हल्दी, मिर्च सब महंगे हो गये हैं । टमाटर 32 रुपये किलो बिक रहा है । प्याज 14 रुपये किलो, आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है । आज किसी गरीब की इतनी क्रय शक्ति नहीं है कि वह आलू खरीद सके । मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, आप प्रदेश की ग्रामीण जनता की सेवा करने को प्रतिबद्ध और समर्पण भाव से कार्य करते हैं । आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन्दिरा आवास की धनराशि बढ़ा दिया है और वह 20 हजार रुपया कर दिया है । लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी जनपद हो, कोई विकास खण्ड हो जहां इन्दिरा आवास के लाभार्थी से 5 हजार रुपया न लिया जा रहा हो, 5 हजार रुपया कमीशन देने के बाद ही उसे आवास मिलता है । यदि कोई माननीय सदस्य मुझे यह बताता है कि किसी विकास खण्ड में नहीं लिया जा रहा है तो मैं उस बी० डी० ओ० और जिलाधिकारी को साधुवाद करूंगा । मान्यवर, यहां मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं । यह सच्चाई है । मैं अपने मण्डल की बात कर रहा हूं वहां पर बिना पैसा दिये उसको इन्दिरा आवास नहीं मिलता है। सरकार ईमानदारी की बात करती है । मैंने अपने कलेक्टर से कहा है कि बस्ती जनपद में इन्दिरा आवास का 5 हजार रुपये का कमीशन बन्द करा दीजिए तो मैं मानूंगा कि पूरे प्रदेश में ईमानदारी हो रही है । एक ब्लाक में इन्दिरा आवास के 100-100 आवास जा रहे हैं, अगर कमीशन बन्द नहीं होगा तो जितनी निष्ठा से आप सेवा करना चाह रहे हैं लोगों में यह होगा कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है । मान्यवर, मेरे मण्डल की जांच करा लीजिए अगर यह बात गलत हो तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा । डी० आर० डी० ए०, सुनिश्चित रोजगार योजना, 10 लाख कूप योजना में पैसा लिया जा रहा है । डी० आर० डी० ए० भ्रष्टाचार की जननी बन रही है । इम्पलायमेंट जनरेशन की बात बजट में कही गयी है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है । पूरे प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है । जनपद के 12–14 करोड़ का बजट 4-6-10 ठेकेदारों की जेब में जा रहा है।

(डा० राम बाबू हरित के बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपस में बात न करें । कोई बात कहनी हो तो आप पीठ को सम्बोधित करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं बहुत बहूमल्य सुझावे दे रहा हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी इसे नोट भी कर रहे हैं, वह इसका निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे और गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही करने का प्रयास भी करेंगे। पी० एल० ए० की बात हुई है, काफी समय से इसमें पैसा पड़ा हुआ है।

अधिष्ठाता–

पाल साहब समय काफी हो चुका है, समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

ठीक है मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं आपका बहुत आभारी हूं, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया।

* श्री रूप चौधरी–

मान्यवर, आपने मुझे सामान्य बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं इस कल्याणकारी बजट के लिये प्रदेश के लोकप्रिय एवं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने नाम के अनुरूप यह बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित ही यह बजट प्रदेश की जनता के लिये कल्याणकारी साबित होगा। मान्यवर, इस बजट से चहुमुखी विकास होगा, लाखों किसान परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। पहली बार इस प्रदेश में ही नहीं, अपितु पूरे देश में इस तरह का प्राविधान किया गया है, जब 70 प्रतिशत हिस्सा किसानों के विकास के लिये रखा गया है। मैं आपके माध्यम से इस बात के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं, क्योंकि मैं स्वयं किसान परिवार से हूं। किसानों में इस घोषणा के बाद से बहुत हर्ष की लहर है, गांव के लोग इससे अत्यन्त प्रसन्न हैं। मान्यवर, इस बजट से उत्तर प्रदेश के लोगों में आशा की किरण जगी है, नई उद्योग नीति, सिंगल विन्डो सिस्टम आदि की जो घोषणा की गयी है, उससे प्रदेश के विकास के लिये यह वरदान साबित होगा और इससे उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग और बड़े उद्योगों के लिये सहायक सिद्ध होगा।

मान्यवर, व्यापारी बन्धुओं के लिये व्यापार बन्धु का गठन एक सराहनीय कदम है। इस बजट से युवाओं और बेरोजगारों के उज्जवल भविष्य की किरण दिखाई पड़ी है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिये जो प्रयास किये गये हैं, वह भी सराहनीय हैं। पिछले दिनों इस प्रदेश के ऊपर जो अराजकता तथा आतंक का कलंक था, निश्चय ही इससे वह कलंक मिट जायेगा। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिये विशेष राशन कार्ड योजना बनाना भी एक सराहनीय कदम है। इसी तरह रिक्शा चालकों के स्वयं के लिये रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना जो शुरू की जा रही है, वह भी प्रशंसनीय कदम है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले बुनकर, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, चर्मकार, हस्तशिल्पी आदि क्षेत्रों में काम करने वाले गरीब लोग, जिनकी तरफ अभी तक किसी सरकार ने विचार नहीं किया था, उनको सुविधायें प्रदान करने का, उनके दर्द को समझने के लिये विकास परिषद् की स्थापना भी एक क्रान्तिकारी कदम है। इसी प्रकार कन्या इण्टर कालेजों के लिये प्रत्येक विकास खण्डों में 10 लाख की राशि बढ़ाकर 20 लाख किया जाना भी एक प्रशंसनीय कदम है। क्योंकि यदि कन्याओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है तो कन्या की शिक्षा से एक परिवार को नहीं, अपितु दो परिवारों को लाभ होता है।

अभी तक यह कहा जाता था कि यह सरकार सम्प्रदाय विशेष का ख्याल रखती है, लेकिन इस सरकार ने 317 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके वाकई प्रशंसनीय काम किया है। इसी प्रकार

उत्तर प्रदेश के नाटककारों, खिलाड़ियों, पत्रकारों, कवियों, साहित्यकारों को सम्मान प्रदान करने की जो योजना बनाई गयी है, पत्रकार होने के नाते मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर मुख्य मंत्री जी ने उनके प्रति जो श्रद्धा प्रकट की है, वह भी एक प्रशंसनीय कार्य किया है।

मैं अन्त में एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं इस समय दिल्ली राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से छोटे-बड़े 32 हजार उद्योग धन्धे हटाये जा रहे हैं। मेरा विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा जो दिल्ली के ही निकट है, में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है, यदि वहां त्वरित गति से विकास कार्य किया जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जो उद्योग धन्धे दिल्ली से हटाये जा रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। इसके लिये बजट में विशेष प्राविधान किया जाय, इससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धों की विशेष कड़ी प्रारम्भ होगी और उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को, युवकों को रोजगार मिलेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपको पुनः बहुत -बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में सबसे ज्यादा उपेक्षा किसानों की की गयी है यह कहा गया है और सच भी है कि हमारे प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी भी किसान हैं, किसान परिवार से आये हैं लेकिन इस बजट में जो उन्होंने शब्दों के शब्द जाल से किसानों को बेवकूफ बनाया है इस पर ध्यान देना जरूरी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में प्राविधान किया है कि किसानों को उन्नत बीज और जानकारी दी जायेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी अवगत होंगे कि आजादी के बाद किसान इतना जागरूक हो गया है कि उसको जानकारियां हो जाती हैं कि उन्नत बीज क्या है ? सवाल यह है कि उन्नत बीज कहां से मिलेगा इसके लिये प्राविधान नहीं किया गया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से आता हूं, वहां कोई भी फार्म आदि नहीं हैं जहां से बीज उत्पादन कर सकें और वहां से किसान बीज ले सके। मान्यवर, हम मजबूर होते हैं व्यापारियों से बीज लेने के लिए। जौनपुर में थर्ड क्लास का बीज मिलता है जिससे उत्पादन प्रभावित होता है और जो छोटे किसान हैं उनका जीवन गुजर नहीं हो पाता है। मान्यवर, खाद पर व्यापार कर समाप्त करने की बात कही गयी है लेकिन खाद में जो मिलावट की जा रही है उसका क्या होगा ? किसान मजबूर है व्यापारियों के यहां से खाद लेने पर, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कृषि विभाग ने खाद का वितरण बन्द कर दिया है, खाद का वितरण सहकारिता विभाग के माध्यम से होता है मान्यवर, खाद मिलावट युक्त मिल रही है और प्रदेश का व्यापारी खाद का माफिया बनकर किसानों का शोषण कर रहा है। खाद डालने के बाद जो उपज आती है उस पर उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, यह कहा गया कि दैवी आपदा राशि बढ़ाई गयी है, यह नहीं कहा गया है कि किसानों की फसल सुरक्षा योजना लागू की जायेगी, इस पर क्या प्राविधान किया जायेगा इस पर कुछ नहीं कहा गया है, इसे बताने की कृपा करें।

(इस समय 6 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री जगदीश नरायण 'मुन्ना'–

विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालात बहुत ही दयनीय है बैंकों से किसानों को ऋण नहीं मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान मैं इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सिंचाई क्षमता की बात कही गयी है। पूरब में नहरें कम हैं पानी खारा बेल्ट है, लघु सिंचाई क्षमता वाली कुछ योजनायें वहां लगायी

सरकार इतनी संवेदनशील है कि इस पर ध्यान नहीं जा रहा है उससे एक हजार डेढ़ हजार एकड़ की सिंचाई हो सकती है न वहां ट्यूबवेल हैं। किसान जो कृषि उत्पाद करते हैं वह बेचे कहां ? किसान जो पैदा करते हैं व्यापारी उसका भाव तय करते हैं जिससे उनको लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है सरकार उसमें उचित व्यवस्था करे एक समान नीति निर्धारित करे जो किसान उत्पादन करे, व्यय करे उसका मूल्य उसे अवश्य मिले इससे करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। बाहरी वस्तुओं को आप प्रतिबन्धित करायें। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने पेप्सी कोला को प्रतिबन्धित किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। किसानों को फलों के उत्पादन और उनके संरक्षणों में विशेष प्रोत्साहन की आवश्यकता है, उनका रस निकाल कर अच्छा वितरण किया जा सकता है। इसके लिए फल संरक्षण और फलों के विकास के लिए मुख्य मंत्री जी इस बजट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। मैं इस बजट को किसान विरोधी मानता हूं इसका मैं विरोध करता हूं माननीय अध्यक्ष जी जो आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं।

* श्री नबाब सिंह नागर–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए जो आम बजट प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। वास्तव में इस प्रकार का बजट है कि जो हमारे विपक्षी सदस्य हैं जो इस पर अभी तक बोले हैं माननीय अम्बिका चौधरी जी माननीय जगदम्बिका पाल जी अच्छे वक्ता हैं, इसके बावजूद वे कोई मजबूत आलोचना इसकी नहीं कर पाये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें एक ऐतिहासिक प्रस्ताव विधायक निधि किया है, उसकी चर्चा इसमें आयी है मन से हमारे विपक्षी सदस्य इसकी प्रशंसा में इजहार करना चाहते हैं लेकिन कतिपय राजनैतिक कारणों से वह नहीं कर पाये हैं। माननीया मुख्य मंत्री के रूप में जब मायावती जी यहां पदारूढ़ थीं तो उस समय विपक्ष ने लगातर 5 दिन तक विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की थी उस समय की भावनाओं को देखते हुए तो यही लग रहा था कि यदि 25 लाख का ही प्राविजन हो जाय तो विधायक छोटे-मोटे काम अपने क्षेत्र में करा सकते हैं। मान्यवर, आज जो यह 50 लाख रु० की व्यवस्था मुख्य मंत्री जी ने की है उसके लिये वास्तव में पूरा विपक्ष, सत्तापक्ष–सभी विधायक धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। औद्योगिक विकास की बाबत कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री का पद श्री कल्याण सिंह जी दुबारा ग्रहण करने के साथ ही एक विश्वास पूरे प्रदेश में लौटा है। इस बजट में एक खिड़की योजना के तहत औद्योगिक विकास का संकल्प लिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति में चुस्ती दुरुस्ती के द्वारा आम आदमी में एक नयी स्फूर्ति आयी है मान्यवर, मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं हमारे प्राधिकरण में जो प्रस्ताव आते हैं उससे औद्योगिक विकास का एक अच्छा संकल्प है। हमारा जनपद गौतमबुद्धनगर गाजियाबाद और बुलन्दशहर से कटकर नया जिला पिछले वर्ष बना है। मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस बजट में वहां तहसील मुख्यालयों से जोड़ने का प्राविधान नहीं है, इसका प्राविधान हो जाय दूसरे जिला योजना का बजट सवा 9 करोड़ है उसे बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया जाय ताकि नये भवन, नये कार्यालय बनने में सहायता मिले। मेरा निवेदन है कि इसका प्राविधान कर दिया जाय। इसी के साथ मुझे बोलने का समय दिया मान्यवर, आपको इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

साढ़े छः बजे तक सदन चलाने का इरादा है।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, मैं इस बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तहबाजारी के ठेकों में भाग लेने वाले ठेकेदारों के चरित्र

सत्यापन की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है । शायद हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी कैबिनेट में बैठे लोगों को देख लिये होते तो इसको नहीं लिखते । क्योंकि तमाम ऐसे लोग, जिनके चरित्र पर दाग हैं, जिनको माफिया कहा जाता है, आज वह मंत्रिमण्डल में बैठे हैं ।

शिक्षा में सुधार की बात कही गई है । आज हजारों की संख्या में अध्यापक कम हैं । जब पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होगा तो मूलरूप से शिक्षा में सुधार कैसे होगा ? यह एक धोखा देने वाला बजट है ।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने मलिन बस्तियों में अस्पताल खोलने की बात कही है, इसका मैं स्वागत करता हूं ताकि वहां पर भी लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके । परन्तु हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से ही हैं, उन केन्द्रों पर कितने डाक्टर हैं । मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज ग्रामीण अंचलों के अधिकांश अस्पतालों में डाक्टर नहीं है । जब आप अस्पताल खोलने जा रहे हैं तो वहां पर डाक्टरों की भी व्यवस्था अवश्य करवा दें । इसका कहीं भी इस बजट में प्राविधान नहीं है ।

मान्यवर, नहरों से केवल एक पानी खेत तक किसान का पहुंच पाता है परन्तु उससे पूरा सिंचाई कर वसूल कर लिया जाता है । जब किसान अपनी एक फसल उगाता है और बीज खेत तक चला जाता है तो उसे 4-5 पानी की आवश्यकता होती है परन्तु पानी उसे एक ही मिल पाता है और उसके बाद नहरों का पानी बंद हो जाता है । किसान के घर का बीज भी चला जाता है और उसकी मजदूरी भी नहीं निकल पाती, उसकी आर्थिक क्षति भी हो जाती है । उसके ऊपर एक चार्ज और लग जाता है और पूरा का पूरा सिंचाई कर उसे देना पड़ता है । इसलिये इस बजट में इस बात का प्राविधान होना चाहिये कि जिस किसान के खेत में पानी आवश्यकतानुसार नहीं पहुंच पायेगा, उसे कर मुक्त कर दिया जायेगा । मान्यवर, विद्युत सुधार की बात कही गई है । पिछले दिनों चक्रवात की बात यहां पर मेरे द्वारा उठाई गई थी चक्रवात के कारण आजमगढ़ में पिछले तीन महीने से विद्युत की आपूर्ति नहीं हुई थी । कहीं भी इस बजट में इस तरह का प्राविधान नहीं किया गया है कि जहां दैवी आपदा होंगी चाहे वह चक्रवात हो या और कोई तो जो वहां पर विद्युत लाइनें अगर उखड़ जाये और कई-कई महीनों तक विद्युत आपूर्ति न हो पाये तो जो कन्ज्यूमर होगा उसको विद्युत कर से माफ कर दिया जायेगा । मान्यवर, आज तमाम गांव आजमगढ़ में ऐसे हैं जैसे सगड़ी तहसील के रोसनगंज, हैदराबाद, परसिया, देवाराखास राजा इत्यादि यहां पर गरमी के दिनों में अक्सर आग लग जाया करती है और जो गरीब लोगों के मकान हैं जल जाते हैं उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है इस बजट में इसके लिए भी कोई प्राविधान नहीं है ।

मान्यवर, अभी देवाराखास राजा में तीन वर्ष लगातार आग लगी और तीन वर्षों में कई मकान जल गये और उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा, उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी । इस बजट में इस हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया है कि जहां पर ऐसे सौ दो सौ मकान एक साथ जल जाये और वहां लोगों के रहने के लिए कोई ठिकाना न हो तो उनके लिए इन्दिरा आवास योजना या अन्य योजना के माध्यम से भवन निर्माण का प्राविधान किया जाय । मान्यवर, अभी हमारे एक सत्ता पक्ष के साथी बोल रहे थे कि विपक्ष के लोग ऐसे बोलते हैं जैसे शाम को एक जानवर बोलता है । वह शायद पहली बार आये हैं । जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष में बैठते रहे होंगे तब शायद उन्होंने दर्शक दीर्घा में बैठकर अभी देखा होगा कि उनके साथी उसी जानवर की बोली बोलते थे । मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में इस गर्मी में जैसा कि हमारे एक साथी ने किसी नियम के तहत उठाकर कहा भी था कि पिछली बार यह व्यवस्था रही थी कि शादी के दिनों में जो लोग गरीब थे उनको अतिरिक्त चीनी परमिट के रूप में दी जाती थी लेकिन इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । आज 22 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है, 18 से 20 रुपये लीटर मिट्टी का तेल बिक रहा है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट पूरे प्रदेश को धोखा देने वाला है इसलिए इस बजट का मैं विरोध करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

आय-व्ययक पर चर्चा आगे जारी रहेगी अब मैं मद संख्या–10 ले रहा हूं ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस सम्मानित सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा हो रही है काफी महत्वपूर्ण चर्चा है और अपने-अपने मत इसके संबंध में जनता के सामने आना आवश्यक है । आलोचना करने का अधिकार विपक्ष का है और आलोचना में जो सकारात्मक विन्दु आप उठाते हैं उससे हम भी लाभान्वित होते हैं और हमें मार्गदर्शन मिलता है । मैं सभी सम्मानित सदस्यों से कहना चाहूंगा कि उपस्थिति का विशेष ध्यान रखा जाय ! इस समय विपक्ष की उपस्थिति मात्र 6 प्रतिशत ही दिखायी दे रही है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप प्रर्प्रोशन में देख लें हमारी ही उपस्थिति ज्यादा होगी । मान्यवर, हमारा एक व्यवस्था का सवाल है । 19 तारीख की कार्यवाही के उपरान्त आपने व्यवस्था दी थी कि जो कार्यवाही है वह इस सदन का अंग नहीं बनेगी ..... मान्यवर, आप नियम देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी सूचना को पढ़ लिया है । नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना आपने दी थी, उसको पीठासीन अधिकारी ने अपनी व्यवस्था देकर निरस्त कर दिया है, तो अब इस पर कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

हम जब भी चाहें औचित्य का प्रश्न उठा सकते हैं, हमारे नियमों में कोई समय निर्धारित नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरा औचित्य का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । आप उसको सुन लें, जो भी आपकी व्यवस्था होगी वह हमें शिरोधार्य होगी । अगर आप सुन लेंगे तो आपको विचार करने में सहायता मिलेगी ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर एवं स्टाम्प शुल्क मंत्री श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस समय कार्यवाही सुचारुरूप से चल रही है । व्यवस्था का प्रश्न तो तब उठाया जाता है, जब कार्यवाही सुचारुरूप से न चल रही हो । वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह सदन की कार्यवाही के संचालन से सम्बन्धित नहीं है, इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

जो भी व्यवस्था दी गयी थी वह बहुत ही अपवाद स्वरूप दी गयी थी, वह विशिष्ट परिस्थितियों में दी गयी थी, वह भविष्य के लिये दृष्टांत नहीं बनेगी, मैं स्पष्ट किये दे रहा हूं । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

आप इस पर पुनर्विचार कर लें । नियम 303 में है कि प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाही का सम्पूर्ण और शुद्ध प्रतिवेदन तैयार कराया जायेगा और नियम 304 में यह है कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक से कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे । उस दिन सभी सदस्यों ने बोलने का काम किया है और किसी भी सदस्य के भाषण में कोई असंसदीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप की बात आ गयी है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, 314 में है .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आपकी बात आ गयी है । मैं नियमावली के नियम 313 और 314 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये इस प्रकरण को समाप्त करता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 जून, 1998 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री अजय भट्ट की जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड चौखटियां मे भगतोला क्षेत्र के लिये मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

दूसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद छत्रपति शाहू जी महराज नगर के पठारी भाग में भीषण पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

तीसरी सूचना डा० राम बाबू हरित की है । आगरा महानगर में प्रतिवर्ष नालों की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । इसे भी केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की गयी है । अस्वीकार होने वाली सूचनाओं में सर्वश्री नरेन्द्र कुमार सिशौदिया, चन्द्र नाथ सिंह, लाखीराम जोशी, मुरलीधर, अयोध्या प्रसाद पाल, जगदीश नारायण, लालमणि प्रसाद, श्याम लाल रावत, अकबर, और मोहन सिंह रावत 'गांववासी' की हैं ।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
22 जून, 1998

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये नत्थी "क" अता०प्र०सं० 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

प्राप्त बरामदगी का विवरण (1-7-97 से 15-4-98 तक)

क्रमांक	दिनांक	सीमा चौकी का नाम	वाहन का प्रकार	बरामद सामान की किस्म/मूल्य	अ०सं०/धारा एवं माल सुपुर्द	गिरफ्तार व्यक्तियों का नाम/पता
1	2	3	4	5	6	7
1	24-1-98	रुपईडीहा	बुग्गी भैसा	20 कुन्तल धान मय भैसा बुग्गी कीमत रु०-27050-00	कस्टम एक्ट के अन्तर्गत माल कस्टम रुपईडीहा को सुपुर्द।	1-वासदेव वर्मा पुत्र देवतादीन वर्मा, निवासी नरयनापुर, थाना रुपईडीहा, जनपद-बहराइच। 2-सुबेदार खां पुत्र शमीउल्ला, नि० उपरोक्त।
2	17-2-98	रुपईडीहा	ट्रक यू० पी०-25/7762	210 बोरा सरसौ कीमत रु०-2,45,651.00	बिक्रीकर अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत बिक्रीकर रुपईडीहा को सुपुर्द।	1-सुरेश पुत्र रामचन्द्र गुप्ता। 2-मो० रफीक पुत्र अब्दुल नवी। 3-मो० इरफान पुत्र हजूर अहमद नि०-गण नई बस्ती, नवाबगंज बरेली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

3	28-2-98	रुपईडीहा	यू०पी०–40 ए/4385	60 कुन्तल चावल कीमत रु० 60,000.00	मु०अ०सं०–32/981–धारा 3/7ई०सी० एक्ट/406/420/411 भा०दं०वि० थाना रुपईडीहा पर पंजीकृत ।	1–मो० आरिफ पुत्र इरफान नि०–पुरानी बाजार, नानपारा, बहराइच । 2–राम कुमार वर्मा पुत्र काशीराम वर्मा नि०– बाबांगज, थाना रुपईडीहा, जनपद बहराइच ।
4	10-4-98	रुपईडीहा	साइकिल	डेढ़ कुन्तल मटर 2 कुन्तल लाही कीमत रु० 3,900/–	माल कस्टम एक्ट के अन्तर्गत कस्टम रुपईडीहा को सुपुर्द ।	लावारिस
5	12-4-98	रुपईडीहा	रोडवेज बस	10 कुन्तल गुड़ कीमत रु०-10,000/-	धारा 13–क बिक्रीकर अधि० के अन्तर्गत बिक्रीकर रुपईडीहा को सुपुर्द ।	1–शाबिर नि०–थाना रुपईडीहा बहराइच ।
6	10-3-98	तुलसीपुर	पैदल	5 जरीकेन तेल सरसौ कीमत रु० 7,500.00	कस्टम विभाग बलरामपुर को सुपुर्द ।	लावारिस ।
7	15-1-98	त्रिलोकपुर	साइकिल	साढ़े छः कुन्तल धान कीमत रु० 3000.00	कस्टम विभाग को सुपुर्द	लावारिस ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
8	11-2-98	त्रिलोकपुर	साइकिल	54 कि०ग्रा० धान कीमत 12,00.00	कस्टम विभाग बलरामपुर को सुपुर्द	1–धर्मराज पुत्र काशी राम नि०–अमोजी थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर। 2–कोशरअली पुत्र हसन रजा नि०–जनपद बलरामपुर।
9	4-2-98	त्रिलोकपुर	पैदल	सरसौ कीमत रु० 5,000.00	कस्टम विभाग बलरामपुर को सुपुर्द	लावारिस।
10	27-8-97	तुलसीपुर	ट्रक नं० डी० एल०–1 एल/ 4026	80 कुन्तल खाद्यान्न चीनी, चावल, गेहूं कीमत रु० 65,000/–	अ०सं० 193/97 धारा-3/7 ई०सी० एक्ट/3/28 ट्रांजिट एक्ट तुलसीपुर	1–गोविन्द पुत्र बिहारी लाल निवासी–देवीपाटन, तुलसीपुर।
11	19-12-97	रुपईडीहा	पैदल	चीनी व नमक कीमत रुपये 4200.00	कस्टम विभाग रुपईडीहा को सुपुर्द	लावारिस।

कुल बरामद खाद्यान्न का मूल्य रु० 5,12,501-00 कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या–16

(ग) यद्यपि कि– ए०के०–47 राइफल की बरामदगी अब तक नहीं हो पाई है परन्तु इस संबंध में अभिसूचना संकलित की जा रही है और सीमा पुलिस ने इतने अल्प समय में आग्नेयास्त्र एवं कारतूस पकड़े हैं।

(घ) मादक पदार्थों की बरामदगी का तिथिवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	सीमा परिक्षेत्र जिसके द्वारा बरामदगी की गई	बरामद किये गये मादक पदार्थों की मात्रा	दिनांक
1	2	3	4
1	बहराइच	गांजा 7 कि०ग्रा०	26–8–97
2	सिद्धार्थनगर	1,1/2 कि०ग्रा० चरस	9–7–97

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		36 बोतल वीयर	28-7-97
		11 बोतल वीयर विस्की	21-8-97
		34 पाउच शराब	2-9-97
		22 पाउच शराब	3-9-97
		20 पाउच व 10 लीटर शराब	12-9-97
		48 पाउच शराब	13-9-97
		13 कि-ग्रा० गांजा	23-9-97
		49 पाउच शराब	28-9-97
		1 किलो 400 ग्राम चरस	30-9-97
		1 कि-ग्रा० चरस	13-10-97
		30 पाउच शराब	23-10-97
		6 डिब्बा वीयर	31-10-97
		15 पाउच शराब	12-11-97
		24 बोतल वीयर	25-11-97
		6 बोतल वीयर	25-12-97
		20 पाउच शराब	15-1-98
		130 पाउच शराब	22-1-98
		12 बोतल वीयर	12-3-98
		100 पाउच शराब	15-4-98
3	खीरी	1 कि 250 ग्रा० चरस	22-10-97
		1 कि० 250 ग्रा० गांजा	22-1-98
		500 ग्राम चरस	23-1-98
		1 कि० 350 ग्राम चरस	1-4-98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए नत्थी "ख" अता० प्र० सं०-61 पीछे पृष्ठ 54 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०-61 के उत्तर का संलग्नक ।

1-मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-12223/1984 श्री राममूर्ति बनाम करनाटक राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में भारतीय कारागार अधिनियम के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :-

(1) कारागारों में बंदियों की भीड़-भाड़ के सम्बन्ध में भारतीय विधि आयोग की 78 वीं रिपोर्ट के परिच्छेद-9 में निर्दिष्ट संस्तुतियों पर उचित निर्णय ।

(2) परिहार प्रणाली तथा समय पूर्व रिहाई (पैरोल) को प्रभावी बनाने के विषय पर मुल्ला कमेटी की संस्तुतियों पर कार्यान्वयन ।

(3) रिमांड की तिथियों पर विचाराधीन बन्दियों के न्यायालयों में प्रस्तुतीकरण का दायित्व कारागार स्टाफ को सौंपा जाना ।

(4) परम्परागत भारतीय कारागार अधिनियम 1894 के पुनर्स्थापन के फलस्वरूप नये अधिनियम की संरचना के प्रति जागृति उत्पन्न करना ।

(5) आदर्श अखिल भारतीय जेल मैनुअल की संरचना के विचार की समीक्षा ।

(6) मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट के परिच्छेद-29 के अन्तर्गत उचित चिकित्सा सुविधाओं एवं समुचित स्वास्थ्य वातावरण का रख-रखाव ।

(7) समस्त कारागारों में शिकायत पेटिकाओं की स्थापना ।

(8) संचार सुविधाओं का सरलीकरण ।

(9) कारागार वीक्षणों का प्रभावीकरण ।

(स्ट्रीम लाइनिंग)

(10) कम से कम जिला मुख्यालय स्तर पर खुले शिविरों की स्थापना ।

2-भारतीय कारागार अधिनियम 1894 के स्थान पर नया अधिनियम बनाये जाने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भारतीय कारागार विधेयक, 1998 का प्रारूप तैयार किया गया है, जिस पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अभिमत मांगा गया है । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने सुझाव एवं संस्तुतियां भारत सरकार को भेज दी गयी हैं ।

पी० एस० यू० पी० एल०-240 विधान सभा (358) 1998 813 डी०टी०पी० ।